

वार्षिक

रिपोर्ट 2010-2011



भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

वार्षिक रिपोर्ट

2010—2011



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग





विषय—सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	5—11
2.	संगठनात्मक ढाँचा और कार्य	12—13
3.	उर्वरक उद्योग का विकास और वृद्धि	14—21
4.	2010—11 के दौरान प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता	22—23
5.	योजना निष्पादन	24—25
6.	उर्वरकों के लिए सहायता उपाय	26—41
7.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं सहकारी समिति	42—71
8.	उर्वरक शिक्षा परियोजनाएं	72—73
9.	सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी)	74—76
10.	सतर्कता कार्यकलाप	77
11.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	78
12.	राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	79—80
13.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	81—82
14.	महिला सशक्तिकरण	83—84
15.	नागरिक चार्टर/शिकायत निवारण तंत्र	85
16.	अनुलग्नक—I से XVI	86—108



डॉ. चंद्र पाल सिंह, उपाध्यक्ष और श्री बी.जी. सिन्हा, प्रबंध निदेशक, कृष्णको माननीय रसायन और उर्वरक केन्द्रीय मंत्री श्री एम.के. अलागिरी को 37.78 करोड़ रु. का लाभांश चैक प्रदान करते हुए। इस अवसर पर श्री श्रीकांत जेना, माननीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, श्री एस. कृष्णन, सचिव (उर्वरक), श्री दीपक सिंघल, संयुक्त सचिव (एफएंडपी), श्री एस.एल. गोयल, संयुक्त सचिव (पीएंडपी), श्री सतीश चंद्र, संयुक्त सचिव (एएंडएम), श्री एन. संबासिवा राव, प्रबंध निदेशक, कृष्णको तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

अध्याय—1

1.1 प्रस्तावना

- 1.1.1 कृषि, सकल घरेलू उत्पाद में जिसका पांचवां भाग है, हमारी दो-तिहाई जनसंख्या का पोषण करती है। इसके अतिरिक्त, यह शेष अर्थ व्यवस्था में अत्यंत पिछड़ों और अगड़ों के मध्य तारतम्य स्थापित करने का कार्य भी करती है। क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मपर्याप्तता एवं आत्मनिर्भरता पर निरन्तर बल दिया जाता रहा है और इस दिशा में किए गए संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि खाद्यान्न उत्पादन 1951-52 में 52 मिलियन मी. टन के बहुत मामूली से स्तर से 2009-10 में बढ़कर लगभग 218.20 मिलियन मी.टन हो गया है। रासायनिक उर्वरकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत न केवल खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता को पूरा करने में बल्कि निर्यात योग्य अतिरिक्त उत्पादन करने में भी सफल रहा है।
- 1.1.2 भारत की हरित क्रांति और तत्पश्चात् खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की सफलता में रासायनिक उर्वरकों की सक्रिय भूमिका और इसके कारण खाद्यान्न उत्पादन में प्राप्त आत्म-निर्भरता को देखते हुए भारत सरकार देश में उर्वरकों की बढ़ती हुई उपलब्धता और खपत के लिए लगातार कारगर नीतियाँ बनाती रही है। परिणामस्वरूप, पोषक तत्वों (एन, पी एवं के) के रूप में उर्वरकों की खपत, जो वर्ष 1951-52 में 0.7 लाख मीट्रिक टन थी, वर्ष 2009-10 में बढ़कर 264.86 लाख मी.टन हो गई है जबकि उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत, जो वर्ष 1951-52 में 1 किलोग्राम से कम थी, वर्ष 2009-10 में बढ़कर 135.27 कि.ग्रा. (अनुमानित) हो गई है।
- 1.1.3 अब तक देश ने यूरिया की उत्पादन क्षमता में लगभग आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है जिसके परिणामस्वरूप भारत स्वदेशी उद्योग के माध्यम से नाइट्रोजन उर्वरकों की अपनी आवश्यकता को काफी हद तक पूरा कर सका है। इसी प्रकार, घरेलू आवश्यकता को पूरा

करने के लिए फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के संबंध में स्वदेशी क्षमता का पर्याप्त विकास किया गया है। तथापि, इसके लिए कच्ची सामग्री और मध्यस्थों का मुख्यतः आयात किया जाता है। चूंकि देश में पोटाश (के) के लिए कोई व्यवहार्य स्रोत/भंडार नहीं हैं, इसकी सम्पूर्ण मांग को आयात से पूरा किया जाता है।

1.2 उर्वरक उद्योग की वृद्धि

- 1.2.1 इस उद्योग की वर्ष 1906 में बहुत साधारण शुरुआत तब हुई थी जब सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) की 6000 मी.टन वार्षिक क्षमता वाली पहली उत्पादन इकाई चेन्नई के पास रानीपेट में लगाई गई थी। खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से औद्योगिक आधार स्थापित करने की दृष्टि से चौथे और पाँचवें दशक में केरल के कोचीन में फर्टिलाइज़र एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) और बिहार (अब झारखंड) के सिन्दरी क्षेत्र में फर्टिलाइज़र कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) नामक बड़े आकार के पहले उर्वरक संयंत्र लगाए गए थे। इसके पश्चात् छठे दशक के उत्तरार्द्ध में आई हरित क्रान्ति ने भारत में उर्वरक उद्योग के विकास को प्रेरित किया और सातवें तथा आठवें दशक में उर्वरक उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- 1.2.2 31.3.2009 को स्थापित क्षमता 120.61 लाख मी.टन नाइट्रोजन और 56.59 लाख मी.टन फॉस्फेटयुक्त पोषकतत्व के स्तर तक पहुंच गई है, जिससे भारत विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक बन गया है। देश में अनुकूल नीति परिवेश की वजह से तीव्र स्थापित उर्वरक उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली गई है जिससे सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्रों में भारी निवेश होना शुरू हो गया है। वर्तमान में, देश में बड़े आकार के 56 उर्वरक संयंत्र हैं जो नाइट्रोजनयुक्त, फॉस्फेटयुक्त और मिश्रित उर्वरकों की विस्तृत शृंखला का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें से 30 (इस समय 29



कार्यरत) इकाइयाँ यूरिया का उत्पादन कर रही हैं, 21 इकाइयाँ डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं, 5 इकाइयाँ निम्न विश्लेषित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं और शेष 9 इकाइयाँ उप-उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन कर रही हैं। इसके अलावा, एसएसपी का उत्पादन करने वाली लगभग 85 मध्यम एवं लघु उद्योग इकाइयाँ प्रचालनरत हैं। क्षेत्रवार स्थापित क्षमता नीचे तालिका में दी गई है:-

31.03.2010 की स्थिति के अनुसार उर्वरक उत्पादक इकाइयों की क्षेत्र-वार, पोषकतत्व-वार स्थापित क्षमता

क्र. सं.	क्षेत्र	क्षमता (लाख मी. टन)		प्रतिशत शेयर	
		एन	पी	एन	पी
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	34.98	4.33	29.0	7.65
2.	सहकारी क्षेत्र	31.69	17.13	26.27	30.27
3.	निजी क्षेत्र	53.94	35.13	44.73	62.08
	योग :	120.61	56.59	100.00	100.00

1.3 उर्वरक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता

1.3.1 विभिन्न फसलों के लिए अपेक्षित तीन प्रमुख पोषक तत्वों – नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश (एन, पी एवं के) में से मुख्यतया नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के लिए घरेलू कच्चा माल उपलब्ध है। इसलिए, सरकार की नीति घरेलू फीडस्टॉक का उपयोग करते हुए नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में अधिकतम संभव आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर लक्षित है। 1980 से पूर्व नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र फीडस्टॉक के रूप में मुख्यतया नेफ्था पर आधारित थे। 1978 से 1982 के दौरान ईंधन तेल/एलएसएचएस आधारित अनेक अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए थे। देश में पहली बार 1980 में, तलचर (उड़ीसा) और रामागुण्डम (आंध्र प्रदेश) में कोयला आधारित दो संयंत्र लगाए गए। तकनीकी और वित्तीय अव्यवहार्यता से इन कोयला आधारित संयंत्रों को 01.04.2002 से बन्द कर दिया गया था। बॉम्बे हाई ऑफ शोर और दक्षिणी बेसिन से प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने के पश्चात् 1985 के बाद गैस आधारित कई अमोनिया-यूरिया संयंत्र लगाए गए

हैं। गैस का इस्तेमाल बढ़ने और उसकी उपलब्ध आपूर्ति में अनिश्चितता होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में नेफ्था और गैस, दोनों का प्रयोग करते हुए दोहरी ईंधन सुविधा वाली अनेक विस्तार परियोजनाएं शुरू की गईं। मौजूदा उर्वरक संयंत्रों और/या उनकी विस्तार परियोजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) उपलब्ध कराने के साथ-साथ भारत में विभिन्न उर्वरक कम्पनियों द्वारा खोजे गए नए गैस भंडारों को इस्तेमाल करने की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

1.3.2. फॉस्फेट के मामले में, घरेलू कच्चे माल का अभाव देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में बाधक रहा है। स्वदेशी रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति से पी₂ओ₅ की कुल आवश्यकता का केवल 5-10% ही पूरा हो पाता है। इसलिए एक नीति अपनाई गई है जिसमें तीन विकल्पों का मिश्रण है अर्थात् स्वदेशी/आयातित रॉक फॉस्फेट, आयातित सल्फर और अमोनिया पर आधारित स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी/आयातित मध्यवर्तियों जैसे अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड पर आधारित घरेलू उत्पादन तथा तैयार उर्वरकों का आयात। वर्ष 2009-2010 के दौरान फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की आवश्यकता का लगभग 72% पहले दो विकल्पों के जरिए पूरा किया गया था।

1.3.3. देश में वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य पोटैश स्रोतों के अभाव में मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन और सीधे प्रयोग होने वाले पोटैशयुक्त उर्वरकों की सम्पूर्ण मांग को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

1.3.4. उर्वरकों की सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और विशेषतया यूरिया बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए देश के नीतिगत लाभ के लिए आयात के द्वारा सीमान्त प्रावधान किया जा सकता है। यह इसलिए भी वांछनीय है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विशेषतया यूरिया के मामले में, मांग और आपूर्ति परिदृश्य में अत्यंत संवेदनशील है। यूरिया इकाइयों के लिए 1.4.2003 से लागू नई मूल्य-निर्धारण व्यवस्था के अन्तर्गत, यूरिया की अतिरिक्त स्वदेशी आपूर्ति सुनिश्चित करने, आर्थिक रूप से सक्षम इकाइयों को प्रतिस्थापित करने/आयात को न्यूनतम करने के लिए उनकी पुनः आंकलित क्षमता से अधिक का उत्पादन करने की अनुमति दी जा रही है।



फैगमिल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुनील दयाल, सचिव (उर्वरक) श्री सुतानु बेहुरिया को आर्थिक सलाहकार श्री ए.के. पराशर और निदेशक (संचलन) श्री दीपक कुमार की उपस्थिति में लाभांश का चेक प्रदान करते हुए। उनके साथ फैगमिल के कंपनी सचिव श्री शेखावत भी मौजूद हैं।

1.4 उर्वरक राजसहायता

1.4.1. उर्वरकों पर राजसहायता किसानों को राजसहायता प्राप्त अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में दी जाती है। राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के लिए सरकार द्वारा यथा अधिसूचित बिक्री मूल्य फार्मगेट स्तर पर इन उर्वरकों की मानकीय सुपुर्दगी लागत से काफी कम है। फार्मगेट स्तर पर मानकीय सुपुर्दगी लागत और अधिसूचित बिक्री मूल्य के बीच के अन्तर को किसानों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर उर्वरक बेचने पर उत्पादकों/आयातकों को राजसहायता के रूप में दिया जाता है।

1.4.2. उर्वरकों पर राजसहायता की दर में वृद्धि तथा उर्वरकों की खपत में वृद्धि से राजसहायता की आवश्यकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उर्वरकों की लागत में वृद्धि होने के बावजूद सरकार ने विगत कई वर्षों से उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में कोई परिवर्तन न करके किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दिया है। विगत कुछ वर्षों में उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता में काफी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में दी गई उर्वरक राजसहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—



राजसहायता/रियायत पर व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

अवधि	नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर वितरित रियायत की राशि (स्वदेशी+आयातित)			यूरिया पर वितरित राजसहायता की राशि			सभी उर्वरकों के लिए योग
	स्वदेशी (पीएंडके)	आयातित (पीएंडके)	योग (पी एवं के)	स्वदेशी यूरिया	आयातित यूरिया	योग (यूरिया)	
2006-07	6648.17	3649.95	10298.12	12650.37	5071.06	17721.43	28019.55
2007-08	10333.80	6600.00	16933.80	16450.37	9934.99	26385.36	43319.16
2008-09	32957.10	32597.69	65554.79	17968.74	12971.18	33939.92	99494.71
2009-10	16000.00	23452.06	39452.06	17580.25	6999.98	24580.23	64032.29
2010-11 (बजट अनुमान)	13000.00	15500.00	28500.00	15980.73	8360.00	24340.73	52840.73

1.4.3 पिछले वर्षों में उर्वरक राजसहायता में लगातार वृद्धि उत्पादन/खपत में भारी वृद्धि होने और स्वदेशी उर्वरकों के आदानों की लागत के बढ़ने तथा समय-समय पर आयातित उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है। कोयला, गैस, नेफ्था, रॉक फास्फेट, सल्फर, अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, बिजली, आदि जैसे विभिन्न आदानों/उपयोगिताओं की लागत तथा अस्सी के दशक में परिवहन की लागत में भारी वृद्धि हुई थी। इस अवधि के दौरान आरम्भ की गई गैस आधारित उर्वरक इकाइयों में प्रति टन स्थापित क्षमता का उच्चतम पूंजी निवेश भी शामिल था जिससे प्रतिधारण मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई। तथापि, किसानों को बेचे जाने वाले उर्वरकों की कीमतें जुलाई, 1981 से जुलाई, 1991 तक के बीच लगभग समान स्तर पर रहीं। एक दशक के बाद अगस्त, 1991 में सरकार ने उर्वरकों के निर्गम मूल्यों में 30% की वृद्धि की थी। यूरिया की बिक्री कीमत, जो अगस्त, 1992 में 10% तक घट गई थी, जून, 1994 में 20% तक बढ़ा दी गई तथा बाद में 21.2.97 से 10% और बढ़ा दी गई। फरवरी, 2002 में यूरिया का मूल्य 5% तक पुनः संशोधित हुआ और दिसम्बर 28.2.2003 से यूरिया का उत्पादन 240 रुपए प्रति मी0टन हो गया। दिनांक 28.2.2003 से मूल्य वृद्धि प्रभावी हुई थी, किंतु 12.3.2003 से इसे वापस ले लिया गया था। यूरिया का एमआरपी जो स्थानीय शुल्कों सहित 4830 रु. प्रति मी. टन है, 31.3.2010

तक जारी रहा। दिनांक 1.4.2010 से यूरिया के एमआरपी में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके 4830 रु. प्रति मी. टन से 5310 रु. प्रति मी.टन कर दिया गया है।

1.5 उर्वरक मूल्य-निर्धारण नीति

1.5.1 समग्र नीति परिवेश में उर्वरक मूल्य-निर्धारण और राजसहायता के महत्व, जिनका कृषि के संवर्द्धन और विकास और उर्वरक उद्योग की सततता से सीधा संबंध है, को देखते हुए यूरिया उत्पादन इकाइयों के संबंध में राजसहायता योजना को कारगर बनाने की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। यूरिया की मौजूदा राजसहायता व्यवस्था की समीक्षा करने और एक वैकल्पिक व्यापक आधार बनाने, वैज्ञानिक तथा पारदर्शी पद्धति का सुझाव देने, और उद्योग के विभिन्न भागों में लागू नीतियों को अधिक सामंजस्य पूर्ण बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए प्रो0 सी.एच. हनुमंता राव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य-निर्धारण नीति की समीक्षा करने वाली समिति (एचपीसी) का गठन किया गया था। एचपीसी ने 3 अप्रैल, 1998 को सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि यूरिया के लिए इकाई-वार आरपीएस को समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर मौजूदा गैस आधारित यूरिया और डीएपी इकाइयों के लिए एकसमान मानकीय संदर्भित मूल्य निर्धारित किया जाए

और गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए पांच वर्ष की अवधि तक फीडस्टॉक विभेदक लागत की प्रतिपूर्ति (एफडीसीआर) की जाए।

- 1.5.2. श्री के.पी. गीताकृष्णन की अध्यक्षता वाले व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने भी उर्वरक राजसहायता को युक्तिसंगत बनाने के मामले की जांच की थी। ईआरसी ने 20 सितम्बर 2000 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि मौजूदा आरपीएस को समाप्त किया जाए और फीडस्टॉक तथा संयंत्रों के पुरानेपन के आधार पर यूरिया इकाइयों के लिए रियायत योजना को इसके स्थान पर लागू किया जाना चाहिए।
- 1.5.3. संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से ईआरसी की सिफारिशों की जांच की गई। उर्वरक उद्योग और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और अर्थशास्त्रियों/अनुसंधान संस्थाओं के मत लिए गए। इन सभी मतों की जांच करने के बाद आरपीएस के स्थान पर यूरिया इकाइयों के लिए एक नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) बनाई गई और इसे 30.1.2003 को अधिसूचित किया गया था। नई योजना 1.4.2003 से प्रभावी हुई। इसका उद्देश्य राजसहायता प्रशासन में अधिक पारदर्शिता लाने और इसका सरलीकरण करने के साथ-साथ यूरिया इकाइयों को दक्षता के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।
- 1.5.4. नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) को 1 अप्रैल, 2003 से लागू किया गया था। एनपीएस का चरण-I, 01 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 तक एक वर्ष के लिए था और चरण-II, 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2006 तक दो वर्ष की अवधि के लिए था। एनपीएस के चरण-III का कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2006 से किए जाने के कारण एनपीएस के चरण-II का 31 सितम्बर, 2006 तक विस्तार किया गया था।
- 1.5.5. नई मूल्य-निर्धारण योजना के तहत विद्यमान यूरिया इकाइयों को समूह आधारित रियायत के निर्धारण के लिए पुरानेपन और फीडस्टॉक के आधार पर छह समूहों में बाँटा गया है। इन समूहों में 1992 से पूर्व गैस आधारित इकाइयाँ, 1992 के पश्चात् गैस आधारित इकाइयाँ, 1992 से पूर्व नेफ्था आधारित इकाइयाँ, 1992 के पश्चात् नेफ्था आधारित इकाइयाँ, ईंधन तेल/निम्न सल्फर भारी स्टॉक (एफओ/एलएसएचएस) आधारित इकाइयाँ और मिश्रित ऊर्जा आधारित इकाइयाँ हैं।

मिश्रित ऊर्जा आधारित समूह में ऐसी गैस आधारित इकाइयाँ सम्मिलित हैं जो दिनांक 01.04.2002 को स्वीकार्य अनुसार 25% या इससे अधिक की सीमा तक वैकल्पिक फीडस्टॉक/ईंधन का उपयोग करती हैं।

- 1.5.6. नई मूल्य निर्धारण योजना के तहत, केवल फीडस्टॉक, ईंधन, खरीदी गई ऊर्जा और पानी के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित भिन्नता लागत के संबंध में वृद्धि/कमी की जाती है। इस योजना के तहत किसी इकाई द्वारा प्रचालनों में सुधार के लिए किए गए निवेश की न तो प्रतिपूर्ति की जाती है और न ही प्रचालनरत दक्षता के परिणामस्वरूप इकाइयों को होने वाले लाभ को लिया जाएगा।
- 1.5.7. इस योजना के तहत यह व्यवस्था भी की गई है कि चरण-II के दौरान रियायत दरों को पूँजी संबद्ध प्रभारों और दक्ष ऊर्जा मानकों के लागू होने से हुई कमी के लिए समायोजित किया जाएगा। चरण-II के दौरान यूरिया इकाइयों के लिए पूर्व-निर्धारित ऊर्जा मानकों को अधिसूचित कर यूरिया इकाइयों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-II के दौरान पूँजी संबद्ध प्रभारों में हुई कमी के कारण रियायत दरों में हुई कमी को भी अधिसूचित करके यूरिया इकाइयों को सूचित कर दिया गया है।

1.6 यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना चरण-III में संशोधन

एनपीएस-III में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं

- 1.6.1 यह निर्णय लिया गया है कि मूल्य-निर्धारण योजना-III के अंतर्गत समूह औसत सिद्धांत के कारण प्रत्येक यूरिया इकाई की निर्धारित लागत में कमी मूल रियायत दरों के अंतर्गत परिकलित मानकीकृत नियत लागत के 10% तक सीमित होगी। नियत लागत की कमी की सीमा 1 अप्रैल, 2009 से लागू होगी।
- 1.6.2 यूरिया इकाइयों की मूल रियायत दरों की गणना करने के लिए 1992-के पश्चात् नेफ्था आधारित समूह औसत के क्षमता उपयोग की 98% की बजाय 95% पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि एनपीएस-III के अंतर्गत परिवर्तन के लिए किसी लागत को स्वीकार न किया जाए। अनुमोदित संशोधनों से स्वदेशी यूरिया इकाइयों को नई मूल्य-निर्धारण योजना चरण-III के

अंतर्गत औसत समूह के कारण अपने घाटे को कम करने तथा आधुनिकीकरण और बढ़ी हुई दक्षता के लिए अपने संयंत्रों में पुनः निवेश करने हेतु संसाधनों का सृजन करने में मदद मिलेगी।

1.6.3 फीडस्टाक की आपूर्ति में बाधा पहुंचने या आयात में विलंब/बाधा पहुंचने के कारण उत्पादन में कमी होने की स्थिति में यूरिया के स्टॉक को बनाए रखने तथा मांग में अचानक आई तेजी/कमियों से निपटने के लिए प्रमुख राज्यों में यूरिया के लिए एक बफर स्टॉक योजना कार्यान्वित की जा रही है। कंपनियों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर बफर स्टॉक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।

- बफर स्टॉक का प्रचालन करने वाली कंपनी समय-समय पर अधिसूचित अनुसार एसबीआई की पीएलआर से 1 प्रतिशत कम प्वाइंट पर मांग सूची वहन लागत (आईसीसी) पाने की हकदार होगी। यह दर 4650 रुपए प्रति मी.टन (डीलर मार्जिन से कम एमआरपी अर्थात् 4830 रुपए-180 रुपए) मात्रा और बफर के रूप में रखे गए स्टॉक की अवधि पर लागू होगी। सहकारी समितियों के मामले में डीलर के मार्जिन के रूप में यह 4630 रुपए प्रति मी.टन होगा और इस मामले में यह 200 रुपए प्रति मी.टन है।
- कंपनी को बफर स्टॉक के रूप में मात्रा रखने पर 23 रुपए प्रति टन प्रतिमाह की दर पर गोदाम और बीमा प्रभार का भुगतान किया जाएगा।
- चूंकि सामग्री को दो चरणों अर्थात् संयंत्र से बफर स्टॉक प्वाइंट तक और तत्पश्चात् आगे खपत स्थल पर भेजा जाएगा, अतः उर्वरक कंपनी को बफर स्टॉक से बेची गई मात्रा पर 30 रुपए प्रति मी.टन की दर से अतिरिक्त हैण्डलिंग प्रभार का भुगतान किया जाएगा।
- इसके अलावा, सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2008 को घोषित भाड़ा राजसहायता की एकसमान नीति के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार ऐसे जिले, जहां गोदाम में बफर स्टॉक रखा गया है, वहां से स्टॉक को ब्लॉक तक ले जाए जाने के भाड़े का भी कंपनी को भुगतान किया जाएगा।

1.7 नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी

1.7.1. डीएपी/एनपीके/एमओपी की एमआरपी फरवरी 2003

से 17.6.2008 तक स्थिर रही है। तत्पश्चात् उर्वरक विभाग ने जून 2008 में पोषक-तत्व आधारित राजसहायता शुरू की है और तदनुसार, 18.6.2008 से एनपीके मिश्रित उर्वरकों की एमआरपी एक समान है। तथापि, अन्य उर्वरकों की एमआरपी समान रही। उर्वरकों की एमआरपी को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य

(रुपए प्रति मी.टन)

उत्पाद	दिनांक 12.3.2003 से 17.6.2008 तक	18.6.08 से
यूरिया	4830	4830
डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)	9350	9350
म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी)	4455	4455
मोनो-अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी) (1.4.2007 से)	9350	9350
ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) (1.4.2008 से)	7460	7460
सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) (1.5.2008 से 30.6.2009 तक) अखिल भारत एमआरपी	3400	3400
अमोनियम सल्फेट (एसएस) (1.7.2008 से)		10350
मिश्रित उर्वरकों के ग्रेड - एन:पी:के:एस		
16:20:00:13 (पूर्व में 16:20:00)	7100	5875
20:20:00:00	7280	5343
20:20:00:13	7280	6295
23:23:00:00	8000	6145
28:28:00:00	9080	7481
10:26:26:00	8360	7197
12:32:16:00	8480	7637
14:28:14:00	8300	7050
14:35:14:00	8660	8185
15:15:15:00	6980	5121
17:17:17:00	8100	5804
19:19:19:00	8300	6487

1.8 वैश्विक परिदृश्य

यूरिया, डीएपी और एमओपी जैसे प्रमुख उर्वरकों और अमोनिया, सल्फर, रॉक फॉस्फेट व फॉस्फोरिक एसिड जैसे उर्वरक आदानों के मूल्य में 2008-09 के दौरान काफी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, तैयार उर्वरकों तथा मध्यवर्तियों दोनों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है और इससे सरकार के राजसहायता परिव्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यूरिया का मूल्य, जो जनवरी, 2007 में 280.75 अमेरिकी डॉलर पोत पर्यंत निःशुल्क (एफओबी) प्रति मी.टन था, जनवरी, 2008 में बढ़कर 403.75 अमेरिकी डॉलर एफओबी प्रति मी.टन तथा अगस्त, 2008 में 815 अमेरिकी डॉलर एफओबी प्रति मी.टन हो गया। डीएपी का मूल्य, जो जनवरी, 2007 में 320.5 अमेरिकी डॉलर सीएफआर मी.टन था, बढ़कर जनवरी, 2008 में 802 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा मी.टन तथा मई, 2008 में 1331 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति टन हो गया। एमओपी का मूल्य, जो जनवरी, 2007 में 170 अमेरिकी डॉलर एफओबी प्रति मी.टन था, बढ़कर जनवरी, 2008 में 328 अमेरिकी डॉलर एफओबी प्रति मी.टन तथा अक्टूबर, 2008 में 945 अमेरिकी डॉलर एफओबी प्रति मी.टन हो गया।

कच्ची सामग्री के मूल्यों में भी पिछले एक वर्ष के दौरान काफी वृद्धि हुई है। अमोनिया का मूल्य, जो जनवरी, 2007 में औसतन 301.5 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति मी.टन (भारत) था, बढ़कर जनवरी, 2008 में 389 अमेरिकी डॉलर सीएफआर (भारत) प्रति मी.टन और सितम्बर, 2008 में 834 अमेरिकी

डॉलर लागत एवं भाड़ा (भारत) हो गया। फॉस्फोरिक एसिड के मूल्य में भी वर्ष के दौरान तीव्र वृद्धि देखने को मिली। फॉस्फोरिक एसिड का मूल्य, जो 2007-08 में 566.25 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति टन (वार्षिक संविदा मूल्य) था, बढ़कर अप्रैल-जून, 2008 में 1985 लागत एवं भाड़ा प्रति टन और जुलाई-सितम्बर, 2008 में 2310 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति टन हो गया। सल्फर का मूल्य, जो जनवरी, 2007 में 78.75 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति मी.टन था, बढ़कर जनवरी, 2008 में 561 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति मी.टन और जुलाई, 2008 में 846 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति टन और जुलाई, 2008 में 846 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति टन हो गया। रॉक फॉस्फेट का मूल्य, जो जनवरी, 2007 में 79.5 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति टन था, जनवरी, 2008 में बढ़कर 245 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति टन और जून, 2008 में 460 अमेरिकी डॉलर लागत एवं भाड़ा प्रति टन हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हुई वृद्धि का भारत में आयात किए जाने वाले तैयार उर्वरकों और कच्ची सामग्री के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप, राजसहायता परिव्यय 2008-09 में लगभग एक लाख करोड़ रुपए था।

जुलाई 2008 से जनवरी 2010 तक कच्ची सामग्रियों/मध्यवर्तियों/तैयार उर्वरकों के मूल्यों में गिरावट का रुझान रहा है। जनवरी 2010 में मूल्य तथा जुलाई 2008 और मार्च 2009 की तुलना को नीचे दर्शाया गया है:

(अमेरिकी डॉलर/मी.टन)

कच्ची सामग्री/मध्यवर्ती/उर्वरक	जुलाई 2008	मार्च 2009	जनवरी 2010
डीएपी	1291.90	414.00	499.13
एमओपी	725.00	767.50	381.25
यूरिया एफओबी	783.00	305.63	306.88
फॉस एसिड, भारत (लागत एवं भाड़ा)	2200-2310	650.760	610-627.50
अमोनिया (लागत एवं भाड़ा)	571.10	261.00	327.88
सल्फर (लागत एवं भाड़ा)	846.00	57.00	139.50
रॉक (लागत एवं भाड़ा)	384.00	301.00 (जनवरी 09 में)	142.50
सल्फ्यूरिक एसिड (लागत एवं भाड़ा) ब्राजील	360.00	0.00-50.0	35.38



अध्याय-2

2.1 संगठनात्मक ढाँचा तथा कार्य

- 2.1.1 उर्वरक विभाग के मुख्य कार्यकलापों में उर्वरक उद्योग की योजना बनाना, संवर्धन और विकास करना, उत्पादन की योजना बनाना और निगरानी करना, उर्वरकों का आयात और वितरण करना तथा स्वदेशी और आयातित उर्वरकों के लिए राजसहायता/रियायत के माध्यम से वित्तीय सहायता का प्रबन्धन करना शामिल है। समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के नियम, 1961 (कार्य आबंटन) के अनुसार उर्वरक विभाग को आबंटित विषयों की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।
- 2.1.2 इन प्रभागों का कार्य तीन संयुक्त सचिवों, एक आर्थिक सलाहकार और एक अतिरिक्त सचिव सह वित्तीय सलाहकार द्वारा देखा जा रहा है। विभाग मुख्यतः पांच प्रभागों में विभाजित है अर्थात् (i) उर्वरक नीति, यूरिया के लिए योजना और परियोजना (ii) उर्वरक नीति, पीएण्डके उर्वरकों के लिए योजना और परियोजना (iii) उर्वरक आयात, संचलन, वितरण तथा सामान्य प्रशासन व सतर्कता (iv) वित्त एवं लेखा, और (v) अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी।
- 2.1.3 संयुक्त सचिव (पीएण्डपी) फॉस्फेटयुक्त उर्वरक नीति, पीएण्डके राजसहायता भुगतान और सरकार की ओर से आयात का भुगतान, पीएण्डके उर्वरकों की संयुक्त उद्यम परियोजनाओं (घरेलू और विदेशी) तथा डब्ल्यूटीओ से जुड़े मामलों को देखते हैं।
- 2.1.4 संयुक्त सचिव (एफएण्डपी) एवं कार्यपालक निदेशक, एफआईसीसी (पदेन) को यूरिया नीति, विदेशों में संयुक्त उद्यम का पता लगाने के लिए पीएसयू संबंधी मामलों, सतर्कता, विशेष प्रयोजन तंत्र को छोड़कर, एफसीआईएल और एचएफसीएल सहित बंद पड़ी यूरिया इकाइयों के पुनरुद्धार, यूरिया उर्वरक संयुक्त उद्यम परियोजनाओं (घरेलू और विदेशी), संयुक्त उद्यम व दीर्घावधि उठान नीति सहित सम्पूर्ण परियोजना के समन्वय का कार्य सौंपा गया है।

2.1.5 संयुक्त सचिव (एएण्डएम) उर्वरकों के संचलन से संबंधित नीतियों तथा राज्यों के साथ समन्वय, पोत परिवहन और सरकार की ओर से यूरिया का आयात, संसदीय कार्य और समन्वय, शाखा प्रशासन और सतर्कता, एफएमएस यूरिया के उठान सहित ओमिपको संबंधी मामले, अंतिम दीर्घावधि उठान व्यवस्था के कार्यान्वयन का कार्य देखते हैं।

2.1.6 आर्थिक सलाहकार, जो संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है, विभाग को विभिन्न आर्थिक मामलों, एसएण्डटी परियोजनाओं, कृषि मंत्रालय संबंधी मामलों जैसे जैव उर्वरक, संतुलित उर्वरक, मृदा हेल्थ कार्ड, पोषक-तत्व खपत मामले, सूक्ष्म पोषक-तत्व, शहरी ठोस कचरे से कार्बनिक उर्वरक, नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी विषयों, स्वच्छ तकनीक और सामान्य पर्यावरणीय मामलों, विभिन्न उर्वरकों, मध्यवर्तियों और कच्ची सामग्री की आपूर्ति, मांग, उपलब्धता और मूल्य संचलन का पूर्वानुमान और नीति संबंधी मामलों में सहायता के लिए विशेष महत्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण करने के लिए सलाह देते हैं।

2.1.7 विभाग में 2010-2011 के दौरान कार्यरत प्रभारी मंत्री और उप सचिव स्तर तथा इससे ऊपर के अधिकारियों के नामों की सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

2.2 उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी)

2.2.1 उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) का कार्यालय उर्वरक विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय है जिसके प्रमुख, कार्यकारी निदेशक हैं। एफआईसीसी प्रारंभ में 1.12.1977 को गठित हुई थी जिसका उद्देश्य तत्कालीन प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना (आरपीएस) का प्रशासन और प्रचालन करना था। इस प्रतिधारण मूल्य ने देश में स्वदेशी उत्पादन और उर्वरकों की खपत को प्रोत्साहित किया। तथापि, और अधिक आंतरिक दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के लिए आरपीएस की इकाई विशिष्ट नीति के स्थान पर 1 अप्रैल 2003 से नई मूल्य निर्धारण योजना

(एनपीएस) के नाम से समूह आधारित रियायत योजना शुरू की गई। उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) नई मूल्य निर्धारण योजना के अंतर्गत यूरिया योजना को प्रशासित कर रहे हैं।

- 2.2.2 एफआईसीसी नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए मालभाड़ा दरों सहित समूह रियायत दरों की आवधिक रूप से समीक्षा करने, लेखा कार्य देखने, भुगतान करने और उर्वरक कंपनियों से वसूली करने, लागत निर्धारण और अन्य तकनीकी कार्य करने तथा उत्पादन आंकड़े, लागत व अन्य सूचना को एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने

के लिए जिम्मेदार होती है।

- 2.2.3 एफआईसीसी में भारत सरकार के उर्वरक विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, व्यय विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, टैरिफ आयोग का अध्यक्ष और यूरिया उद्योग के दो प्रतिनिधि शामिल हैं।
- 2.2.4 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के नौ (9) उपक्रम (पीएसयू), एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है, जिनकी सूची **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

◆◆◆



अध्याय—3

3.1 उर्वरक उद्योग का विकास और वृद्धि

3.1.1 क्षमता विकास

3.1.1 वर्तमान में, देश में बड़े आकार के 56 उर्वरक संयंत्र हैं जो नाइट्रोजनयुक्त, फॉस्फेटयुक्त और मिश्रित उर्वरकों की विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें से 30 इकाइयों (इस समय 28 इकाइयाँ कार्यरत हैं) में यूरिया, 21 इकाइयों में डीएपी और मिश्रित उर्वरक, 5 इकाइयों में लो एनेलिसिस स्ट्रेट नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है और 9 इकाइयाँ उप-उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती हैं। इसके अलावा, सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) का उत्पादन करने वाले छोटे और मध्यम दर्जे के लगभग 72 संयंत्र चल रहे हैं। उर्वरक उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता, जो दिनांक 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार 119.60 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन और 53.60 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेट थी, मामूली सी बढ़कर दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार 120.61 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन और 56.59 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेट हो गई है।

3.2 उत्पादन क्षमता और क्षमता उपयोग

3.2.1 वर्ष 2009-10 के दौरान उर्वरकों का उत्पादन 119.00 लाख मी.टन नाइट्रोजन और 43.21 लाख मी.टन फॉस्फेट था। वर्ष 2010-11 के लिए 125.16 लाख मी.टन नाइट्रोजन और 48.70 लाख मी.टन फॉस्फेट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जो 2009-2010 में हुए उत्पादन की तुलना में नाइट्रोजन में 5.2% और फॉस्फेट में 12.7% की वृद्धि दर्शाता है। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य स्थापित क्षमता से अधिक है। फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य कच्चे माल/मध्यवर्तियों, जिनका काफी मात्रा में आयात किया जाता है, की उपलब्धता में कठिनाइयों के कारण स्थापित क्षमता से कम है। तथापि, वर्ष के दौरान 'एन' और 'पी' दोनों का उत्पादन पिछले वर्ष की संबंधित अवधि से अधिक था।

3.2.2 वर्ष 2009-10 के दौरान नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटयुक्त दोनों उर्वरकों का उत्पादन संतोषजनक था। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य से

1.84 लाख मी.टन कम था क्योंकि स्पिक में कोई उत्पादन नहीं हुआ था। फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन इनके लक्ष्य से 1.90 लाख मी.टन अधिक था।

3.2.3 देश में यूरिया इकाइयों की स्थापित क्षमता निम्नानुसार है:—

1967-2010 के बीच स्थापित यूरिया इकाइयों की पुनः आकलित क्षमता

प्रारम्भ करने का वर्ष	इकाई	फीडस्टॉक व क्षेत्र	स्थापित क्षमता (लाख/मी.टन)
1967	जीएसएफसी - बड़ौदा	गैस-निजी	3.706
1969	एसएफसी - कोटा	नेपथा-निजी	3.790
1970	डीआईएल - कानपुर	नेपथा-निजी	7.220
1971	एमएफएल - मद्रास	नेपथा-सार्वजनिक	4.868 [@]
1973	जेडआईएल - गोवा	नेपथा-निजी	3.993
1975	एसपीआईसी - तुतीकोरिन	नेपथा-निजी	6.200
1976	एमसीएफएल - मंगलौर	नेपथा-निजी	3.800
1978	एनएफएल - नांगल	एफओ/एलएसएचएस-सार्वजनिक	4.785
1978	इफको - कलोल	गैस-सहकारी	5.445 [@]
1979	एनएफएल - भटिण्डा	एफओ/एलएसएचएस-सार्वजनिक	5.115
1979	एनएफएल - पानीपत	एफओ/एलएसएचएस-सार्वजनिक	5.115
1981	इफको - फूलपुर	नेपथा-सहकारी	5.511
1982	आरसीएफ - ट्राम्बे-V	गैस-सार्वजनिक	3.30
1982	जीएनएफसी - भरुच	एफओ/एलएसएचएस-निजी	6.360
1985	आरसीएफ - थाल	गैस-सार्वजनिक	17.068
1986	कृमको - हजीरा	गैस-सहकारी	17.292
1987	बीवीएफसीएल-नामरूप-III (पूर्व में एचएफसी)	गैस-सार्वजनिक	3.150
1988	एनएफएल - विजयपुर	गैस-सार्वजनिक	8.646
1988	इफको - आँवला	गैस-सहकारी	8.646
1988	इंडोगल्फ - जगदीशपुर	गैस-निजी	8.646
1992	एनएफसीएल - काकीनाडा	गैस-निजी	5.970
1993	सीएफसीएल - गडपान	गैस-निजी	8.646
1994	टीसीएल - बबराला	गैस-निजी	8.646
1995	कृमको श्याम - शाहजहाँपुर (पूर्व में ओसीएफएल)	गैस-निजी	8.646
1996	इफको - आँवला विस्तार	गैस-सहकारी	8.646
1997	एनएफएल - विजयपुर विस्तार	गैस-निजी	8.646
1997	इफको - फूलपुर विस्तार	नेपथा-सहकारी	8.646
1998	एनएफसीएल - काकीनाडा विस्तार	नेपथा-निजी	5.970
1999	सीएफसीएल - गडपान विस्तार	नेपथा-निजी	8.646
2005	बीवीएफसीएल - नामरूप-II	गैस-सार्वजनिक	2.400 [@]

टिप्पणी: / पुनरुद्धार के पश्चात्

3.2.4 कंपनियों के निम्नलिखित 9 यूरिया संयंत्र विभिन्न कारणों से वर्तमान में बंद हैं/बंद किए जा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, सीमित फीडस्टॉक, इकाई/कम्पनी की अव्यवहार्यता और भारी वित्तीय घाटा शामिल है।

क्र. सं.	कंपनी/इकाई का नाम	कंपनी बंद होने की तारीख	वार्षिक स्थापित क्षमता (लाख मी.टन में)
1.	एफसीआई: गोरखपुर	10.06.1990	2.85
2.	एफसीआई: रामागुण्डम	01.04.1999	4.95
3.	एफसीआई: तलचर	01.04.1999	4.95
4.	एफसीआई: सिन्दरी	16.03.2002	3.30
5.	एचएफसी: दुर्गापुर	01.07.1997	3.30
6.	एचएफसी: बरौनी	01.01.1999	3.30
7.	आरसीएफ: ट्राम्बे-I	01.05.1995	0.98
8.	एनएलसी: नेवेली	31.03.2002	1.53
9.	फैक्ट: कोचीन-I	15.05.2001	3.30
	कुल		28.46

टिप्पणी: डीआईएल-कानपुर (7.22 लाख मी.टन) का उत्पादन वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द कर दिया गया था।

3.2.5 स्वदेशी उर्वरक उद्योग ने कुल मिलाकर क्षमता उपयोग का वह स्तर प्राप्त कर लिया है, जिसकी तुलना दुनिया में अन्य देशों से की जा सकती है। वर्ष 2009-10 के दौरान नाइट्रोजन का क्षमता उपयोग 98.8% और फॉस्फेट का क्षमता उपयोग 76.8% था। वर्ष 2009-10 के दौरान नाइट्रोजन का अनुमानित क्षमता उपयोग 99.2% और फॉस्फेट का 76.9% है। इस सकल क्षमता उपयोग में से वर्ष 2009-10 में यूरिया संयंत्रों का क्षमता उपयोग 104.4% था और वर्ष 2010-11 में 104.3% है। फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के संबंध में पहले उल्लेख की गई बाधाओं के अलावा वास्तविक उत्पादन क्षमता उपयोग भी मांग रुझानों से प्रभावित रहा है।

3.2.6 उर्वरक उद्योग के क्षमता उपयोग, विशेषकर यूरिया के मामले में मौजूदा संयंत्रों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण के जरिए और अधिक सुधार होने की आशा है।

3.2.7 वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान स्थापित क्षमता, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग का इकाई-वार विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

3.3 विकास की रणनीति

3.3.1 उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई गई है:

- मौजूदा उर्वरक संयंत्रों की रिट्रोफिटिंग/नवीनीकरण के जरिए विस्तार और अतिरिक्त क्षमता/दक्षता वृद्धि करना।
- प्रचुर मात्रा और सस्ता कच्चा माल स्रोतों से सम्पन्न देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करना।
- यूरिया के उत्पादन के लिए सस्ते और स्वच्छ फीडस्टॉक की स्वदेशी उपलब्धता की बाधाओं को दूर करने के लिए तरल प्राकृतिक गैस, कोयला गैसीकरण आदि जैसे वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का पता लगाना।
- ब्राउनफील्ड इकाइयाँ स्थापित करके बन्द पड़ी इकाइयों का पुनरुद्धार करना, बशर्ते कि गैस उपलब्ध हो।

3.4 फीडस्टॉक नीति

3.4.1 वर्तमान में, प्राकृतिक गैस आधारित संयंत्रों द्वारा वर्तमान में 66% से अधिक यूरिया का उत्पादन किया जाता है और 30% से कम यूरिया का उत्पादन करने के लिए नेपथा का प्रयोग किया जाता है तथा शेष क्षमता फीडस्टॉक के रूप में ईंधन तेल और एलएसएचएस पर आधारित है। रामागुण्डम तथा तलचर स्थित कोयला आधारित दो संयंत्रों को प्रौद्योगिकीय पुरानेपन एवं अव्यवहार्यता के कारण बंद कर दिया गया था।

3.4.2 यूरिया के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में नेपथा और एफओ/एलएसएचएस की तुलना में प्राकृतिक गैस को बेहतर फीडस्टॉक माना जाता है क्योंकि एक तो यह ऊर्जा का अपेक्षाकृत दक्ष और स्वच्छ स्रोत है, और दूसरे यह अन्य फीडस्टॉकों की तुलना में यूरिया की उत्पादन लागत से बहुत सस्ता और अधिक किफायती है, जिसका यूरिया को दी जाने वाली राजसहायता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

3.4.3 तदनुसार, जनवरी, 2004 में घोषित मूल्य निर्धारण नीति में प्रावधान है कि यदि प्राकृतिक गैस/एलएनजी का फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है तो कठिनाइयों को दूर करके/पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण द्वारा नई यूरिया परियोजनाओं, मौजूदा



यूरिया इकाइयों के विस्तार और क्षमता वृद्धि को भी अनुमति/मान्यता प्रदान की जाएगी। इन्हीं कारणों की वजह से, मौजूदा नेफ्था/एफओ/एलएसएचएस आधारित यूरिया इकाइयों को फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस/एलएनजी का प्रयोग करने वाली इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए जनवरी 2004 में एक नीति भी तैयार की गई है, जो प्राकृतिक गैस/एलएनजी में शीघ्र परिवर्तित करने को प्रोत्साहित करती है। गैर-गैस यूरिया इकाइयों को गैस में परिवर्तित करने की नीति बनाने के अनुसरण में तीन नेफ्था आधारित संयंत्र अर्थात् चंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल), गडपान-II और इफको-फूलपुर-I और II को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित किया जा चुका है। श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एसएफसी-कोटा) ने भी 22 सितम्बर, 2007 से गैस का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है।

3.5 उर्वरक क्षेत्र के लिए गैस की आवश्यकता और उपलब्धता

3.5.1 वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान उर्वरक क्षेत्र के लिए गैस की अनुमानित वर्षवार/संयंत्र वार अतिरिक्त आवश्यकता, जिसकी सूचना ईजीओएम द्वारा आबंटन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (जनवरी 2011 के अनुसार) को दी गई है, का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	इकाई का नाम		प्राकृतिक गैस की वर्षवार/संयंत्रवार अतिरिक्त आवश्यकता			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
	क	नेफ्था आधारित				
1		जेडआईएल-गोवा	0.00	1.28	1.28	1.28
2.		एमसीएफएल मंगलौर	0.00	1.00	1.00	1.00
3		स्पिक-तूतीकोरिन	0.00	1.66	1.66	1.66
4.		एमएफएल-मणलि	1.54	1.54	1.54	1.54
5		फैक्ट.उद्योगमंडल	0.00	0.94	0.94	0.94
6.		डीआईएल.कानपुर	0.00	1.70	1.70	1.70
	I	नेफ्था आधारित संयंत्रों का उप-योग	1.54	8.12	8.12	8.12
	ख	ईंधन-तेल आधारित				
7		एनएफएल-पानीपत	0.00	0.90	0.90	0.90
8		एनएफएल-नांगल	0.00	1.00	1.00	1.00
9.		एनएफएल-बठिण्डा	0.00	0.90	0.90	0.90
10		जीएनवीएफसी-भरुच	0.00	0.95	0.95	0.95

क्र.सं.	इकाई का नाम		प्राकृतिक गैस की वर्षवार/संयंत्रवार अतिरिक्त आवश्यकता			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
	II	ईंधन-तेल आधारित संयंत्रों का उप-योग	0.00	3.75	3.75	3.75
	ग	विस्तार इकाइयाँ				
11		इफको-कलोल	0.00	0.00	2.90	2.90
12		कृमको-हजीरा	0.00	0.00	2.20	2.20
13		आरसीएफ-थाल	0.00	0.00	2.20	2.20
14		सीएफसीएल-गडपान	0.00	0.00	2.40	2.40
15		टीसीएल-बबराला	0.00	0.00	2.20	2.20
16		आईजीएफएल-जगदीशपुर	0.00	0.00	2.20	2.20
17		केएसएफएल-शाहजहांपुर	0.00	0.00	2.22	2.22
		एनएफसीएल-काकीनाडा (आ. प्रदेश)	0.00	0.00	2.4	2.4
	III	विस्तार इकाइयों का उप-योग	0.00	0.00	18.72	18.72
		I+II+III का योग	1.54	11.87	30.59	30.59
	घ	बंद इकाइयाँ				
18		एचएफसीएल-दुर्गापुर	0.00	0.00	2.20	2.20
19		एचएफसीएल-बरौनी	0.00	0.00	2.20	2.20
20		एचएफसीएल-हल्दिया	0.00	0.00	2.20	2.20
21		एफसीआई-रामागुंडम	0.00	0.00	2.20	2.20
22		एफसीआई-तलचर	0.00	0.00	2.20	2.20
23		एफसीआई-सिंदरी	0.00	0.00	2.20	2.20
24		एफसीआई-कोरबा	0.00	0.00	2.20	2.20
25		एफसीआई-गोरखपुर	0.00	0.00	2.20	2.20
	IV	बंद इकाइयों का उप-योग	0.00	0.00	17.60	17.60
	ङ	पुनरुद्धार परियोजनाएं				
26		कृमको-हजीरा	0.80	0.80	0.80	0.80
27		एनएफएल-विजयपुर	0.60	0.60	0.60	0.60
28		सीएफएल-काकीनाडा	0.04	0.60	0.70	0.70
29		आरसीएफ-थाल	0.45	0.45	0.45	0.45
	V	पुनरुद्धार योजनाओं का उप-योग	1.89	2.45	2.55	2.55
	च	ग्रीन फील्ड परियोजनाएं				
30		मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, बुर्दवान	0.55	3+20+1 (कम आबंटन के लिए)	4.75	4.75
31		जेडआईएल-ग्रीनफील्ड परियोजना-बेलगांव	0.00	0.00	2.46	2.46
32		डीआईएल-कानपुर	0.00	3.85 (फीडस्टॉक के लिए) 1.0 वाष्प उत्पादन के लिए)	4.60	4.60

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्राकृतिक गैस की वर्षवार/संयंत्रवार अतिरिक्त आवश्यकता			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
33	जेएसएफसी-दाहेज	0.00	0.00	3.50	3.50
34	जीएनवीएफसी	1.00 (सीपीएसयू)	1.00	1.00	1.00
35	ओसवाल केमि. एंड फर्टि. लि.	0.00	2.4	2.4	2.4
	VI ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का उप-योग	1.55	12.45	18.71	18.71
	सकल योग	4.98	26.77	69.45	69.45

3.5.2. यह आशा है कि गैस की उपर्युक्त उपलब्धता से वर्तमान इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बंद पड़ी उर्वरक इकाइयाँ पुनः चालू हो सकेंगी, नई ग्रीन फील्ड/ब्राउन फील्ड परियोजनाएं स्थापित होंगी और गैर-गैस आधारित इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित किया जा सकेगा, जिससे देश में यूरिया की कुल उत्पादन क्षमता 31 मिलियन टन से भी अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार, आशा की जाती है कि 11वीं योजना के अंत तक आपूर्ति शृंखला और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा सहित यूरिया की अनुमानित आवश्यकता लगभग 31 मिलियन टन हो जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि उचित मूल्य पर गैस की उपर्युक्त उपलब्धता से देश 11वीं योजना के अंत तक यूरिया के मामले में आत्म निर्भर हो जाएगा। गैस की उपर्युक्त उपलब्धता से हमारा देश यूरिया के क्षेत्र में निर्यात अधिशेष देश बन सकेगा।

3.5.3. गैस की उपर्युक्त आवश्यकता यूरिया उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपेक्षित आवश्यकता पर आधारित है। यह इस तथ्य के आलोक में आवश्यक है कि हमारे कृषि क्षेत्र को उर्वरकों के अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है और इसके साथ ही उर्वरक राजसहायता राशि को कम करना भी आवश्यक है। यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जिसके मामले में देश भविष्य में गैस की अनुमानित उपलब्धता होने से आत्मनिर्भर बन सकता है। फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त क्षेत्र में, हम अधिकांशतः आयात पर निर्भर हैं और इन उर्वरकों के विश्व मूल्यों में बड़े पैमाने पर होने वाली अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।

3.5.4. गैस की उपर्युक्त उपलब्धता से भविष्य में स्वदेशी

उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है बशर्ते कि गैस उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। विश्वभर में गैस के मूल्यों में वृद्धि हो रही है लेकिन गैस संसाधन सम्पन्न देश उर्वरक क्षेत्र के लिए विशेष सुनिश्चित मूल्य पर गैस उपलब्ध कराते हैं। मध्य पूर्व और उत्तर पूर्व अफ्रीका में उर्वरक क्षेत्र लगभग 50 सेंट प्रति एमएमबीटीयू से 1.5-2 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के बीच के गैस मूल्यों पर आधारित है। इससे इन देशों में उत्पादन लागत में कमी आई है और ये विश्व में यूरिया के प्रमुख निर्यातक भी हैं।

3.5.5. भारत में उत्पादन शुरू करने से देश न केवल यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा और माँग से प्रभावित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि से बचा जा सकेगा, बल्कि इससे देश में आर्थिक कार्यकलाप, रोजगार में वृद्धि तथा औद्योगिक विकास होगा। उत्पादन लागत के बराबर मूल्य पर मध्य पूर्व देशों से आयात करने की तुलना में गैस के इन्हीं मूल्यों पर देश में उत्पादन करने से देश को यूरिया में लगभग 60 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन की बचत होगी। यह बचत कम पूँजी लागत (लगभग 20 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन), नौ परिवहन भाड़ा (20 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन) और बंदरगाह हैंडलिंग प्रभार (20 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन) के कारण होगी। इसके अतिरिक्त, संयंत्र की अवस्थिति के आधार पर यूरिया के आंतरिक परिवहन के कारण बचत होगी।

3.5.6. गैस के मूल्य निर्धारण में उपलब्धता के मुद्दे के अतिरिक्त इस क्षेत्र का अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश की मौजूदा यूरिया इकाइयों और भविष्य में प्रस्तावित यूरिया इकाइयों को गैस पाइपलाइन से जोड़ने का प्रावधान करना। वर्तमान में, प्रचालनरत 8 इकाइयाँ गैस ग्रिड पर नहीं हैं और गैस में परिवर्तित किए जाने के लिए उन्हें गैस ग्रिड से जोड़ना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, एफसीआईएल और एचएफसीएल की बंद पड़ी 8 इकाइयाँ इस समय गैस ग्रिड से दूर हैं और इन बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए उन्हें गैस पाइपलाइन से जोड़ना पूर्वापेक्षा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश की मौजूदा और बंद पड़ी इकाइयों को 2012 तक गैस पाइपलाइन से जोड़ने के लिए निम्नलिखित योजना बनाई है:-

पाइपलाइन कनेक्टिविटी योजना (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार)

क्र.सं.	प्रस्तावित पाइपलाइन	संयंत्रों को जोड़ने वाली एजेंसी	कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित उर्वरक इकाई	कनेक्टिविटी का संभावित वर्ष
	नेफ्था आधारित संयंत्र			
1.	दाभोल-गोगक-बंगलौर	गेल	जेडआईएल, गोवा	2012
2.	चेन्नई- बंगलोर-मंगलोर	आरजीटीआईएल	एमसीएफएल, मंगलौर	दिसंबर 2012
3.	कोच्चि-कंजरीकोड-बंगलोर-मंगलौर	गेल	फैक्ट, कोचीन	2012
4.	चेन्नई-तूतीकोरिन	आरजीटीआईएल	स्पिक, तूतीकोरिन	दिसंबर 2012
5.	काकीनाड़ा-चेन्नई	आरजीटीआईएल	एमएफएल-चेन्नई	दिसंबर 2012
	ईंधन तेल/एलएसएचएस आधारित संयंत्र			
6.	दादरी-बवाना-नंगल	गेल	एनएफएल-नांगल, पानीपत, बठिण्डा	2009-10
	बंद पड़ी इकाइयाँ			
7.	यूरान से हैदराबाद मार्ग से काकीनाड़ा पर स्पर	आरजीटीआईएल	एफसीआई-रामागुंडम	
8.	जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन से स्पर	गेल	एफसीआई, सिंदरी एफसीआई, गोरखपुर एचएफसी, बरौनी एचएफसी, दुर्गापुर एचएफसी, हल्दिया	2012-13
9.	काकीनाड़ा-हल्दिया पाइपलाइन से स्पर	आरजीटीआईएल	एफसीआई, तलचर	

3.6 विदेशों में संयुक्त उद्यम

3.6.1 नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में गैस, जो वरीयता प्राप्त ईंधन है, की उपलब्धता में बाधाओं और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन हेतु आयातित कच्चे माल पर देश की लगभग पूर्ण निर्भरता के कारण सरकार भारतीय कंपनियों को विदेशों में उर्वरक संसाधनों की प्रचुरता वाले देशों में वापस खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत संयुक्त उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करती रही है।

3.6.2 मौजूदा संयुक्त उद्यमों, नामतः ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफको), ओमान इन यूरिया एंड इंडस्ट्रीज विमिक्वूम्स डु सेनेगल (आईसीएस), सेनेगल एंड इंडो-मैरोक फोस्फोर (आईएमएसीआईडी), मोरोक्को इन फोस्फेट ने देश को यूरिया और फॉस्फोरिक एसिड, जो फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए

एक महत्वपूर्ण आदान है, की आपूर्ति के सुनिश्चित स्रोत दिए हैं। इसके अलावा, दो और परियोजनाओं, नामतः जोर्डन में जोर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (जिफको) और तुनिशिया में तुनिशिया इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (टीआईएफआईआरटी) को वर्ष 2010 में स्थापित किया जाना है। उर्वरक क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

3.6.2.1 ओमिफको, ओमान:

कृषक भारती कोऑपरेटिव लि0 (कृभको), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि0 (इफको) और ओमान ऑयल कंपनी ने क्रमशः 25%, 25% और 50% की शेयरधारिता के साथ आपस में मिलकर ओमान में 892 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से एक विश्वस्तरीय यूरिया-अमोनिया उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है। ओमान के तटवर्ती शहर सुर में 5060 मी.

टन प्रतिदिन दानेदार यूरिया और 3500 मी.टन प्रतिदिन अमोनिया उत्पादन संयंत्र सहित अन्य सभी अपतट और उपयोगी सुविधाएं हैं। इस उर्वरक परिसर की वार्षिक क्षमता 16.52 लाख मी.टन दानेदार यूरिया है। पूर्व निर्धारित कीमतों पर यूरिया उठान करार (यूओटीए) के अनुसार यूरिया की पूर्ण मात्रा को भारत सरकार द्वारा उठा लिया जाता है। अतिरिक्त मात्रा के लिए सहमत मूल्य के अनुसार भारत सरकार भी यूरिया की अधिशेष मात्रा, यदि कोई हो, को उठाती है। इसके अलावा, संयंत्र प्रतिवर्ष 2.5 लाख मी.टन का उत्पादन करता है जिसके लिए इफको ने अमोनिया उठान करार (एओटीए) किया है। ओमिफको यूरिया और अमोनिया के उत्पादन का विस्तार और वृद्धि करने की संभावना पर विचार कर रहा है।

3.6.2.2 आईसीएस सेनेगल

भारत सरकार, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) और सदरन पेट्रो-केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड (स्पिक) ने पूर्व में सेनेगल में इंडस्ट्रीज़ केमिकयूस डु सेनेगल (आईसीएस) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई थी। बाद में स्पिक परियोजना से हट गई। हाल में कंपनी को वित्तीय हानि हुई है। तथापि, आईसीएस सेनेगल का 2008 में पुनर्गठन किया गया है जिसमें भारत सरकार, इफको और अन्य भारतीय परिसंघ भागीदारों का 85% तथा सेनेगल सरकार का 15% शेयर है। डाकार क्षेत्रीय उच्च न्यायालय (सेनेगल) द्वारा पुनर्गठन योजना को 27 मार्च 2008 को अनुमोदित करने के बाद यह योजना लागू हो गई है और पुनर्गठित आईसीएस सेनेगल प्रचलन में है।

आईसीएस सेनेगल के संयंत्रों की क्षमता प्रतिवर्ष 6.60 लाख टन फॉस्फोरिक एसिड और तैयार फॉस्फेट उर्वरकों जैसे डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने की है। आईसीएस संयंत्र द्वारा उत्पादित लगभग 5.5 लाख मी.टन फॉस्फोरिक एसिड के एक बड़े हिस्से का उपयोग इफको के साथ दीर्घावधि वापस खरीद व्यवस्था के जरिए करके देश में फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है। आईसीएस सेनेगल द्वारा उत्पादित तैयार उर्वरक, डीएपी और मिश्रित उर्वरक सेनेगल में घरेलू खपत के लिए है।

3.6.2.3 आईजेसी जार्डन

स्पिक, जार्डन फास्फेटस माइन्स कंपनी लिमिटेड (जेपीएमसी) और अरब इन्वेस्टमेंट कंपनी (एआईसी) ने

मई 1997 में 2.24 लाख टन फॉस्फोरिक एसिड प्रतिवर्ष उत्पादन की क्षमता वाली एक संयुक्त उद्यम परियोजना, इंडो जार्डन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड (आईजेसी) नाम से शुरू की थी। इस संयुक्त उद्यम की 52.17% इक्विटी स्पिक द्वारा, 34.86% जेपीएमसी तथा 12.97% एआईसी द्वारा निर्धारित है। आईजेसी द्वारा उत्पादित फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा को स्पिक तथा भारत में अन्य उर्वरक संयंत्रों द्वारा उठाया जाता है।

3.6.2.4 आईएमएसीआईडी मोरोक्को

आईएमएसीआईडी, जो ऑफिस चेरिफिएन डेस फॉस्फेटस (ओसीपी), मोरोक्को तथा चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल), भारत के बीच एक संयुक्त उद्यम है, की अक्टूबर 1999 में मोरोक्को में स्थापना की गई थी। टाटा केमिकल्स लिमिटेड (टीसीएल) के शामिल होने के बाद से संयंत्र की क्षमता बढ़कर 4.30 लाख मी.टन प्रतिवर्ष हो गई है। प्रारंभ में उद्यम ने 65 मिलियन अमरीकी डॉलर की इक्विटी ओसीपी और सीएफसीएल द्वारा समान रूप से धारित थी। बाद में, मई 2005 में ओसीपी और सीएफसीएल दोनों ने आईएमएसीआईडी में अपने एक-तिहाई इक्विटी दावे को टाटा केमिकल्स लिमिटेड को बेच दिया है।

3.7 कार्यान्वयनाधीन/विचाराधीन विदेशी संयुक्त उद्यम

3.7.1 जेआईएफसीओ जार्डन

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लि0 (इफको) और जार्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी (जेपीएमसी) ने जार्डन में 1500 मी.टन फॉस्फोरिक एसिड प्रतिदिन (एमटीपीडी) की स्थापित क्षमता से जार्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (जेआईएफसीओ) नामक एक संयुक्त उद्यम फॉस्फोरिक एसिड उत्पादन संयंत्र की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की है। परियोजना में इफको और जेपीएमसी के बीच केन्द्रीय इक्विटी धारिता क्रमशः 52:48 है। परियोजना के 2010 तक स्थापित होने की संभावना है।

3.7.2 टीआईएफईआरटी तुनिशिया

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि0 (जीएसएफसी) और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएल), जो पूर्व में दोनों कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (सीएफएल) नामक भारतीय कंपनियां थीं, तथा गुपे चिमिक तुनिशियन कंपनी द्वारा 3.6 लाख मी. टन फॉस्फोरिक एसिड प्रतिवर्ष उत्पादन करने के लिए



तुनिशिया में तुनिशियन इंडियन फर्टिलाइजर्स एस.ए. (टीआईएफआईआरटी) नामक एक संयुक्त उद्यम परियोजना की स्थापना की गई। फॉस्फोरिक एसिड का पूर्ण उत्पादन जीएसएफसी और सीआईएल द्वारा उठाया जाएगा। इस संबंध में पक्षकारों के बीच अक्टूबर, 2005 में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 165 मिलियन अमेरिकी डालर $\pm 5\%$ है, जिसमें इक्विटी 66 मिलियन अमेरिकी डालर तथा ऋण 99 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। परियोजना के 2010 में स्थापित होने की संभावना है।

3.7.3 सीरिया में सहयोग

भारत-सीरिया संयुक्त आयोग ने जनवरी 2008 में आयोजित अपनी बैठक में फॉस्फेटयुक्त कच्ची सामग्रियों और उत्पादों के क्षेत्र में दोनों देशों के परस्पर हितों पर विचार किया था। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देश सीरिया में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्य करेंगे। तदनुसार, भारतीय कंपनियों के परिसंघ, जिसमें एमईसीओएन, आरआईटीईएस तथा पीडीआईएल (सभी केन्द्रीय सरकार के पीएसयू) शामिल हैं, और जिन्हें खनन, परिष्करण, प्रोसेसिंग, फॉस्फेटयुक्त संयंत्रों की स्थापना और प्रचालन तथा संभार-तंत्र पहलुओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हैं, सीरिया में गेकोफाम के साथ क्षमता विस्तार परामर्शी अध्ययन कर रहे हैं। भारत सरकार इस अध्ययन का वित्त-पोषण कर रही है। इस विभाग और जीईसीओपीएचएम के बीच मई 2009 में किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार भारतीय परिसंघ ने व्यवहार्यता अध्ययन किए, जो अब पूरे हो चुके हैं और सीरिया के प्राधिकारियों को पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट सौंप दी गई है। इन देशों के बीच फास्फेट क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2010 से सरकार के स्तर पर एक समझौता ज्ञापन किया गया है। उर्वरक विभाग और परिसंघ का एक प्रतिनिधिमंडल मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट और अन्य पहलुओं पर सीरिया के प्राधिकारियों से चर्चा करने के लिए फरवरी 2011 में सीरिया का दौरा करेगा ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके।

3.7.4 रूस के साथ सहयोग

रूस के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान दिनांक 12.03.2010 को भारत और रूस की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार, उत्पादन, संयुक्त

उद्यमों की संभावित स्थापना, निवेश और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सहयोग करने, सूचना का आदान-प्रदान करने, खनिज उर्वरकों के उत्पादन और खपत के मामलों पर परामर्श करने, अनुभव का आदान-प्रदान करके विशेषज्ञों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने, खनिज उर्वरकों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए संयुक्त सम्मेलनों, परिसंघों और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की अभिकल्पना की गई है।

3.7.5 इंडोनेशिया में सहयोग

कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र लगाने की तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 30.10.2010 से 2.11.2010 के दौरान सचिव (उर्वरक) के नेतृत्व में इंडोनेशिया के दौरे पर गए दल द्वारा इंडोनेशिया के प्राधिकारियों के साथ प्रारंभिक चर्चा की गई। जनवरी 2011 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के दौरे के समय निम्नलिखित दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए:

- (i) इंडोनेशिया में अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करने और उस संयंत्र से उत्पादित सरप्लस यूरिया के उठान का करार करने के लिए समझौता-ज्ञापन।
- (ii) 3 लाख मी.टन यूरिया और 2.5 लाख मी.टन एनपीके मिश्रित उर्वरक की विनिर्दिष्ट ग्रेडों की आपूर्ति के लिए करार।

3.7.6 आस्ट्रेलिया में संयुक्त उद्यम

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि० (इफको) ने लेडी एन्नी माइन्स (क्वीन्स लैण्ड में जोर्जिना बेसिन) में रॉक फॉस्फेट का संयुक्त खनन करने तथा तीन मिलियन मी.टन वार्षिक उठान सुनिश्चित करने के लिए आस्ट्रेलिया की लेजेंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स के साथ 'सैद्धांतिक उठान करार' किया है। आस्ट्रेलिया में रॉक फास्फेट खनन करने के लिए कुल 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की परिकल्पना की गई है। इफको को लेजेंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स में 30 मिलियन विकल्प प्राप्त होंगे। इफको लेजेंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स को उनके फॉस्फेट खान के विकास में तकनीकी और वित्तीय दोनों सुविधा उपलब्ध कराएगा तथा अपने उत्पाद को पोत द्वारा भारत भेजेगा।

कृभको और एनडब्ल्यूसीएफ, जो आस्ट्रेलिया में एक

निजी कंपनी है, आस्ट्रेलिया में कोयला आधारित एक अमोनिया-यूरिया संयंत्र लगा रही हैं। इस परियोजना की लागत लगभग 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी और कृषकों की साम्या लगभग 165 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। आस्ट्रेलिया कंपनी ने यूरिया की आपूर्ति के लिए 20 वर्ष का करार करने का प्रस्ताव किया है। पारस्परिक निबंधन एवं शर्तों पर करार और जिस मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराया जाना है उसको अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

3.7.7 घाना में संयुक्त उद्यम

घाना में मौजूद गैस भण्डार को देखते हुए घाना नाइट्रोजन फीडस्टॉक का एक संपन्न स्रोत है। घाना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएनपीएल), घाना के अध्यक्ष ने सितंबर 2009 में भारत के अपने दौरे के दौरान सचिव (उर्वरक) से मुलाकात की और उनसे उर्वरक क्षेत्र में सहयोग की संभावना पर विचार-विमर्श किया। घाना में अमोनिया-यूरिया संयंत्र (गैस आधारित) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। परियोजना के प्रस्ताव को उचित आकार देने के लिए दोनों देशों के बीच जुलाई 2010 में सरकारी स्तर पर एक समझौता ज्ञापन किया गया है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए आरसीएफ और पीडीआईएल के अधिकारियों के तकनीकी दल ने घाना को दौरा किया। आरसीएफ और पीडीआईएल द्वारा तैयार की गई स्थल चयन रिपोर्ट और पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई और घाना के प्राधिकारियों को उपलब्ध कराई गई। जनवरी 2011 में इस मामले की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में एक दल ने घाना का दौरा किया। गैस के मूल्य निर्धारण पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए घाना के प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

3.7.8 उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए विचार-विमर्श

3.7.8.1 उर्वरकों के उत्पादन और उठान संबंधी परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए दीर्घावधि सहयोग हेतु निम्नलिखित संसाधन संपन्न देशों में उर्वरक तथा खनन कंपनियों के साथ बातचीत की जा रही है—

- (i) मातम फास्फेट खानों के विकास के लिए सेनेगल सरकार के साथ सरकारी स्तर पर बातचीत चल रही है।

(ii) भारतीय कंपनियों के दो पृथक परिसंघ, जिनमें आईपीएल और इफको तथा एमएमटीसी और आरसीएफ शामिल हैं, द्वारा पोटैश का खनन करने तथा उसे भारत द्वारा उठाए जाने के लिए संयुक्त उद्यम परियोजना की स्थापना हेतु सस्काचेवन प्रांत में क्रमशः मैसर्स पोटैश वन और मैसर्स अथाबास्का इंक के साथ चर्चा कर रही हैं। आरसीएफ और एमएमटीसी का परिसंघ, जो अथाबास्का के साथ बातचीत कर रहा है, ने तकनीकी, विपणन और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन और आकलन करने के लिए अथाबास्का के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना लगाने हेतु एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने संबंधित सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए एक गोपनीय करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इफको और आईपीएल परिसंघ ने पोटैश वन से परियोजना में शामिल विस्तृत लागत और अन्य आर्थिक मापदंड उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है।

(iii) आरसीएफ और दक्षिण अफ्रीका की आईडीसी / फॉसकोर कंपनियां मोजाम्बिक के राजधानी शहर, मापुटो बंदरगाह के निकट एक फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया-यूरिया उर्वरक परियोजना की स्थापना की संभावनाओं की खोज कर रही हैं। फलाबोरबा, दक्षिण अफ्रीका में फॉस्फेट की नई खान से रॉक के स्रोत के लिए एक परियोजना लगाने का प्रस्ताव है। आरसीएफ और आईडीसी / फॉसकोर के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उर्वरक विभाग एक संयुक्त उद्यम अमोनिया-यूरिया परियोजना की स्थापना के लिए मोजाम्बिक में गैस के आबंटन के लिए मैसर्स सासोल के साथ बातचीत कर रहा है।

3.7.8.2 मैसर्स स्पिक और चंबल फर्टिलाइजर्स द्वारा 4.00 लाख मी.टन यूरिया प्रतिवर्ष का उत्पादन करने के लिए यूएई, दुबई में एक गैस आधारित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रही है।

3.7.8.3 भारत द्वारा कतर में वापस खरीद शर्त सहित एक अमोनिया-यूरिया परियोजना की स्थापना करने संबंधी संभावनाओं की खोज करने के लिए भी बातचीत की जा रही है। इफको और क्वापको (कतर की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी) ने इसके लिए 24.2.2009 को एक 'आशय करार' पर हस्ताक्षर किए हैं।

♦♦♦



अध्याय-4

4.1 वर्ष 2010-11 के दौरान प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता

नियंत्रित उर्वरक – यूरिया

- 4.1.1 यूरिया, जो सरकार के आंशिक संचलन नियंत्रण के अधीन एकमात्र उर्वरक है, की उपलब्धता खरीफ 2010 तथा मौजूदा रबी 2010-11 (दिसंबर 2010 तक) के दौरान संतोषजनक बनी रही।

खरीफ 2010

- 4.1.2 1.4.2010 को 2.21 लाख मी.टन के क्षेत्रीय प्रारंभिक स्टॉक और 104.12 लाख मी.टन के स्वदेशी उत्पादन तथा 25.83 लाख मी.टन के आयात ने राज्यों में पूरे मौसम के दौरान यूरिया की लगातार पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की। 136.65 लाख मी.टन की आकलित आवश्यकता की तुलना में मौसम के अंत में यूरिया की संचयी उपलब्धता लगभग 132.16 लाख मी.टन थी। खरीफ 2010 के दौरान यूरिया की बिक्री 126.02 लाख मी.टन की गई थी।

रबी 2010-11

- 4.1.3 रबी 2010-11 के लिए 154.14 लाख मी.टन यूरिया की आवश्यकता का आकलन किया गया है जिसमें रबी 2010-11 में 141.69 लाख मी.टन बिक्री की तुलना में लगभग 8.79% की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। मौसम के दौरान आवश्यकता को 108.55 लाख मी.टन के अनुमानित उत्पादन तथा लगभग 54.90 लाख मी.टन के आयात से पूरा किया जा रहा है। इस प्रकार, रबी 2010-11 के लिए यूरिया की संचयी उपलब्धता का 31 मार्च, 2011 के अंत तक लगभग 168.55 लाख मी.टन का अनुमान लगाया गया है।
- 4.1.4 खरीफ 2010 और रबी 2010-11 के दौरान यूरिया के आबंटन को प्रत्येक उत्पादक की स्थापित क्षमता के 50% उत्पादन तक सीमित कर दिया गया था। उत्पादक, शेष यूरिया की बिक्री अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर देश में कहीं भी किसानों को करने के लिए स्वतंत्र हैं।

4.2 नियंत्रणमुक्त उर्वरक – डीएपी और एमओपी

खरीफ 2010

- 4.2.1 यूरिया के अलावा, अन्य नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के तहत कोई आबंटन नहीं किया गया है। कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा यूरिया, डीएपी और एमओपी की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता की निगरानी बेहतर ढंग से की जा सके।

- 4.2.2 डीएपी और एमओपी दो प्रमुख नियंत्रणमुक्त और असंरणीबद्ध उर्वरक हैं, जिनका स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है।

डीएपी

- 4.2.3 डीएपी के स्वदेशी उत्पादन से 19.14 लाख मी.टन की प्राप्ति 57.85 लाख मी.टन के आयात और 1 अप्रैल, 2010 को 2.02 लाख मी.टन डीएपी के प्रारंभिक स्टॉक के कारण खरीफ 2010 मौसम के दौरान लगभग 79.01 लाख मी.टन डीएपी की उपलब्धता संतोषजनक रही जबकि इसकी आकलित आवश्यकता 68.75 लाख मी.टन थी। खरीफ 2010 के दौरान डीएपी की बिक्री लगभग 65.05 लाख मी.टन थी।

एमओपी

- 4.2.4 1 अप्रैल, 2010 को 0.97 लाख मी.टन के प्रारंभिक स्टॉक और 26.54 लाख मी.टन के एमओपी के आयात के परिणामस्वरूप 22.98 लाख मी.टन की आकलित आवश्यकता की तुलना में खरीफ 2010 के दौरान उपलब्धता लगभग 27.51 लाख मी.टन रही। एमओपी की लगभग 19.63 लाख मी.टन बिक्री होने की सूचना प्राप्त हुई थी।

रबी 2010-11

डीएपी

- 4.2.5 रबी 2010-11 के दौरान डीएपी का उत्पादन लगभग 18.53 लाख मी.टन होने का अनुमान है। रबी 2010-11



की आवश्यकता के लिए डीएपी के लगभग 5.88 लाख मी.टन की सरप्लस मात्रा को देखते हुए रबी 2010-11 के दौरान आकलित की गई डीएपी की 52.17 लाख मी.टन की देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1.10.2010 का स्टॉक और अनुमानित आयात पर्याप्त होंगे।

एमओपी

- 4.2.6 मार्च 2011 तक पर्याप्त आयात सहित 1.10.2010 को एमओपी के स्टॉक से देश में रबी 2010-11 के दौरान एमओपी की आवश्यकता सुनिश्चित होगी।
- 4.2.7 निम्नलिखित तालिका में पिछले तीन मौसमों के दौरान प्रमुख उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी और एमओपी की उपलब्धता और बिक्री के संबंध में मौसम-वार स्थिति का सार दिया गया है:

फसल मौसम	मांग आकलन	संचयी उपलब्धता	संचयी बिक्री	आकलित मांग की उपलब्धता का %
खरीफ 2009				
यूरिया	136.36	130.83	122.78	95.94
डीएपी	49.21	65.19	61.34	132.47
एमओपी	21.61	22.51	18.52	104.16
रबी 2009-10				
यूरिया	145.53	142.83	141.69	98.14
डीएपी	57.77	42.71	42.57	73.93
एमओपी	22.24	29.07	28.21	130.71
खरीफ 2010				
यूरिया	136.65	132.16	126.02	96.71
डीएपी	68.75	79.01	65.05	114.92
एमओपी	22.98	27.51	19.63	119.71

◆◆◆

4.3 उर्वरकों का संचलन

- 4.3.1 कार्य आबंटन नियमों के अंतर्गत कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा किए गए राज्यवार आकलन के आधार पर उर्वरक विभाग को विभिन्न उर्वरक संयंत्रों और बंदरगाहों से नियंत्रित उर्वरक अर्थात् यूरिया के संचलन, आबंटन, वितरण को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आयातित यूरिया का वितरण प्रत्येक राज्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
- 4.3.2 उर्वरकों की ढुलाई में प्रमुख भागीदारी रेलवे की है। 2009-10 के दौरान रेलवे ने देश में उत्पादित और/अथवा आयातित उर्वरकों के लगभग 75 प्रतिशत की ढुलाई की।
- 4.3.3 मांग-आपूर्ति के संतुलन के विवेकपूर्ण प्रबंधन से रेल द्वारा उर्वरकों की ढुलाई की औसत दूरी को बरकरार रखने में मदद मिली है। वर्ष 2009-10 के दौरान औसत दूरी 827 किलोमीटर थी। चालू वर्ष के दौरान अप्रैल-नवम्बर, 2010 की अवधि में भी औसत दूरी लगभग एकसमान होगी।

अध्याय-5

5.1 योजना निष्पादन

5.1.1 आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में, नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में और दसवीं योजना के पाँचवें वर्ष (2006-07) के आरम्भ में देश में उर्वरकों की स्थापित क्षमता तथा उत्पादन नीचे दिया गया है :

इसी अवधि के दौरान क्रमशः 29.05 लाख मी.टन से बढ़कर 56.59 लाख मी.टन हो गई।

5.1.3 पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों की खपत, उत्पादन और आयात का वर्षवार ब्यौरा **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

आठवीं, नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की स्थापित क्षमता और उत्पादन

(लाख मीट्रिक टन)

क्रम सं.	विवरण	आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में (1996-97)	नौवीं योजना के अन्त में (2001-02)	दसवीं योजना के पाँचवें वर्ष के प्रारम्भ में (2006-07)
1.	क्षमता			
	i) नाइट्रोजन	97.77	120.58	120.61
	ii) फॉस्फेट्स	29.05	52.31	56.59
2.	उत्पादन			
	i) नाइट्रोजन	85.99	107.68	115.78
	ii) फॉस्फेट्स	25.56	38.60	45.17

5.1.2 आठवीं योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) के दौरान नाइट्रोजन और फॉस्फेट की स्थापित क्षमता क्रमशः 97.77 लाख मी.टन और 29.05 लाख मी.टन थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तीन प्रमुख फॉस्फेटयुक्त उर्वरक संयंत्र नामतः ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पारादीप (अब इफको द्वारा अधिग्रहित), इण्डो-गल्फ कारपोरेशन - दाहेज और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड, सिक्का-II स्थापित किए गए थे। डॉ. वाई.के. अलघ समिति की रिपोर्ट के आधार पर यूरिया की क्षमता और टैरिफ आयोग द्वारा डीएपी की क्षमता के पुनः आकलन के परिणामस्वरूप 10 यूरिया इकाइयों के बंद होने के बावजूद नाइट्रोजन और फॉस्फेट की स्थापित क्षमता, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 97.77 लाख मी.टन से बढ़कर 120.61 लाख मी.टन हो गई और

5.1.4 वर्ष 2009-10 के दौरान पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों का उत्पादन 119.00 लाख मी.टन नाइट्रोजन और 43.21 लाख मी.टन फॉस्फेट था। वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानित उत्पादन 121.75 लाख मी.टन नाइट्रोजन और 45.32 लाख मी.टन फॉस्फेट है। वर्ष 2000-01 के बाद से उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में क्षेत्रवार लक्ष्य और प्राप्तियाँ **अनुलग्नक-VI और VII** में दी गई हैं।

5.2 योजना परिव्यय

5.2.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए, योजना आयोग द्वारा 20627.87 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी गई, जिसमें 1492.00 करोड़ रुपए घरेलू बजट सहायता के रूप में और 19135.87 करोड़ रुपए

आंतरिक और अतिरिक्त बजट संसाधनों (आईईबीआर) के रूप में शामिल हैं।

5.2.2 योजना आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए 2914.99 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जिसमें 2699.99 करोड़ रुपए आंतरिक और अतिरिक्त बजट संसाधनों (आईईबीआर) के और शेष 215 करोड़ रुपए की राशि बजट सहायता के रूप में है। योजना परिव्यय का ब्यौरा **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

5.2.3 वर्ष 2011-2012 के लिए 3550.22 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें से 3325.22 करोड़ रुपए की धनराशि आंतरिक और अतिरिक्त बजट संसाधनों से पूरी की जाएगी तथा शेष 225.00 करोड़ रुपए की राशि बजट सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। 3550.00 करोड़ रुपए का सकल परिव्यय एफसीआई-फेगमिल (4.15 करोड़ रुपए), फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (60.74 करोड़ रुपए), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (67.80 करोड़ रुपए), मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (88.95 करोड़ रुपए), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (2363.08 करोड़ रुपए), प्रोजेक्टस एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (9.73 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (293.30 करोड़ रुपए), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (654.96 करोड़ रुपए) और अन्य विभागीय योजनाओं जैसे (एमआईएस/आईटी तथा आरएंडडी) के लिए 7.50 करोड़ रुपए है।

उर्वरक विभाग विदेश में संयुक्त उद्यम की संभावनाओं का पता लगा रहा है। चूंकि वर्तमान में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है, अतः केवल 0.10 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

5.2.4 कुल परिव्यय में से 225.00 करोड़ रुपए की बजट सहायता फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (60.74 करोड़ रुपए), मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (88.95 करोड़ रुपए), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (67.80 करोड़ रुपए) और अन्य विभागीय योजनाओं (7.50 करोड़ रुपए) हेतु है। अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत एस एण्ड टी कार्यक्रम के लिए 2.00 करोड़ रुपए और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 5.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विदेशों में संयुक्त उद्यम में निवेश करने के लिए 0.001 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

5.2.5 वर्ष 2010-11 के लिए 50,215.00 करोड़ रुपए का निवल बजट प्रावधान किया गया था जिसमें से 215.00 करोड़ रुपए योजनागत और 50,000.00 करोड़ रुपए गैर-योजनागत के अंतर्गत थे। वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमान में 55,215.00 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से योजना के अंतर्गत 215.00 करोड़ रुपए और गैर-योजना के अंतर्गत 55000.00 करोड़ रुपए का निवल प्रावधान किया गया है। वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) और (संशोधित अनुमान) में किए गए गैर-योजना और योजना प्रावधान का ब्यौरा **अनुलग्नक-IX** में दिया गया है।



अध्याय—6

6.1 उर्वरकों के लिए सहायता उपाय

6.1.1 सतत कृषि वृद्धि और संतुलित पोषक प्रयोग का विकास करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध हों। इस उद्देश्य से यूरिया एकमात्र नियंत्रित उर्वरक होने के नाते सांविधिक रूप से अधिसूचित समान बिक्री मूल्यों पर बेचा जाता है और नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त एवं पोटेशियुक्त उर्वरक निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्यों पर बेचे जाते हैं। उत्पादकों द्वारा नियंत्रित मूल्यों पर की गई बिक्री पर किए गए उनके निवेश के अनुपात में उन्हें उचित लाभ न मिल पाने की समस्याओं को दूर करने के लिए यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना और नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त एवं पोटेशियुक्त उर्वरकों के लिए रियायत योजना के तहत सहायता प्रदान करके दूर किया जाता है। सांविधिक रूप से अधिसूचित बिक्री मूल्य और निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य सामान्यतः संबंधित उत्पादक इकाई की उत्पादन लागत से कम होते हैं। निर्माताओं को उत्पादन की लागत और बिक्री मूल्य/अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच के अंतर का राजसहायता/रियायत के रूप में भुगतान किया जाता है। चूंकि स्वदेशी एवं आयातित दोनों उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्य एकीकृत रूप से निर्धारित किए गए हैं अतः आयातित यूरिया और विनियंत्रित फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों पर भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

6.2 यूरिया के लिए सहायता उपाय

6.2.1 31.03.2003 तक, यूरिया उत्पादकों को राजसहायता तत्कालीन प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना (आरपीएस) के प्रावधानों के तहत विनियमित की जाती थी। प्रतिधारण मूल्य योजना के तहत, प्रतिधारण मूल्य (सरकार द्वारा आकलित उत्पादन की लागत जमा निवल मूल्य पर 12% कर पश्चात् लाभ) और सांविधिक रूप से अधिसूचित बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का यूरिया इकाइयों को राजसहायता के रूप में भुगतान किया गया था। प्रतिधारण मूल्य प्रौद्योगिकी, प्रयोग

किए गए फीडस्टॉक, क्षमता उपयोगिता के स्तर, ऊर्जा खपत, फीडस्टॉक/कच्चे माल की स्रोत से दूरी आदि के आधार पर इकाईवार निर्धारित किए जाते थे। हालांकि प्रतिधारण मूल्य योजना ने उर्वरक उद्योग में निवेश को बढ़ाने के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करने के अपने उद्देश्यों को पूरा किया था, लागत बढ़ाने वाली प्रकृति और दक्षता को बढ़ाने के लिए ठोस प्रोत्साहन न प्रदान कर पाने के कारण इस योजना की आलोचना हुई थी।

6.2.2 उर्वरकों के मूल्य निर्धारण के महत्व तथा समग्र नीति में प्रदान की जाने वाली राजसहायता, जिसका कृषि की उन्नति और विकास तथा उर्वरक उद्योग की निरंतरता से सीधा संबंध है, यूरिया उत्पादन करने वाली इकाइयों के संबंध में राजसहायता योजना को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। यूरिया की राजसहायता की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने, विस्तृत आधार वाली वैज्ञानिक एवं पारदर्शी वैकल्पिक पद्धति का सुझाव देने और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में लागू नीतियों में और अधिक संबद्धता के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए प्रो० सी.एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति (एचपीसी) का गठन किया गया था। सरकार को दिनांक 03 अप्रैल, 1998 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुशंसा की कि यूरिया के लिए इकाईवार प्रतिधारण मूल्य योजना को समाप्त किया जाए। इसने अनुशंसा की कि इकाईवार प्रतिधारण मूल्य योजना के स्थान पर, वर्तमान गैस आधारित यूरिया इकाइयों और डीएपी के लिए एकसमान मानकीय संदर्भित मूल्य निर्धारित किया जाए और गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों को पाँच वर्षों की अवधि के लिए फीडस्टॉक भिन्नता लागत प्रतिपूर्ति (एफडीसीआर) की जाए।

6.2.3 श्री के.पी. गीताकृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग ने भी उर्वरक राजसहायता को तर्कसंगत बनाने की जांच की। ईआरसी ने 20 सितम्बर, 2000 को



अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान प्रतिधारण मूल्य योजना को समाप्त करने और इसके स्थान पर संयंत्रों के पुरानेपन और उपयोग किए गए फीडस्टॉक के आधार पर यूरिया इकाइयों के लिए रियायत योजना प्रारम्भ करने की सिफारिश की गई।

6.2.4 संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से ईआरसी की सिफारिशों की जाँच की गई। ईआरसी की रिपोर्ट पर उर्वरक उद्योग और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और अर्थशास्त्रियों/अनुसंधान संस्थानों से भी विचार प्राप्त किए गए। इन विचारों की यथोचित जांच करने के पश्चात् प्रतिधारण मूल्य योजना का प्रतिस्थापन करने के लिए यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) तैयार की गई और दिनांक 30.01.2003 को अधिसूचित की गई। नई योजना 01.04.2003 से प्रभाव में आई। इसका उद्देश्य यूरिया इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय रूप से दक्षता के प्रतिस्पर्धात्मक स्तरों को प्राप्त करने में सहायता देने के अलावा राजसहायता प्रशासन में और अधिक पारदर्शिता तथा सरलता लाना है।

6.2.5 यूरिया के लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) 01 अप्रैल, 2003 को प्रारम्भ की गई थी। एनपीएस के चरण-I की अवधि एक वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक तथा चरण-II की अवधि दो वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2006 तक थी। चूंकि एनपीएस का चरण-III 01 अक्टूबर, 2006 से कार्यान्वित किया जा रहा है, अतः एनपीएस के चरण-II को 31 सितंबर, 2006 तक बढ़ाया गया है।

6.2.6 नई मूल्य निर्धारण योजना के तहत विद्यमान यूरिया इकाइयों को समूह आधारित रियायत के निर्धारण के लिए पुरानेपन और फीडस्टॉक के आधार पर छह समूहों में बाँटा गया है। इन समूहों में 1992 से पूर्व गैस आधारित इकाइयाँ, 1992 के पश्चात् गैस आधारित इकाइयाँ, 1992 से पूर्व नेफ्था आधारित इकाइयाँ, 1992 के पश्चात् नेफ्था आधारित इकाइयाँ, ईंधन तेल/निम्न सल्फर भारी स्टॉक (एफओ/एलएसएचएस) आधारित इकाइयाँ और मिश्रित ऊर्जा आधारित इकाइयाँ हैं। मिश्रित ऊर्जा आधारित समूह में ऐसी गैस आधारित इकाइयाँ सम्मिलित हैं जो दिनांक 01.04.2002 को स्वीकार्य अनुसार 25% या इससे अधिक की सीमा

तक वैकल्पिक फीडस्टॉक/ईंधन का उपयोग करती हैं।

6.2.7 नई मूल्य निर्धारण योजना के तहत, केवल फीडस्टॉक, ईंधन, खरीदी गई ऊर्जा और पानी के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित भिन्नता लागत के संबंध में वृद्धि/कमी की जाती है। इस योजना के तहत किसी इकाई द्वारा प्रचालनों में सुधार के लिए किए गए निवेश की न तो प्रतिपूर्ति की जाती है और न ही प्रचालनरत दक्षता के परिणामस्वरूप इकाइयों को होने वाले लाभ को लिया जाएगा।

6.2.8 इस योजना के तहत यह व्यवस्था भी की गई है कि चरण-II के दौरान रियायत दरों को पूँजी संबद्ध प्रभारों और दक्ष ऊर्जा मानकों के लागू होने से हुई कमी के लिए समायोजित किया जाएगा। चरण-II के दौरान यूरिया इकाइयों के लिए पूर्व-निर्धारित ऊर्जा मानकों को अधिसूचित कर यूरिया इकाइयों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-II के दौरान पूँजी संबद्ध प्रभारों में हुई कमी के कारण रियायत दरों में हुई कमी को भी अधिसूचित करके यूरिया इकाइयों को सूचित कर दिया गया है।

6.3 यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना चरण-III में संशोधन

एनपीएस-III में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

6.3.1 यह निर्णय लिया गया है कि मूल्य-निर्धारण योजना-III के अंतर्गत समूह औसत सिद्धांत के कारण प्रत्येक यूरिया इकाई की निर्धारित लागत में कमी मूल रियायत दरों के अंतर्गत परिकलित मानकीकृत नियत लागत के 10% तक सीमित होगी। नियत लागत की कमी की सीमा 1 अप्रैल, 2009 से लागू होगी।

6.3.2 यूरिया इकाइयों की मूल रियायत दरों की गणना करने के लिए 1992-पूर्व नेफ्था आधारित समूह औसत के क्षमता उपयोग की 98% की बजाय 95% पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि एनपीएस के अंतर्गत परिवर्तन के लिए किसी लागत को स्वीकार न किया जाए। अनुमोदित संसाधनों से स्वदेशी यूरिया इकाइयों को नई मूल्य-निर्धारण योजना चरण-III के अंतर्गत औसत समूह के कारण अपने घाटे को कम करने तथा आधुनिकीकरण और बढ़ी हुई दक्षता के लिए अपने



संयंत्रों में पुनः निवेश करने हेतु संसाधनों का सृजन करने में मदद मिलेगी।

- 6.3.3 फीडस्टॉक की आपूर्ति में बाधा पहुंचने या आयात में विलंब/बाधा पहुंचने के कारण उत्पादन में कमी होने की स्थिति में यूरिया के स्टॉक को बनाए रखने तथा मांग में अचानक आई तेजी/कमियों से निपटने के लिए प्रमुख राज्यों में यूरिया के लिए एक बफर स्टॉक योजना कार्यान्वित की जा रही है। कंपनियों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर बफर स्टॉक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।

बफर स्टॉक का प्रचालन करने वाली कंपनी समय-समय पर अधिसूचित अनुसार एसबीआई की पीएलआर से 1 प्रतिशत कम प्वाइंट पर मांग सूची वहन लागत (आईसीसी) पाने की हकदार होगी। यह दर 4650 रुपए प्रति मी.टन (डीलर मार्जिन से कम एमआरपी अर्थात् 4850 रुपए-180 रुपए) मात्रा और बफर के रूप में रखे गए स्टॉक की अवधि पर लागू होगी। सहकारी समितियों के मामले में डीलर के मार्जिन के रूप में यह 4630 रुपए प्रति मी.टन होगा और इस मामले में यह 200 रुपए प्रति मी.टन है।

- I कंपनी को बफर स्टॉक के रूप में मात्रा रखने पर 23 रुपए प्रति टन प्रतिमाह की दर पर गोदाम और बीमा प्रभार का भुगतान किया जाएगा।
- II चूंकि सामग्री को दो चरणों अर्थात् संयंत्र से बफर स्टॉक प्वाइंट तक और तत्पश्चात् आगे खपत स्थल पर भेजा जाएगा, अतः उर्वरक कंपनी को बफर स्टॉक से बेची गई मात्रा पर 30 रुपए प्रति मी.टन की दर से अतिरिक्त हैण्डलिंग प्रभार का भुगतान किया जाएगा।
- III इसके अलावा, सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2008 को घोषित भाड़ा राजसहायता की एकसमान नीति के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार ऐसे जिले, जहां गोदाम में बफर स्टॉक रखा गया है, वहां से स्टॉक को ब्लॉक तक ले जाए जाने के भाड़ा का भी कंपनी को भुगतान किया जाएगा।

6.4 यूरिया वितरण को चरणबद्ध नियंत्रणमुक्त करना

- 6.4.1 यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना में यह परिकल्पना भी की गई थी कि यूरिया वितरण/

संचलन को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रणमुक्त किया जाएगा। चरण-I अर्थात् 01.04.2003 से 31.03.2004 तक के दौरान अर्थात् अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1995 (ईसीए) के अंतर्गत यूरिया का आबंटन खरीफ 2003 और रबी 2003-04 में प्रत्येक इकाई की स्थापित क्षमता का क्रमशः 75% और 50% तक सीमित था। यह भी परिकल्पना की गई थी कि 01.04.2004 से शुरू होने वाले चरण-II के दौरान कृषि मंत्रालय के परामर्श और सहमति से चरण-I का मूल्यांकन करने के बाद यूरिया वितरण पूरी तरह से नियंत्रणमुक्त कर दिया जाएगा।

- 6.4.2 यूरिया वितरण को पूरी तरह नियंत्रणमुक्त करने की प्रक्रिया को प्रारम्भ में 01.04.2004 से छः माह की अवधि अर्थात् खरीफ 2004 तक के लिए स्थगित किया गया था, जिसे बाद में रबी 2005-06 अर्थात् 31.03.2006 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 50% आवश्यक वस्तु अधिनियम आबंटन और 50% आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर आबंटन की मौजूदा प्रणाली 31.03.2010 तक बढ़ा दी गई है।

- 6.4.3 नई मूल्य निर्धारण योजना का चरण-III, जो दिनांक 01.10.2006 से 31.03.2010 तक लागू है, को डॉ० वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। यूरिया क्षेत्र में और निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित चरण-III की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, गैर-गैस आधारित इकाइयों को गैस आधारित यूरिया इकाइयों में परिवर्तित कर अतिरिक्त यूरिया उत्पादन को प्रोत्साहित करना और विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यम (जेवी) में निवेश को बढ़ावा देकर यूरिया इकाइयों से यूरिया का अधिक से अधिक उत्पादन करना। इसका उद्देश्य अधिक कार्यदक्ष यूरिया वितरण और संचलन प्रणाली की स्थापना करना भी है ताकि देश के दूर-दराज के इलाकों में भी यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

- 6.4.4 चरण-III से संबंधित नीति का उद्देश्य देश में यूरिया के उत्पादन के लिए सबसे अधिक कार्यदक्ष और अपेक्षाकृत सस्ते फीडस्टॉक प्राकृतिक गैस/एलएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इस नीति के अंतर्गत सभी गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों को गैस में परिवर्तन के लिए एक निश्चित योजना निर्धारित की गई है। वर्तमान में, 8 यूरिया इकाइयां हैं (एमएफएल,

स्पिक, जेडआईएल, एमसीएफएल, जीएनएफसी, एनएफएल-नांगल एनएफएल-भटिण्डा, एनएफएल-पानीपत), जो फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था या एफओ/एलएसएचएस पर आधारित है। इन सभी 8 इकाइयों को अगले तीन वर्षों में प्राकृतिक गैस/एलएनजी को अपनाना है। इस समय-सीमा के बाद इन गैर-गैस आधारित इकाइयों द्वारा उत्पादित उच्च लागत वाले यूरिया पर राजसहायता मौजूदा स्तर पर नहीं दी जाएगी तथा यह यूरिया के आयात सममूल्य तक ही सीमित होगी। ऐसी इकाइयां, जो गैस के लिए अनुबंध नहीं कर पाती हैं, इन्हें कोल बेड मिथेन (सीबीएम) तथा कोयला गैस जैसे वैकल्पिक फीडस्टॉक की खोज करनी होगी। एसएफसी ने 22.09.2007 से गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

6.4.5 देश में यूरिया उद्योग के विकास के लिए गैस की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, स्वदेशी उपलब्धता देश में मौजूदा गैस आधारित यूरिया इकाइयों की मांग को पूरा करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उर्वरक विभाग ने सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसके सदस्य सचिव (उर्वरक), सचिव (व्यय), सचिव (योजना आयोग) हैं, जो उर्वरक क्षेत्र को गैस की कनेक्टिविटी और सुनिश्चित आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करेंगे। समिति गैस का मूल्य पारदर्शी ढंग से निर्धारित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली भी विकसित करेगी। ऐसी संभावना है कि देश में गैस की उपलब्धता में वर्ष 2008-09 के बाद से सुधार होगा और उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए नई नीति में देश में सभी गैर-गैस आधारित इकाइयों के परिवर्तन के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है।

6.4.6 गैर-गैस आधारित इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन देने के लिए नीति में ऐसी व्यवस्था की गई है कि नेफ्था तथा एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों के गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तन से होने वाली कार्य दक्षता से होने वाले लाभ को पांच वर्षों तक नहीं लिया जाएगा। साथ ही अगले तीन वर्षों के दौरान गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तन के लिए इन इकाइयों को एकमुश्त पूंजी निवेश सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में सरकार द्वारा 6 मार्च 2009 को एक विशिष्ट नीति की घोषणा की गई है।

6.4.7 इस नीति में गैर-गैस आधारित इकाइयों के अधिक लागत वाले उत्पादन को हतोत्साहित करने तथा उन्हें गैस आधारित इकाइयों में शीघ्र परिवर्तन करने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसा प्रस्ताव है कि इन इकाइयों को 100% क्षमता तक का उत्पादन करने की अनुमति दी जाए बशर्ते कि वे इकाइयों को गैस में परिवर्तित करने की सहमत समय-तालिका का पालन करें तथा अपेक्षित गैस/सीबीएम/कोयला गैस के लिए अनुबंध करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पहले वर्ष (01.04.2007) में क्षमता उपयोग के 93% के बाद नियत लागत का केवल 75% तथा दूसरे वर्ष (01.04.2008) के बाद से 93%, क्षमता उपयोग के बाद से नियत लागत का 50% ही दिया जाएगा।

6.4.8 आने वाले वर्षों में यूरिया की खपत में संभावित वृद्धि पर विचार करते हुए, नीति में मौजूदा यूरिया इकाइयों द्वारा अतिरिक्त यूरिया उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की शुरुआत कर मेरिट क्रम में खरीददारी द्वारा संस्थापित क्षमता से 100% से अधिक उत्पादन करने का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त यूरिया उत्पादन के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेने की नीति को हटा दिया गया है। मौजूदा पुनः आकलित क्षमता के 100% से 110% के बीच के सम्पूर्ण उत्पादन को सरकार और इकाई के बीच क्रमशः 65:35 अनुपात में विद्यमान निवल प्राप्ति शेयरिंग फार्मूले पर इस उपबंध के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा कि परिवर्तन लागत के घटक को शामिल करने के बाद इकाइयों को दी जाने वाली कुल राशि इकाइयों की निजी रियायत दर तक सीमित होगी। 110% से अधिक उत्पादन बढ़ाने वाली इकाइयों को समग्र आयात सममूल्य (आईपीपी) के अंतर्गत उनकी रियायत दर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि सरकार को अतिरिक्त उत्पादन की किसी मात्रा की आवश्यकता नहीं है तो यूरिया कंपनियाँ सरकार से अनुमति लिए बिना शेष मात्रा का निर्यात करने या मिश्रित उत्पादकों की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगी। यह नीति विदेशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं लगाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। यह उर्वरक क्षेत्र में आयातित कच्ची सामग्रियों/मध्यवर्तियों तथा फीडस्टॉक पर हमारी अत्यधिक निर्भरता को दर्शाती हैं तथा इस स्थिति से उचित प्रकार से निपटने के लिए नीति में उर्वरक क्षेत्र में विदेशों में निवेश का समन्वय करने के लिए विशिष्ट एजेंसी का

सृजन करने की अपेक्षा की गई है।

6.4.9 इस नीति में देश के सभी हिस्सों में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूरिया के वितरण और संचलन और भाड़ा प्रतिपूर्ति प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने की बात कही गई है। सरकार स्थिति की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के 50% यूरिया के संचलन को विनियमित करना जारी रखेगी। राज्य सरकारों के लिए सुनियोजित रूप से मंगाई गई विनियमित और विनियमनमुक्त दोनों प्रकार की यूरिया की पूरी मात्रा को जिला-वार, माह-वार और आपूर्तिकर्ता-वार प्रपत्र में देना आवश्यक होगा। इकाइयों को जिला स्तर पर स्टॉक प्वाइंट के स्तर को बनाए रखना होगा और राजसहायता तभी दी जाएगी जब यूरिया जिले में पहुंच जाएगा। देश भर में जिला स्तर तक यूरिया के संचलन और वितरण की निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाएगी। दूर-दराज के क्षेत्रों में उर्वरकों के संचलन के लिए, भाड़े की प्रतिपूर्ति रेल और सड़क संचलन की वास्तविक दूरी के अनुसार होती है। रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के अनुसार की जाएगी और सड़क भाड़े में वृद्धि प्रत्येक वर्ष मिश्रित सड़क परिवहन के अनुसार की जाएगी। सड़क वाहनों पर 9 मी.टन की अधिकतम ट्रक भार सीमा के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश से पड़ने वाले प्रभाव को समायोजित करने के लिए प्राथमिक भाड़े के सड़क घटक पर 33% की एकबारगी वृद्धि दी जाएगी। मौजूदा विशेष भाड़ा राजसहायता योजना असम और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों को यूरिया की आपूर्ति करने के लिए जारी रहेगी। इसके अलावा, विभाग यूरिया की व्यापक खपत वाले राज्यों में राज्य संस्थागत एजेंसियों/उर्वरक कंपनियों के जरिए बफर स्टॉक मौसम की आवश्यकता के 5% की सीमा तक का प्रचालन करेगी।

6.4.10 इसके अलावा, देश के सभी भागों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सहित सभी राजसहायता-प्राप्त उर्वरकों पर भाड़ा व्यवस्था को भाड़ा राजसहायता के लिए एकसमान मूल्य-निर्धारण नीति के जरिए 1 अप्रैल, 2008 से संशोधन किया गया है। नई नीति के अंतर्गत रेल भाड़ा वास्तविक आधार पर दिया जाएगा जबकि सड़क भाड़ा मानकीकृत जिला दूरी पर आधारित होगा जिसे देश के प्रत्येक

जिले के लिए निकटतम रेल रैंक प्वाइंट तथा टैरिफ आयोग द्वारा सिफारिश मानकीय प्रति कि.मी. दर से गिना जाएगा।

6.4.11 एनपीएस का चरण-III 31 मार्च, 2003 तक सभी लागत को बढ़ाने के साथ-साथ देश में यूरिया उत्पादन इकाइयों के मौजूदा 6 समूह वर्गीकरण पर लागू होगा। एनपीएस के चरण-II के दौरान प्रत्येक यूरिया इकाई के संबंधित पूर्व-निर्धारित ऊर्जा खपत मानदंड या वर्ष 2003 के दौरान प्राप्त वास्तविक ऊर्जा खपत, जो भी कम हो, को एनपीएस के चरण-III के मानदंड के अनुसार मान्यता दी जाएगी। इस नीति में पिछले तीन वर्षों की मूल्य वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए बैगों की 3 वर्ष की संचलन भारित औसत लागत के आधार पर बैगों की लागत के कारण लागत को बढ़ाए जाने का भी प्रावधान है। इसमें तत्कालीन प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत वास्तविक आधार पर आयात और अन्य करों के भुगतान का भी प्रावधान है।

6.4.12 नई मूल्य निर्धारण नीति-III का उद्देश्य यूरिया के उत्पादन में एकरूपता और कार्यक्षमता लाना है जैसा कि नई मूल्य निर्धारण नीति के चरण-I और चरण-II में कहा गया है। साथ ही इसका उद्देश्य देश भर में उर्वरकों के वितरण में अधिक पारदर्शिता लाना है। ऐसी संभावना है कि इस नीति से देश में मौजूदा यूरिया इकाइयों से स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और गैर-गैस आधारित इकाइयों का गैस आधारित इकाइयों में शीघ्र परिवर्तन होगा जिससे राजसहायता में पर्याप्त बचत होगी। उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के शुरू होने से उर्वरकों के संचलन की जिला स्तर पर निगरानी होगी और नई नीति में प्रस्तावित भाड़े को तर्कसंगत बनाने, उर्वरकों को देश के दूर-दराज के इलाकों में वितरण में काफी सुधार होगा तथा भविष्य में कमी की कोई शिकायत नहीं आएगी। उर्वरक विभाग देश में उर्वरक उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देना तथा किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखेगा।

6.4.13 नई मूल्य-निर्धारण योजना (चरण-III) नीति का कार्यकाल 31.03.2010 तक था। एनपीएस के चरण-III के प्रावधानों को अनंतिम आधार पर अगला आदेश होने तक बढ़ाया गया है। दिनांक 01.04.2010 को

शुरू होने वाली नई मूल्य-निर्धारण नीति के गठन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

6.5 नई मूल्य-निर्धारण योजना के चरण-III के बाद मौजूदा यूरिया नीति का गठन:-

उर्वरक नीति की समीक्षा के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 5 जनवरी 2011 को हुई बैठक में यूरिया में पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) को लागू करने के प्रस्ताव की जांच करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

6.6 उर्वरक क्षेत्र में निवेश के लिए मूल्य-निर्धारण नीति

यूरिया

6.6.1 यूरिया की घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नई यूरिया परियोजनाएं लगाने और मौजूदा यूरिया परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए 29.01.2004 को एक मूल्य-निर्धारण नीति की घोषणा की गई थी ताकि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने संबंधी बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। नई नीति का लक्ष्य उद्यमियों को उर्वरक क्षेत्र में अपनी निवेश योजनाओं के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। नई नीति से नई परियोजनाओं में नया निवेश करने और मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दक्षता मानकों सहित संयंत्रों की स्थापना करने को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। यह नीति दीर्घावधि औसत लागत (एलआरएसी) के सिद्धांत पर आधारित थी।

6.6.2 उपर्युक्त नीति इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने में सफल नहीं रही है। यूरिया के उत्पादन के लिए मुख्य फीडस्टॉक का उपलब्ध न होना यूरिया के उत्पादन के लिए स्वदेशी क्षमता को और बढ़ाने में एक बड़ी बाधा रही है। तथापि, वर्ष 2009 के बाद से गैस की उपलब्धता में अनुमानित सुधार से ऐसी आशा है कि उर्वरक क्षेत्र में भी निवेश होगा। सरकार ने हाल में 4 सितम्बर, 2008 को इस क्षेत्र में अत्यधिक अपेक्षित निवेश को आकर्षित करने के लिए यूरिया क्षेत्र के लिए एक नई निवेश नीति की घोषणा की है। यह नीति आईपीपी बैंचमार्क पर आधारित है और इसे उद्योग के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है।

6.6.3

इस नीति से सरकार को आईपीपी से कम मूल्य पर यूरिया की उपलब्धता के रूप में बचत होने की संभावना है तथा इससे आयात में कमी होने के कारण आयात मूल्य को कम करने में अप्रत्यक्ष बचत भी होगी। नई निवेश नीति का उद्देश्य मौजूदा यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, विस्तार, जीर्णोद्धार करना तथा ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड परियोजनाएं लगाना है। इस नीति का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में खपत और घरेलू उत्पादन के बीच अंतर को कम करना है बशर्ते कि गैस की उचित मूल्य पर सुनिश्चितता और पर्याप्त उपलब्धता हो। नई निवेश नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

1. यह नीति 250 अमेरिकी डॉलर/मी.टन और 425 अमेरिकी डॉलर/मी.टन के क्रमशः उपयुक्त न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों सहित आयात सममूल्य (आईपीपी) बैंचमार्क पर आधारित है।
2. **पुनरुद्धार परियोजनाएं:** अमोनिया-यूरिया उत्पादन की मौजूदा ट्रेन में 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश से वर्तमान संयंत्रों की क्षमता में की गई वृद्धि को मौजूदा इकाइयों के पुनरुद्धार के रूप में माना जाएगा। मौजूदा इकाइयों के पुनरुद्धार से उत्पादित अतिरिक्त यूरिया को ऊपर दिए गए सुझाव के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सहित 85% आयात सममूल्य की मान्यता दी जाएगी।
3. **विस्तार परियोजनाएं:** कुछ सामान्य उपयोगिताओं का उपयोग करके मौजूदा उर्वरक संयंत्रों के परिसर में नए अमोनिया-यूरिया संयंत्र (एक पृथक नई अमोनिया-यूरिया ट्रेन) की स्थापना को विस्तार परियोजना माना जाएगा। इसमें निवेश 3000 करोड़ रुपए की न्यूनतम सीमा से अधिक होना चाहिए। मौजूदा इकाइयों के विस्तार से यूरिया को ऊपर दर्शाए गए अनुसार न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सहित 90% आईपीपी को मान्यता दी जाएगी।
4. **पुनरुद्धार/ब्राउनफील्ड परियोजनाएं:** यदि सार्वजनिक क्षेत्र में बंद इकाइयों का पुनरुद्धार किया जाता है तो हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और

फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की पुनरुद्धार की गई इकाइयों से प्राप्त यूरिया को निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सहित 95% आईपीपी को मान्यता दी जाएगी।

5. **ग्रीनफील्ड परियोजनाएं:** प्रस्तावित नए संयंत्रों के स्थल (राज्यों) की पुष्टि होने के बाद ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के मूल्य-निर्धारण पर निर्णय निविदा प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा, जो आईपीपी पर छूट देने के लिए होगा।
6. **गैस परिवहन प्रभार:** विनियामक (गैस) द्वारा यथा निर्धारित वास्तविकता (यूरिया के प्रति 5.2 जी. कैलोरी मी.टन तक) के आधार पर विस्तार और पुनरुद्धार कार्य करने वाली इकाइयों को अतिरिक्त गैस परिवहन लागत का भुगतान किया जाए बशर्ते कि यूरिया की अधिकतम सीमा 25 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन हो।
7. **गैस का आबंटन:** यूरिया क्षेत्र में नए निवेश के लिए केवल गैर-एपीएम गैस पर विचार किया जाएगा।
8. **कोयला गैसीकरण आधारित यूरिया परियोजनाएं:** कोयला गैसीकरण आधारित यूरिया परियोजनाओं को ब्राउनफील्ड या गैसफील्ड परियोजना, जैसी भी स्थिति हो, के तुल्य माना जाएगा। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई अन्य प्रोत्साहन या कर लाभ इन परियोजनाओं को भी दिया जाएगा।
9. **विदेशों में संयुक्त उद्यम:** गैस की प्रचुर मात्रा वाले देशों में विदेशी उद्यम संयुक्त परियोजनाओं को मूल्य-निर्धारण के साथ सुनिश्चित उठान समझौते के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है जहां मूल्य-निर्धारण बाजार की स्थिति तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ आपसी विचार-विमर्श के आधार पर किया गया है। हालांकि अधिकतम मूल्य-निर्धारण का सिद्धांत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त मूल्य या आयात सममूल्य का 95%, जैसा कि पुनरुद्धार परियोजनाओं (किसी भी ग्रीनफील्ड परियोजना की अनुपस्थिति में) के लिए यथा प्रस्तावित है

जो 405 अमरीकी डॉलर सीआईएफ प्रति मीट्रिक टन भारत तथा 225 अमरीकी डॉलर सीआईएफ प्रति मी. टन भारत का न्यूनतम मूल्य (जिसमें संभाल तथा बैगिंग लागत शामिल) की सीमा तक है।

10. **प्रस्तावित निवेश नीति के लिए समयावधि:** नई नीति की अधिसूचना जारी होने से चार वर्षों के अन्दर केवल अतिरिक्त क्षमताओं का उत्पादन शुरू करने वाली पुनरुद्धार परियोजनाएं ही इस छूट की पात्र होंगी। इसी तरह, केवल विस्तार और पुनरुद्धार (ब्राउनफील्ड) इकाइयों से उत्पादन, जो नई नीति की अधिसूचना के पाँच वर्षों के भीतर होता है, इस नीति में प्रदत्त छूट के लिए पात्र होंगे। यदि इस समय-सीमा के भीतर उत्पादन शुरू नहीं होता है, तो ऐसी ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को ग्रीनफील्ड परियोजना के समान माना जाएगा, जिसमें मूल्य का निर्धारण सीमित बोली विकल्पों के जरिए होगा। नई नीति के अंतर्गत नए संयुक्त उद्यमों की स्थापना की समयावधि भी पाँच वर्ष रखी जाएगी।

6.6.4 उर्वरक उद्योग ने मौजूदा क्षमताओं के पुनरुद्धार के लिए निवेश निर्णय को प्रारंभ करके नई निवेश नीति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उर्वरक इकाइयों जैसे इफको-आंवला-I एवं II, इफको-फूलपुर-I एवं II, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) - गडपान - I एवं II, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (एनएफसीएल) - काकीनाडा - I एवं II और टाटा केमिकल्स लिमिटेड की बबराला इकाई ने पुनरुद्धार के बाद यूरिया के अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धता के संबंध में सूचित किया है। इसके अलावा, आरसीएफ, थाल, कृभको-हजीरा और एनएफएल, विजयपुर ने अपनी इकाइयों का पुनरुद्धार करना शुरू कर दिया है।

6.6.5 कंपनियां सरकार से लगातार यह निवेदन कर रही हैं कि उन्हें घरेलू गैस स्रोतों से पूर्व-निर्धारित दरों पर गैस का आबंटन किया जाए अथवा न्यूनतम दरों में होने वाली वृद्धि व प्रतिबद्धता के अभाव के कारण होने वाली किसी भी देयता से उद्योग को पृथक रखकर प्राकृतिक गैस का आबंटन निश्चित दरों पर किया जाए। 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को

स्थगित रखा गया है। पुनरुद्धार किए गए व बंद पड़े संयंत्रों की परिकल्पना सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं की गई है व ग्रीनफील्ड इनवेस्टमेंट हेतु बोली व्यावहारिक विकल्प नहीं है। मूल्य निर्धारण योजना तथा गैस की स्थायी उपलब्धता के संबंध में उर्वरक उद्योग द्वारा बताए गए उपरोक्त प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2008-09 के बाद उर्वरक संयंत्रों के विस्तार के गत्यावरोधों को दूर करने, नेपथा आधारित व ईंधन तेल आधारित संयंत्रों के परिवर्तन तथा बंद पड़े संयंत्रों के पुनरुद्धार से उत्पन्न मांग को उच्चतम वरीयता प्रदान की जाएगी तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति उनके गैस को उपयोग के लिए तैयार होने पर की जाएगी। गैस की दरों में अनिश्चितता के मुद्दे को संबोधित करते हुए दिनांक 4 सितंबर, 2008 को अधिसूचित नई निवेश नीति में संशोधनों पर एक प्रस्ताव उर्वरक विभाग में विचाराधीन है।

6.7 देश में संपुष्ट और लेपित उर्वरकों को प्रोत्साहन देना और उनकी उपलब्धता

6.7.1 उर्वरक विभाग ने 2 जून, 2008 को देश में पुष्ट और लेपित उर्वरकों के उत्पादन और उपलब्धता संबंधी एक नीति को अधिसूचित किया है। इस नीति के अनुसार, राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के स्वदेशी निर्माताओं/उत्पादकों को संबंधित राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के कुल उत्पादन के अधिकतम 20% तक पुष्ट/लेपित राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। निर्माताओं/उत्पादकों को उपर्युक्त तालिका में दर्शाए अनुसार राजसहायता प्राप्त उर्वरक की एमआरपी से 5% अधिक मूल्य पर जिंकयुक्त यूरिया और बोरोनयुक्त एसएसपी के लिए उत्पादकों को क्रमशः यूरिया और एसएसपी के एमआरपी से 10% प्रभार अधिक लेने की अनुमति दी गई है।

6.7.2 दिनांक 11 जनवरी 2011 से यूरिया के स्वदेशी निर्माताओं/उत्पादनकर्ताओं को नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है जिसे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची-I में उनके राजसहायता-प्राप्त उर्वरकों के कुल उत्पादन के अधिकतम 35% तक शामिल किया गया है। नीम लेपित यूरिया के उत्पादन की अधिकतम सीमा को संबंधित राजसहायता-प्राप्त उर्वरकों के कुल उत्पादन

की 20% की सीमा को बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। नीम लेपित यूरिया का उत्पादन संयंत्र/इकाई-वार नहीं अपितु कंपनी-वार लिया जाएगा। उर्वरक कंपनियों को ऊपर वर्णित अनुसार 35% की अधिकतम सीमा के अनुपालन को दर्शाते हुए राजसहायता-प्राप्त उर्वरकों के कुल उत्पादन की तुलना में नीम लेपित यूरिया के कुल उत्पादन के संबंध में सांविधिक लेखा-परीक्षकों से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.8 उर्वरक राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत सभी उर्वरकों पर एकसमान भाड़ा राजसहायता हेतु नीति

6.8.1 देश के सभी भागों में उर्वरकों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग ने सभी राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के लिए 17 जुलाई, 2008 को एकसमान भाड़ा राजसहायता का भुगतान जिलों/ब्लॉक में सभी राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के प्राप्त होने पर अलग से किया जाएगा। भाड़ा राजसहायता में दो घटक शामिल होंगे नामतः रेल भाड़ा और सड़क भाड़ा। रेल भाड़े का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा, और सड़क भाड़े का भुगतान मानकीय औसत जिला दूरी (निकटतम रेल रैक प्वाइंट से ब्लॉक मुख्यालय की वास्तविक दूरी का औसत) तथा मानकीय प्रति कि.मी. दर पर किया जाएगा।

6.8.2 एकसमान भाड़ा राजसहायता व्यवस्था से देश के सभी भागों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, विशेषकर ऐसे क्षेत्र, जो उत्पादन सुविधाओं और बंदरगाहों से दूर हैं, को भाड़े की वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6.9 नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों के लिए रियायत स्कीम/पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति

पृष्ठभूमि

6.9.1 भारत सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर 25 अगस्त 1992 से फास्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त (पीएंडके) उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त किया था। विनियंत्रण के फलस्वरूप, फास्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों के मूल्यों में बाजार में तीव्र वृद्धि हुई, जिसका इन उर्वरकों की मांग और खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इससे एन, पी एंड के (नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेश) के पोषक-तत्वों के प्रयोग और मृदा की उत्पादकता में असंतुलन हुआ। पीएंडके उर्वरकों के नियंत्रणमुक्त करने के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, कृषि और सहकारिता विभाग ने 1.10.1992 से तदर्थ आधार पर नियंत्रणमुक्त-फास्फेटयुक्त और पोटेशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए रियायत स्कीम लागू किया जिसे भारत सरकार ने समय समय पर बदलते मापदंडों के साथ 31.3.2010 तक जारी रखने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात् सरकार ने 1.4.2010 से (एसएसपी के लिए 1.5.2010 से) नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों के लिए पहले चलाई जा रही रियायत स्कीम को जारी रखने के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति लागू की। रियायत स्कीम और पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति का मूल उद्देश्य किसानों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर उर्वरक मुहैया कराना है। आरंभ में, तदर्थ रियायत स्कीम डीएपी, एमओपी, एनपीके मिश्रित उर्वरकों पर राजसहायता के लिए तदर्थ रियायत स्कीम लागू की गई थी। 1993-94 से यह स्कीम एसएसपी के लिए भी लागू कर दी गई थी। कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों पर आधारित 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा उत्पादकों/आयातकों को रियायत दी गई। तदुपरांत, डीएसी ने राज्य सरकारों द्वारा 100 प्रतिशत आधार पर जारी किए गए बिक्री प्रमाणपत्र पर आधारित उर्वरक कंपनियों को रियायत का भुगतान दिया जाना आरम्भ किया। सरकार ने 1997-98 में उर्वरक कंपनियों को 80 प्रतिशत मासिक-वार लेखागत रियायत का भुगतान करके एक प्रणाली को लागू किया जिसका अंतिम रूप से निपटान राज्य सरकार द्वारा जारी बिक्री प्रमाण-पत्र के आधार पर किया गया। वर्ष 1997-98 के दौरान, कृषि और सहकारिता विभाग ने डीएपी/एनपीके/एमओपी के लिए एक अखिल भारतीय समान अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) भी सूचित करना आरम्भ किया। एसएसपी के संबंध में एमआरपी दर्शाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों के पास है। 1997 में जम्मू एवं कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों में उर्वरकों की आपूर्ति के लिए विशेष मालभाड़ा राजसहायता प्रतिपूर्ति स्कीम भी लागू की गई जो 31.3.2008 तक जारी रही। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बीआईसीपी-जिसे अब टैरिफ कमीशन कहा जाता है) द्वारा किए

गए डीएपी और एमओपी के लागत मूल्य अध्ययन के आधार पर कृषि और सहकारिता विभाग ने 1.4.99 से तिमाही आधार पर लागत जमा नीति पर आधारित रियायत की दरों की घोषणा करना शुरू कर दिया था। उर्वरकों की कुल सुपुर्दगी लागत जो सरकार द्वारा सूचित एमआरपी से लगातार अधिक रही है, एमआरपी और फार्मगेट पर उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत में अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा सूचित एमआरपी पर उर्वरकों को बेचने के लिए उत्पादकों/आयातकों को राजसहायता के रूप में की गई थी। स्कीम को लागू किया जाना कृषि एवं सहकारिता विभाग से उर्वरक विभाग को 1.10.2000 को अंतरित किया गया था। सरकार ने टैरिफ कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1.4.2002 से मिश्रित उर्वरकों को राजसहायता की गणना करने के लिए एक नई पद्धति लागू की है।

नाइट्रोजन के स्रोत जैसे गैस, नेफथा, आयातित अमोनिया मिश्रित उर्वरकों के उत्पादकों को समूहों में बांटा गया। समय के साथ-साथ, डीएपी उद्योग का ढांचा भी बदल गया क्योंकि ऐसे नए डीएपी निर्माता संयंत्र स्थापित किए गए जो स्वदेशी फास्फेटिक अम्ल/डीएपी का निर्माण करने के लिए रॉक फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे थे। तदनुसार, टैरिफ कमीशन ने एक नया लागत मूल्य अध्ययन किया और फरवरी 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। डीएपी निर्माता इकाइयों को 2003-04 से 2007-08 तक रियायत भुगतान दो समूहों के कच्ची सामग्री के स्रोत (रॉक फास्फेट/फास्फोटिक एसिड) पर निर्भर करते हुए किया गया। वर्ष 2004-05 में सरकार के निर्णयों के आधार पर, उर्वरक विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें फास्फोरिक एसिड के मूल्य को अंतराष्ट्रीय डीएपी मूल्य से जोड़ने के लिए पद्धति का सुझाव दिया गया। तदुपरांत, यह मामला विशेषज्ञ समूह को भेजा गया। प्रोफेसर अभिजीत सेन के अधीन बने विशेषज्ञ समूह ने अक्टूबर 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर एक अंतर-मंत्रालय समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया। टैरिफ कमीशन ने डीएपी/एमओपी और एनपीके मिश्रित उर्वरकों पर एक नया लागत मूल्य अध्ययन किया और दिसंबर 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट की जांच और प्रोफेसर अभिजीत सेन की अध्यक्षता में बने विशेषज्ञ समूह द्वारा



डीएपी/एमओपी/एनपीके मिश्रित उर्वरकों/जो कतिपय संशोधनों के साथ 31.3.2010 तक लागू रही। रियायत की अंतिम दरें मासिक आधार पर निकाली गईं।

स्वदेशी डीएपी के लिए रियायत वही थी जो आयातित डीएपी के लिए भी (आयात सममूल्य के आधार पर)। मिश्रित उर्वरकों पर रियायत टैरिफ कमीशन द्वारा कुछेक संशोधनों के साथ संस्तुत पद्धति पर आधारित थी। एनपीके मिश्रित उद्योग को नाइट्रोजन के स्रोत नामतः गैस, नेफथा, आयातित यूरिया-अमोनिया सम्मिश्र तथा आयातित अमोनिया के आधार पर 4 समूहों में विभाजित किया गया। 1.4.2008 से मिश्रित उर्वरकों वाली सल्फर के लिए 'एस' की एक अलग लागत की पहचान की गई। रियायत स्कीम के लिए आदान/उर्वरक मूल्यों को पुरानी पद्धति के आधार पर निकाला गया। बफर स्टॉकिंग स्कीम को डीएपी के लिए 3.5 लाख मी. टन के और एमओपी के लिए 1 लाख मी. टन के बफर स्टॉक के साथ जारी रखने की अनुमति दी गई। दिनांक 1.4.2009 से रियायत स्कीम के कुछ तत्वों में संशोधन किए गए ताकि रियायत स्कीम के मापदंडों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण गतिशीलता के अनुसार लाया जा सके और 'एन' मूल्य निर्धारण गतिशीलता को समूह-वार और भुगतान प्रणाली के अनुसार तर्कसंगत बनाया जा सके। पीएंडके उर्वरकों के लिए मौजूदा नीति में कुछ परिवर्तन हुए। तदनुसार, डीएपी और एमओपी के संबंध में 1.4.2009 से रियायत की अंतिम दरों की मासिक आधार पर गणना की गई जिसके लिए पिछले महीने के पूर्व माह के औसत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अथवा चालू माह के लिए भारतीय पोतों पर वास्तविक भारत औसत लागत और मालभाड़ा उतराई मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, को ध्यान में रखा गया। मिश्रित उर्वरकों के लिए कच्ची सामग्री/आदानों के मामले में यह एक माह पीछे चल रहा है। दिनांक 1.12.2008 से, रियायत का भुगतान नियंत्रणमुक्त उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के निर्माताओं/आयातकों को उर्वरकों के आगमन/प्राप्ति के आधार पर और राज्य सरकार/कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर किया गया है बशर्ते कि उस मात्रा की बिक्री के आधार पर अंतिम समायोजन किया जा चुका हो। पीएंडके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य, जो सरकार/राज्य

सरकार द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2002 से 31.3.2010 तक स्थिर रहा। एनपीके मिश्रित उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य 18.6.2008 से घटा दिया गया था। रियायत स्कीम में उर्वरकों के भंडार को बढ़ाने के लिए 1.4.2007 से रियायत स्कीम में मोनो-अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी) को शामिल किया गया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) को 1.4.2008 से रियायत स्कीम में शामिल किया गया और मैसर्स फैंक्ट और मैसर्स जीएसएफसी द्वारा निर्मित अमोनियम सल्फेट (एस) को दिनांक 1.7.2008 से शामिल किया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के लिए रियायत स्कीम के अंतर्गत रियायत दरें **अनुलग्नक-X** के अनुसार थीं।

6.9.2 (क) नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति

रियायत स्कीम के कार्यान्वयन में यह अनुभव किया गया कि पिछली योजना में कोई निवेश नहीं किया गया है। दी जा रही राजसहायता में वर्ष 2004 से 2009 तक के दौरान 530% की भारी वृद्धि हुई जिसमें से 90 प्रतिशत की वृद्धि उर्वरकों और आदानों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई। कृषि उत्पादकता में वृद्धि राजसहायता बिल में वृद्धि के समानुपात नहीं हुई। उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य वर्ष 2002 के बाद से स्थिर रहा। उर्वरक व्यवस्था के सभी पहलुओं को देखने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने सिफारिश की कि पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) राजसहायता प्राप्त उर्वरकों में पोषक-तत्वों के शामिल होने के आधार पर लागू की जाए। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण, 2009 में देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और उर्वरकों का संतुलित अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति लागू करने की घोषणा की। सरकार ने नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों हेतु (एसएसपी के लिए दिनांक 1.5.2010 से) 1.4.2010 से पुरानी रियायत योजना के क्रम में दिनांक 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति लागू की। पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- (i) एनबीएस के अंतर्गत डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी, 18-46-0), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी-11-52-0), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी-0-46-0) मिश्रित उर्वरकों के 12 ग्रेड, अमोनियम सल्फेट (एएस-जीएसएफसी और एफएसीटी द्वारा कैप्रोलेक्टम ग्रेड), जो फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक (पीएंडके) के लिए दी जा रही रियायत योजना के अंतर्गत पहले ही कवर किए जाते हैं तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), प्राथमिक पोषक-तत्व नामतः नाइट्रोजन 'एन' फॉस्फेट 'पी' और पोटाश 'के' और पोषक-तत्व सल्फर 'एस' जो उपर्युक्त उर्वरकों के लिए जारी रियायत योजना में सम्मिलित होते हैं, वे सभी एनबीएस के पात्र होंगे।
- (ii) ऊपर उल्लिखित उर्वरकों की प्रत्येक प्रकार की किस्म, जो गौण और सूक्ष्म पोषक-तत्वों (सल्फर 'एस' के अलावा) के साथ एफसीओ के अंतर्गत आती है, पर राजसहायता दी जाएगी। ऐसे उर्वरकों में गौण और सूक्ष्म पोषक-तत्व (एस के अलावा) पर अलग से प्रति टन राजसहायता दी जाएगी ताकि प्राथमिक पोषक-तत्वों के साथ इनके अनुप्रयोग को बढ़ावा मिल सके।
- (iii) प्रत्येक पोषक-तत्व नामतः 'एन' 'पी' 'के' और 'एस' पर दी जाने वाली एनबीएस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित की जाएगी। सरकार द्वारा इस प्रकार तय की गई पोषक-तत्व आधारित राजसहायता प्रत्येक राजसहायता प्राप्त उर्वरक के लिए प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित हो जाएगी।
- (iv) सचिव, उर्वरक की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की जाएगी जिसमें कृषि और सहकारिता विभाग, व्यय विभाग, योजना आयोग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले सरकार (उर्वरक विभाग) के निर्णय के लिए 'एन' 'पी' 'के' और 'एस' के लिए प्रति पोषक-तत्व राजसहायता की सिफारिश करेगी।
- आईएमसी गौण (एस के अलावा) तथा सूक्ष्म पोषक-तत्वों वाले संपुष्ट राजसहायता प्राप्त उर्वरकों पर प्रति टन अतिरिक्त राजसहायता की सिफारिश करेगी। समिति उत्पादकों/आयातकों के अनुप्रयोग के आधार पर नए उर्वरकों को राजसहायता प्रणाली के अंतर्गत शामिल करने की भी सिफारिश करेगी और सरकार के निर्णय के लिए इस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन करेगी।
- (v) तैयार उर्वरक के आयात के साथ-साथ उर्वरक के वितरण और संचलन, उर्वरक आदान और स्वदेशी इकाइयों द्वारा किए गए उत्पादन पर ऑन लाइन वेब आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के माध्यम से निगरानी रखी जाती रहेगी, जैसा कि पीएंडके उर्वरकों के लिए दी जाती रही रियायत योजना के अंतर्गत किया जा रहा था।
- (vi) भारत में उत्पादित/आयातित नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के मूल्य का 20 प्रतिशत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ईसीए) के अंतर्गत संचलन नियंत्रण में होगा। उर्वरक विभाग कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों में आपूर्तियों को कम करने के लिए इन उर्वरकों के संचलन पर नियंत्रण रखेगा।
- (vii) नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर भाड़ा राजसहायता रेल भाड़े तक सीमित होगी।
- (viii) उपर्युक्त पैरा 1 (प) के अंतर्गत मिश्रित उर्वरकों के 12 ग्रेडों सहित सभी राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत किया जाएगा। तथापि, प्रथम चरण के दौरान आयातित अमोनियम सल्फेट (एएस) पर राजसहायता नहीं दी जाएगी। यूरिया का आयात प्रथम चरण के दौरान सरणीबद्ध ही रहेगा।
- (ix) यद्यपि यूरिया के अलावा राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का बाजार मूल्य मांग-आपूर्ति के संतुलन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बैगों पर उर्वरकों पर अनुमेय राजसहायता और उर्वरकों का खुदरा मूल्य स्पष्ट रूप से मुद्रित करना होगा। मुद्रित निवल



खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर की गई कोई भी बिक्री इसी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगी।

- (x) विशिष्ट उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों से तभी राजसहायता प्राप्त उर्वरक प्राप्त होंगे जब ये उर्वरक कृषि के प्रयोजन के लिए विशिष्ट उर्वरक/उर्वरक मिश्रण का उत्पादन करने हेतु आदानों के रूप में जिलों तक पहुंच जाएंगे। विशिष्ट उर्वरकों/उर्वरक मिश्रणों की बिक्री पर अलग से कोई राजसहायता नहीं दी जाएगी।

- (xi) 'एन' के उत्पादन की अधिक लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए नेफथा आधारित कैप्टिव अमोनिया का इस्तेमाल करके मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाले स्वदेशी उत्पादकों को अलग से अतिरिक्त राजसहायता प्रदान की जाएगी। तथापि, यह सिर्फ दो वर्षों के लिए होगी जिसके दौरान इकाइयों को गैस में परिवर्तित करना होगा या आयातित अमोनिया का प्रयोग करना होगा। अतिरिक्त राजसहायता की मात्रा का निर्णय उर्वरक विभाग द्वारा, टैरिफ कमीशन के अध्ययन एवं सिफारिशों के आधार पर व्यय विभाग के साथ परामर्श के बाद किया जाएगा।

- (xii) प्रथम चरण के दौरान एनबीएस उद्योग के माध्यम से जारी की जाएगी। डीएपी/एमओपी/ मिश्रित उर्वरकों/एमएपी/टीएसपी और एसएसपी और एस के उत्पादकों/आयातकों को एनबीएस का भुगतान विभाग की अधिसूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पोषक-तत्व आधारित राजसहायता प्रति किलोग्राम पोषक-तत्व

पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत गठित अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने एन पी के और एस (नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेश और सल्फर) के लिए प्रति किलोग्राम एनबीएस की अनुमति दी है और वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए फास्फेटयुक्त और पोटेशयुक्त उर्वरकों पर प्रति मी.टन राजसहायता की राशि निम्नानुसार है:

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	पोषक-तत्व	एनबीएस प्रति कि.ग्रा. पोषक-तत्व		एनबीएस प्रति कि.ग्रा. पोषक-तत्व (2011-12)
		1.4.2010 से 31.12.2010 तक	1.1.2011 से 31.3.2011 तक	
1.	'एन'	23.227	23.227	20.111
2.	'पी'	26.276	25.624	20.304
3.	'के'	24.487	23.987	21.386
4.	'एस'	1.784	1.784	1.175

(ग) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्रति मीटरी टन पोषक तत्व आधारित राजसहायता निम्नानुसार है—

(राशि रुपए में)

उर्वरक	प्रति मी.टन पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (2010-11)		प्रति मी.टन पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (2011-12)
	1.4.2010 से 31.12.2010 तक	1.1.2011 से 31.3.2011 तक	
डीएपी	16268	15968	12960
एमएपी	16219	15879	12770
टीएसपी	12087	11787	9340
एमओपी	14692	14392	12831
16-20-0-13	9203	9073	7431
20-20-0-13	10133	10002	8236
23-23-0-0	11386	11236	9295
10-26-26-0	15521	15222	12850
12-32-16-0	15114	14825	12332
14-28-14-0	14037	13785	11495
14-35-14-0	15877	15578	12916
15-15-15-0	11099	10926	9270
20-20-0-0	9901	9770	8083
28-28-0-0	13861	13678	11316
17-17-17-0	12578	12383	10506
19-19-19-0	14058	13839	11742
16-16-16-0	11838 (दिनांक 1.7.2010 से, एनबीएस में 6.8.2010 को शामिल)	11654	
अमोनियम सल्फेट	5195	5195	4413
एसएसपी	4400	4296	3378

(घ) उर्वरक विभाग ने वर्ष 1.4.2010 से 2 वर्षों की अवधि के लिए नाइट्रोजन के लिए नेपथा/लौह भट्टी तेल पर आधारित एनपीके मिश्रित उर्वरकों पर अतिरिक्त राजसहायता भी प्रदान की है जो निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	उर्वरकों के ग्रेड	अतिरिक्त मुआवजे की राशि (अंतिम) प्रति मी. टन में
फैक्ट (कोचीन)	20.20.0.13 (एपीएस) (उद्योगमंडल और कोचीन)	2331
	अमोनियम सल्फेट (20.6-0-0-13) (उद्योगमंडल)	2792
एमएफएल, मणलि	20-20-0-13 (एपीएस)	4784
	17-17-17-0	4079
जीएनवीएफसी, भरुच	20-20-0-0 (एएनपी)	1914

(ङ) संपुष्ट उर्वरकों के लिए राजसहायता

ईसीओ के अनुसार गौण और सूक्ष्म पोषक-तत्वों सहित संपुष्ट उर्वरकों के लिए प्रति मी. टन अतिरिक्त राजसहायता की भी एनबीएस के अंतर्गत अनुमति दी गई, जो निम्नानुसार है—

क्र. सं.	एफसीओ के अनुसार संपुष्टीकरण के लिए पोषक-तत्व	पुष्ट उर्वरकों की प्रति मी.टन अतिरिक्त राजसहायता (रुपए)
1.	बोरॉन 'बीएन'	300
2.	ज़िंक 'जेडएन'	500

(च) एनबीएस के अंतर्गत राजसहायता के भुगतान की पद्धति

उर्वरक विभाग राजसहायता का 85% (90% बैंक गारंटी के साथ) लेखागत भुगतान पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी) के निर्माताओं/आयातकों को मासिक-वार करता है जो उर्वरकों के जिलों/राज्यों में प्राप्त होने पर आधारित होता है। निर्माता/आयातकर्ता इस लेखागत भुगतान को प्राप्त करने का दावा निर्धारित-प्रोफार्मा -'क', जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षण द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, में कर करते हैं। राजसहायता की शेष राशि का

भुगतान भी विहित प्रोफार्मा 'घ' में, कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित होने पर किया जाता है। राज्य सरकारों को विहित प्रोफार्मा 'ख' में उर्वरकों की प्राप्ति का प्रमाण पत्र उर्वरक विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। एसएसपी के लिए राजसहायता का भुगतान बिक्री के आधार पर होता है। तदनुसार, पात्र इकाइयों को कंपनी में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित एसएसपी की बिक्री के संबंध में सूचना के आधार पर राजसहायता के भुगतान का 85% लेखागत भुगतान प्राप्त करने का दावा करने की अनुमति दी जाती है। शेष भुगतान राज्य सरकारों द्वारा विहित प्रोफार्मा 'ख' में जारी किए गए बिक्री प्रावधान के आधार पर उर्वरक विभाग द्वारा की जाती हैं। इस समय पीएंडके उर्वरकों के 38 निर्माता/आयातकर्ता हैं और एसएसपी के 82 उत्पादक पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत शामिल हैं।

(छ) एनबीएस के अंतर्गत मालभाड़ा:

एनबीएस के अलावा, नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के रेल और सड़क द्वारा संचलन और वितरण के लिए मालभाड़ा दिया जा रहा है ताकि देश में उर्वरकों की उपलब्धता को व्यापक बनाया जा सके। नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) पर एनबीएस के अंतर्गत राजसहायता का भुगतान वास्तविक दावे के अनुसार किया जा रहा है। पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत, निर्माताओं/आयातकर्ताओं (एसएसपी को छोड़कर) को दिनांक 1.4.2010 से दिनांक 31.12.2010 तक रेल रसीद के आधार पर मालभाड़े का दावा करने की अनुमति दी गई है जिसके संचलन के लिए 300 रुपए की राशि शामिल है। द्वितीयक संचलन मालभाड़ा एसएसपी निर्माताओं को भी अनुमेय है। रेल संचलन के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के अंतर्गत मालभाड़ा राजसहायता की अनुमति दिनांक 1.1.2010 से वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक दावे के अनुसार दी गई है और तदनुसार, राजसहायता की दरों में दिनांक 1.1.2011 से संशोधन किया गया है। 200 रुपए प्रति मीटरी टन का एकमुश्त मालभाड़ा भी एसएसपी के लिए दिए जाने की अनुमति है। पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) पर द्वितीयक मालभाड़ा दिनांक

1.1.2011 से समान मालभाड़ा राजसहायता नीति के अनुरूप दिया जाएगा जैसा कि यूरिया के लिए मालभाड़ा (प्राथमिक संचलन) दिनांक 1.1.2011 से न्यूनतम और वास्तविक दावे और 700 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक रेल भाड़े के बराबर होगा।

(ज) पोषक-तत्व आधारित राजसहायता का प्रभाव

(i) पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के अन्तर्गत उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य

उर्वरक का अधिकतम खुदरा मूल्य, जो भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया था और जो वर्ष 2002 से स्थिर रहा है उसे अब पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अन्तर्गत दिनांक 1.4.2010 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। तथापि, राजसहायता को इस प्रकार से निर्धारित करने का निर्णय लिया है कि उर्वरक के अधिकतम खुदरा मूल्य का किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तदनुसार, पीएंडके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में 30 रुपए प्रति बैग की वृद्धि हुई है। एसएसपी का अधिकतम खुदरा मूल्य 70 रुपए प्रति बैग कम हुआ है। अन्य पीएंडके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में इस पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के अन्तर्गत मामूली सी वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि किसानों को उर्वरकों की वास्तविक लागत का केवल 25-40% ही देना होता है। अधिकतम खुदरा मूल्य और राजसहायता, जो वर्ष 2010-11 के दौरान पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के अन्तर्गत जारी की गई थी, अनुलग्नक-XI में दी गई है।

6.9.3 पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के अन्तर्गत किसानों को सीधे राजसहायता

वर्तमान राजसहायता व्यवस्था के अन्तर्गत, किसानों को उर्वरक अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रदान किए जाते हैं, जो उर्वरकों की वास्तविक लागत से बहुत कम है। तदनुसार, किसान उर्वरकों की वास्तविक लागत का केवल 25-40% ही भुगतान करते हैं और शेष लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के प्रथम चरण में, राजसहायता उर्वरक उपयोग (उत्पादक/विपणनकर्ता/आयातकर्ता) के माध्यम से दी जाती है। किसानों को सीधे रूप से राजसहायता वितरित करने की व्यवहार्यता

की जांच करने के संबंध में उर्वरक विभाग उर्वरकों को फार्मगेट स्तर तक ले जाने के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अवधारणा प्रमाण अध्ययन (प्रायोगिक) के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति कर रहा है जो खुदरा व्यापारियों (फार्मगेट/किसान) तक सीधे राजसहायता का वितरण करने की व्यवहार्यता की भी जांच करेगा। इस अवधारणा प्रमाण को 7 राज्यों नामतः हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र के लगभग 50-70 ब्लाकों में चलाने का प्रस्ताव है।

6.9.4 दी गई राजसहायता

वर्ष 2001-02 के दौरान सरकार द्वारा दी गई राजसहायता की राशि 12695.02 करोड़ रुपए थी जो 2008-09 में बढ़ाकर 99494.71 करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान यह 64032.29 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2010-11 के लिए उर्वरक राजसहायता का बजट अनुमान 52840.73 करोड़ रुपए है। यूरिया और पीएंडके उर्वरकों पर उर्वरक विभाग द्वारा जारी की गई राजसहायता की राशि दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-XII पर है।

6.6.5 टैरिफ कमीशन द्वारा लागत मूल्य अध्ययन

अमोनिया सल्फेट और नेफ्था आधारित एनपीके मिश्रित उर्वरक के लिए राजसहायता की अनन्तिम दरों को अद्यतन करने/अन्तिम रूप देने के लिए, टैरिफ कमीशन से लागत मूल्य अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया गया है। सरकार संयंत्र/पोतों से जिलों तक राजसहायता के भाड़े के संबंध में अपनी सिफारिशें देने पर भी विचार कर रही है।

6.6.6 उर्वरकों की गुणवत्ता

भारत सरकार ने उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसीए) के तहत एक अनिवार्य वस्तु घोषित किया है और इस अधिनियम के तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (एफसीओ) अधिसूचित किया है। तदनुसार, राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उर्वरक के निर्माताओं/आयातकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उर्वरकों की गुणवत्ता ईसीओ के अन्तर्गत बने एफसीओ में विहित गुणवत्ता के अनुसार है। एफसीओ के प्रावधानों के अनुसार, केवल वही

उर्वरक जो आदेश में दी गई गुणवत्ता के मानकों को पूरा करते हैं, किसानों को बेचे जा सकते हैं। कुल 71 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जिनमें भारत सरकार की फरीदाबाद, कल्याणी, मुम्बई और चैन्नई स्थित चार प्रयोगशालाएं शामिल हैं, और इनकी वार्षिक विश्लेषण क्षमता 1.34 लाख नमूने हैं। देश में आयातित उर्वरकों की गुणवत्ता की अनिवार्य रूप से भारत सरकार की उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा जांच की जाती है। राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं कि वे देश में कहीं भी उर्वरकों के नमूने ले सकते हैं और अवमानक उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं। दंड व्यवस्था में ईसीए, 1955 के अन्तर्गत प्राधिकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने और प्रशासनिक कार्रवाई करने के अलावा दोषी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना और यदि दोषी पाया गया है तो 7 वर्ष तक की सजा देना शामिल है। उर्वरक विभाग द्वारा उर्वरकों, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अवमानक स्तर का पाया गया है, की मात्रा पर दंडात्मक ब्याज के साथ कटौती की जाती है। वर्ष 2006-08 और 2008-09 के दौरान अखिल भारत स्तर पर अवमानक घोषित किए गए उर्वरकों के नमूने क्रमशः 6.0%, 6.2% और 5.5% थे। पीएंडके उर्वरकों और सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) के लिए विभाग द्वारा रियायत का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त उर्वरकों के लिए प्रोफार्मा 'ख' और राज्य में बेचे जाने के बारे में गुणवत्ता प्रमाण-पत्र को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अलावा, जिन राज्यों में ये एसएसपी इकाइयां स्थित हैं, वहां इन इकाइयों को मासिक-वार गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। इन इकाइयों से अपेक्षा की जाती है कि एसएसपी नमूनों की जांच करने के लिए उनके पास उपकरणों से सुसज्जित अपनी एक प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। एसएसपी इकाइयों को बाजार में भेजे गए प्रत्येक बैग पर गुणवत्ता प्रमाणित भी मुद्रित कराना अपेक्षित होता है। उर्वरक विभाग नई एसएसपी इकाइयों का पहली बार तकनीकी निरीक्षण करने के लिए पीडीआईएल को भी नियुक्त किया है। पीडीआईएल राजसहायता के भुगतान का दावा कर रही इकाइयों के उर्वरकों की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करने के लिए एसएसपी इकाइयों का छमाही निरीक्षण करता है। पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के अन्तर्गत इकाइयों को एसएसपी का उत्पादन करने के लिए

आदानों के रूप में रॉक फास्फेट के केवल उन ग्रेडों का इस्तेमाल करना अपेक्षित होता है जिन्हें उर्वरक विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचित ग्रेडों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-XIII** में दिया गया है। उर्वरक विभाग ने राज्य सरकारों को सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) के नमूनों का खुदरा व्यापारियों के स्तर पर परीक्षण करने के लिए पीडीआईएल के साथ एक दल का गठन करने के लिए भी कहा है। एसएसपी के विपणनकर्ताओं को उनके द्वारा बेचे गए उर्वरकों की गुणवत्ता के लिए जिम्मेवार भी ठहराया गया है। उर्वरक विभाग ने राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवत्ता की जांच करने के लिए उर्वरक विभाग के अधिकारियों के सतर्कता दल भी गठित किए हैं।

6.9.7 उर्वरक के निर्यात पर प्रतिबंध:

सरकार को पड़ोसी देशों को राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की तस्करी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। देश में यूरिया के अलावा, उर्वरकों की उपलब्धता और उस पर दी गई राजसहायता के भुगतान को देखते हुए सरकार ने निर्यात और तस्करी को रोकने के लिए प्रतिबंधित श्रेणी में डीएपी/एमओपी के निर्यात को रोकने का निर्णय लिया है। डीजीएफटी से अनुरोध किया गया है कि सभी अन्य राजसहायता प्राप्त उर्वरकों को भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखा जाए।

6.9.8 एसएसपी के लिए रियायत स्कीम/पोषक-तत्व आधारित राजसहायता :

पीएंडके उर्वरकों के नियंत्रण के बाद, एसएसपी के लिए 1993-94 से रियायत स्कीम लागू की गई जो दिनांक 30.04.08 तक रियायत के लिए तदर्थ आधार पर लागू रही। अक्टूबर 2000 से रियायत स्कीम को लागू करने का कार्य कृषि और सहकारिता विभाग से उर्वरक विभाग को अंतरित किए जाने के पश्चात, उर्वरक विभाग ने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया। तदनुसार, पीडीआईएल के तत्वाधान में, दिनांक 17.5.2001 के दिशा-निर्देशों के तहत एक तकनीकी लेखा-परीक्षा और निरीक्षण प्रकोष्ठ (टीएसी) की स्थापना की गई है। एसएसपी निर्यात रॉक फास्फेट के केवल उन्हीं ग्रेडों का इस्तेमाल कर सकेंगे जो उर्वरक विभाग ने भुगतान का दावा करने के लिए समय-समय पर



अधिसूचित किया गया है। सभी नई एसएसपी निर्माता इकाइयों को एफसीओ के अन्तर्गत दिए गए मानकों के एसएसपी का निर्माण करने में अपनी तकनीकी सक्षमता का पता लगाने के लिए इकाइयों का पहली बार तकनीकी निरीक्षण कराना अपेक्षित होगा। तत्पश्चात् इकाइयों का छमाही निरीक्षण भी कराना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इकाइयां रियायत स्कीम के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं। इकाइयों को रियायत का 85% लेखा लागत भुगतान का दावा करने की अनुमति दी गई थी जिसे बाद में राज्य सरकारों से निहित प्रोफार्मा ख में जारी किए गए बिक्री प्रमाण-पत्र के आधार पर उर्वरक विभाग द्वारा समायोजित किया जाना होगा। यह प्रक्रिया को आज तक भी जारी रखने की अनुमति दी गई है। एसएसपी के लिए नीति के अन्य मापदंडों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। सरकार ने 1.5.2008 से एसएसपी के लिए रियायत स्कीम को संशोधित किया जो 30.9.2009 तक जारी रही। दिनांक 30.4.2008 की इस नीति के अनुसार, आयातित रॉक फास्फेट के आधार पर और स्वदेशी रॉक फास्फेट के आधार पर एसएसपी के लिए अलग से मासिक-वार रियायत दरें घोषित की गई थी। रियायत में वृद्धि/गिरावट तथा विनिमय दर के आधार पर किया गया। तत्पश्चात्, उर्वरक विभाग ने दिनांक 13.8.2009 को संशोधित नीति की घोषणा की, जो दिनांक 1.10.2009 से प्रभावी थी और दिनांक 30.4.2010 तक जारी रही। इस नीति के अनुसार, सरकार ने अखिल भारतीय खुदरा मूल्य के स्थान पर दिनांक 1.10.2009 से एसएसपी के बिक्री मूल्य को खुला रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने चूर्णित, दानेदार और बोरोनेटयुक्त एसएसपी के लिए 2000 रुपए प्रति मीटरी टन की राशि के लिए तदर्थ रियायत मुहैया कराई। एसएसपी के लिए केवल वे उन्हीं निर्माताओं को राजसहायता का दावा करने की अनुमति दी गई है जो 40,000 मीटरी टन प्रति वर्ष की वार्षिक स्थापित क्षमता का 50% उत्पादन करते हैं। लेखागत और रियायत के बकाया भुगतान जारी करने की प्रणाली यथावत् रही। इसके बाद, पोषक-तत्व

आधारित राजसहायता नीति को दिनांक 1.5.2010 से एसएसपी के लिए भी लागू कर दिया गया है। तदनुसार, पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के पात्र होने के लिए क्षमता उपयोग का मापदंड जारी रहा। वर्ष 2010-11 के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के अनुसार, फास्फेट और सल्फर के लिए प्रति किलोग्राम पोषक तत्व आधारित राजसहायता क्रमशः 26.276 और 1.784 है। तदनुसार, वर्ष 2010-11 के लिए 4400 रुपए प्रति मी.टन की राशि की राजसहायता की घोषणा की गई है। इस राशि में दिनांक 1.1.2011 से संशोधन किया गया है और तदनुसार, 200 रु. प्रति मीटरी टन के एकमुश्त भाड़े के अलावा 4296 रुपए प्रति मी.टन की राशि की राजसहायता की अनुमति दी गई है। बोरोनयुक्त एसएसपी के लिए प्रति मी.टन राजसहायता के रूप में 300 रुपए प्रति मी.टन की राशि की अनुमति भी दी गई है। यद्यपि पोषक-तत्व आधारित राजसहायता में एसएसपी के अधिकतम खुदरा मूल्य को नियंत्रणमुक्त किया गया है लेकिन इस उर्वरक को निर्माताओं द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान निर्माताओं और सरकार के बीच हुए समझौता-ज्ञापन के आधार पर 3200 रुपए प्रति मी.टन पर बेचा गया है। एसएसपी में फास्फेट और सल्फर के लिए प्रति किलोग्राम पोषक-तत्व आधारित राजसहायता की वर्ष 2010-11 के लिए 200 रुपए प्रति मी.टन के एकमुश्त भाड़े के अलावा 25.624 रुपए और 1.784 रुपए की राशि की घोषणा भी की गई है। बोरोनेटयुक्त एसएसपी के लिए राजसहायता को जारी रखा गया है और बोरोनेटयुक्त एसएसपी के निर्माताओं को मांग और आपूर्ति की ताकतों के आधार पर अपना अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। एसएसपी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी के निर्माताओं को उन राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। जिन राज्यों में ये इकाइयां स्थित हैं। इन इकाइयों को एसएसपी के प्रत्येक बैग पर "गुणवत्ता प्रमाणित" मुद्रित कराना अपेक्षित होता है।

♦♦♦



अध्याय-7

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सहकारी समितियां

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उपक्रम और एक बहुराज्यीय सहकारी समिति नामतः कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) है। इन संगठनों की लाभप्रदता दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक-XIV** पर दिया गया है।

7.1 एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फेगमिल)

7.1.1 प्रस्तावना

फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआई) के जोधपुर खनन संगठन को पृथक करने के पश्चात् कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फेगमिल) को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में दिनांक 14.02.2003 से निगमित किया गया और दिनांक 31.3.2010 को कम्पनी की शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी 7,32,98,000/- रुपए थी।

7.1.2 उत्पादन निष्पादन

वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी ने 7.65 लाख मी0 टन के लक्ष्य की तुलना में 7.23 लाख मी0 टन जिप्सम का उत्पादन किया। चालू वर्ष 2010-11 के लिए दिसम्बर, 2010 तक कम्पनी ने 9.15 लाख मी0 टन के संशोधित वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 5.51 लाख मी0 टन जिप्सम का उत्पादन किया।

7.1.3 वित्तीय निष्पादन

कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान 45.61 करोड़ रुपए की बिक्री पर कर पूर्व 15.88 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है। दिसम्बर, 2010 तक कम्पनी ने 35.11 करोड़ रुपए की बिक्री पर 8.58 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है।

7.1.4 शिकायत प्रकोष्ठ

शिकायत प्रकोष्ठ जनता और कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कार्य कर रहा है और आज की तारीख में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

(i) जन-शिकायत के लिए

कंपनी के जोधपुर स्थित मुख्यालय में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक सुव्यवस्थित जन प्रकोष्ठ है। शिकायत प्रकोष्ठ जन-शिकायतों का तत्काल निपटान करता है।

(ii) कर्मचारी की शिकायत के लिए

1. विभिन्न खानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को अपने संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधकों के जरिए अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।
2. मुख्यालय, जोधपुर में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी शिकायतें अनुभागाध्यक्षों के जरिए महाप्रबंधक को भेजते हैं। वर्तमान में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

7.1.5 अ.जा./अ.ज.जा. भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) व्यक्तियों को रोजगार

दिनांक 31.3.2010 को कंपनी की कुल जनशक्ति 97 है। इनमें से 13 अनुसूचित जाति, 6 अनुसूचित जनजाति; 1 भूतपूर्व सैनिक और 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं।

7.1.6 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

फैगमिल ने जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा राहत, शिक्षा बोर्ड के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु कर पूर्व अपने लाभ का 2% निर्धारित किया है और तदनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान बही खातों में 31.75 लाख रुपए (पिछले वर्ष का 27.92 लाख रुपए) का प्रावधान किया गया है।

7.2 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)

7.2.1 प्रस्तावना

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) असम में नामरूप इकाइयों को पृथक करने के बाद 1.4.2002 से अस्तित्व में आया। बीवीएफसीएल, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक

नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। बीवीएफसीएल के नामरूप परिसर में नामरूप-I, नामरूप-II और नामरूप-III नामक तीन अलग-अलग इकाइयां हैं। सभी तीन इकाइयों की कच्ची सामग्री प्राकृतिक गैस है जो फीडस्टॉक और ईंधन दोनों रूप में है। नामरूप-I में केवल अमोनिया संयंत्र है जबकि नामरूप-II और नामरूप-III में अमोनिया और यूरिया संयंत्र हैं। वर्तमान में, केवल नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्र प्रचालन में हैं। कंपनी के अन्य प्रतिष्ठान नोएडा और कोलकाता में संपर्क कार्यालय हैं और गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और पटना में विपणन कार्यालय हैं। दिनांक 31.03.2010 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त पूंजी क्रमशः 510 करोड़ रुपए और 365.83 करोड़ रुपए है।

7.2.2 वास्तविक निष्पादन

वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी ने बार-बार बिजली जाने, सिंथेसिस कंवर्टरों में घटिया कंवर्जन होने और कूलरों में ट्यूब का रिसाव होने के कारण 3.70 लाख मी.टन के समझौता-ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में 2.30 लाख मी.टन यूरिया का उत्पादन किया है। कंपनी के निष्पादन में सुधार हुआ है और वास्तविक उत्पादन 3,26,860 मी.टन यूरिया के वार्षिक समझौता-ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन दिसम्बर, 2010 तक बढ़कर 1.93 हो गया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी का कार्य-निष्पादन मैसर्स ओआईएल से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी के कारण काफी प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक गैस आपूर्ति में कमी के कारण मई 2010 से जुलाई, 2010 के दौरान नामरूप-II संयंत्र अधिकांश दिनों के लिए

बंद रहा। नामरूप-III में निष्पादन सिंथेसिस कंवर्टर का अच्छी तरह से परिवर्तन न होने और यूरिया क्षेत्र के लीनियर रिसाव के कारण प्रभावित रहा। इसके अलावा, नामरूप-II संयंत्र को 1.95 एमएमएससीएमडी गैस की आवश्यकता की तुलना में 1.72 एमएमएससीएमडी गैस की उपलब्धता के कारण 50% लोड क्षमता पर ही चलाया जा सका था। इससे ऊर्जा खपत और नामरूप-II संयंत्रों के उत्पादन की लागत बढ़ी है।

कंपनी ने अप्रैल, 2010 से दिसम्बर, 2010 के दौरान 15.98 मी.टन जैव-उर्वरक का उत्पादन किया और उसकी वर्ष 2010-11 में 20 मी.टन जैव-उर्वरक का उत्पादन करने की योजना है। कंपनी ने खरीफ 2010-11 के दौरान अपने डीलर नेटवर्क के जरिए किसानों को 235 मी.टन गुणवत्ता बीजों की बिक्री की है तथा रबी 2010-11 के दौरान वितरण हेतु मैसर्स स्टेट फार्मस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को 1991 मी.टन बीजों का आर्डर दिया है। नवम्बर, 2010 तक 464.71 मी.टन बीज प्राप्त हो चुके हैं। कंपनी ने कृमि खाद का उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है और उसने वर्ष 2010-11 के दौरान नवम्बर, 2010 तक 11.43 मी.टन कृमि खाद की बिक्री की है।

7.2.3 वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी को 231.46 करोड़ रुपए की कुल बिक्री से 133.23 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई है। दिसम्बर, 2010 तक कंपनी की बिक्री 237.62 करोड़ रुपए रही है जिससे 96.44 करोड़ रुपए की हानि हुई है।



किसान प्रशिक्षण शिविर



7.2.4 जनता/कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र और शिकायतों की स्थिति:

कंपनी सचिव की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है जिसमें मान्यता-प्राप्त केन्द्रीय और संयुक्त अधिकारी परिषद के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं। समिति कर्मचारियों और नागरिकों की व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करती है। पीड़ित कर्मचारी समिति के समन्वयक को शिकायतें प्रस्तुत करती हैं और समिति की बैठकों में उनका समाधान किया जाता है।

प्राप्त शिकायतों को भारत सरकार द्वारा स्थापित "ऑनलाइन जन शिकायत पंजीकरण और निगरानी प्रणाली" में अपलोड किया जाता है। कंपनी शिकायतों को अपलोड करती है और उनपर शीघ्र कार्रवाई करती है।

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराती है। वर्ष 2010-11 के दौरान, नवम्बर 2010 तक आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने के संबंध में 12 आवेदन प्राप्त हुए। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मांगी गई सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

7.2.5 अ.जा./अ.ज.जा. भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के व्यक्तियों को रोजगार:

अ.जा./अ.ज.जा., भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के रोजगार के मामले पर भर्ती और पदोन्नति के दौरान विचार किया जाता है। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है।

7.2.6 अल्पसंख्यकों का कल्याण और डीलरशिप में आरक्षण:

अल्पसंख्यकों के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है और भर्ती और पदोन्नति के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के निर्देशों का पालन किया जाता है। पदोन्नति और भर्ती के समय पदोन्नति और भर्ती के लिए प्रवर समिति में अल्पसंख्यक के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है।

डीलरशिप के आरक्षण में भर्ती के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया जा रहा है। अ.जा./अ.ज.जा. डीलरों का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :



गणतंत्र दिवस समारोह

अ.ज.जा. श्रेणी :	12
अ.जा. श्रेणी :	57
कुल डीलर :	602

7.3 द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)

7.3.1 प्रस्तावना

द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की इकाइयां सिंदरी (झारखण्ड), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) और तलचर (उड़ीसा) में स्थित हैं। इसकी कोरबा (छत्तीसगढ़) में एक गैर-स्थापित परियोजना भी है। कंपनी की 800 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी की तुलना में 31.3.2010 तक प्रदत्त शेयर पूंजी 750.92 करोड़ रुपये है।

7.3.2 बीआईएफआर को संदर्भ

कॉर्पोरेशन को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा नवम्बर, 1992 में रुग्ण घोषित किया गया था।

7.3.3 कंपनी को बंद करना

कंपनी के तकनीकी और वित्तीय गैर-व्यवहार्यता प्रचालनों के कारण लगातार घाटे को देखते हुए सरकार ने एफसीआई को सितम्बर, 2002 में बंद करने का निर्णय लिया था। परिणामस्वरूप, इसके सभी 5712 कर्मचारियों को एक स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) का प्रस्ताव दिया गया था। जिन कर्मचारियों ने वीएसएस के लिए विकल्प दिया था, उन्हें कार्यभार मुक्त कर दिया गया है। केवल 35 कर्मचारियों को सांविधिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए रखा गया है जिनमें कंपनी की विभिन्न इकाइयों की संपत्तियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा और रक्षा करना शामिल है।

बीआईएफआर ने दिनांक 2.4.2004 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने के संबंध में अपनी प्रथम दृष्ट्या राय की पुष्टि की थी। बीआईएफआर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दिनांक 17.5.2004 के आदेश द्वारा अपनी राय व्यक्त की थी। इस संदर्भ को उच्च न्यायालयों में कंपनी याचिका (सीपी) सं. 183/2004 के रूप में पंजीकृत किया गया है। उर्वरक विभाग और कंपनी के अनुरोध के अनुसरण में उच्च न्यायालय के दिनांक 20.8.2010 को आयोजित अपनी सुनवाई में पुनरुद्धार के

मामले को बीआईएफआर को दोबारा सौंपा गया था।

7.3.4 कंपनी का पुनरुद्धार

कंपनी की विभिन्न बंद इकाइयों के कारण यूरिया के घरेलू उत्पादन की कमी को देखते हुए मंत्रिमंडल ने अप्रैल, 2007 में यह निर्णय लिया कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता पर विचार किया जाए। तत्पश्चात्, मंत्रिमंडल ने पुनरुद्धार के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए 30.10.2008 को सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया था तथा एक व्यवहार्य पूर्ण अनुबंधित पुनरुद्धार प्रस्ताव की उपलब्धता के मामले में भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने पर विचार करने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन दिया था। विस्तृत अध्ययन और किसी पुनरुद्धार विकल्प की सिफारिशों के बाद ईसीओएस ने दिनांक 24.8.2009 को एक उपयुक्त पुनरुद्धार मॉडल का चयन किया था और भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इसकी सिफारिश की गई थी।

पीएसयू और सहकारी समिति ने कंपनी की कुछ इकाइयों का पुनरुद्धार करने में रुचि दिखलाई है:

- क. तलचर इकाई के लिए गेल-आरसीएफ-सीआईएल
- ख. रामागुण्डम इकाई के लिए एनएफएल-ईआईएल
- ग. सिंदरी इकाई के लिए सेल-एनएफएल

उपर्युक्त पर विचार करते हुए ईसीओएस ने 4.8.2010 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में 'राजस्व शेयरिंग' मॉडल के बोली मापदण्डों के रिजर्व मूल्यों पर नामांकन आधार पर इन पीएसयू और सहकारी समिति को पुनरुद्धार करने की अनुमति दी थी।

एफसीआईएल और उर्वरक विभाग परियोजना सलाहकार, मैसर्स डेलोइट की सहायता से पुनर्वास योजना के प्रारूप (डीआरएस) को अंतिम रूप दे रहे हैं और डीआरएस के आधार पर सीसीईए का अनुमोदन मांगा जाएगा।

यह मामला माननीय बीआईएफआर के समक्ष 12.11.2010 को सुनवाई के लिए आया था और की गई प्रगति पर विचार करने के बाद माननीय पीठ ने निम्नानुसार सलाह दी थी:

- (i) प्रचालन एजेंसी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक की नियुक्ति की जाए।

- (ii) कंपनी/उर्वरक विभाग के प्रस्तावित पुनरुद्धार योजना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने की सलाह दी और सुझाव दिया कि एक-बारगी निपटान (ओटीएस) के जरिए सीपीएसयू और सरकारी एजेंसियों की देयता को माफ करने पर विचार किया जाए।
- (iii) सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना पर विचार करने के लिए अगली सुनवाई 3 मार्च, 2011 को होनी निश्चित हुई है।

7.3.5 वित्तीय परिणाम

वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी को 585.09 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई है जिसमें भारत सरकार के ऋण के रूप में 553.14 करोड़ रुपए तथा मूल्य ह्रास के रूप में 1.62 करोड़ रुपए शामिल हैं। वर्ष 2010-11 (नवम्बर, 2010 तक) के दौरान कंपनी को भारत सरकार के ऋण पर 363.00 करोड़ रुपए के ब्याज और मूल्य ह्रास के रूप में 0.27 करोड़ रुपए सहित 367.23 करोड़ रुपए (अनंतिम) की हानि हुई है तथा कंपनी को पूरे वर्ष (2010-11) के दौरान मूल्य ह्रास के रूप में 552.00 करोड़ रुपए (अनुमानित) और 0.4 करोड़ रुपए की हानि होगी।

7.4 मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)

7.4.1 प्रस्तावना

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) को भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका के एमोको इंडिया इनकारपोरेशन (एमओसीओ) के संयुक्त उद्यम के रूप में दिसंबर 1966 में निगमित किया गया था जिसमें भारत सरकार की साम्या अंश पूंजी 51% है। वर्ष 1972 में एनआईओएल ने एमोको के 50% शेयर लिए थे और भारत सरकार की शेयरधारिता 51% तथा प्रत्येक एमोको और एनआईओसी की शेयरधारिता 24.5% थी।

वर्ष 1985 में एमोको ने अपने शेयरों का विनिवेश किया था, जिसे भारत सरकार और एनआईओसी द्वारा अपने संबंधित साम्य में 22.07.1985 को खरीदा गया था। भारत सरकार का संशोधित शेयर धारिता पैटर्न 67.55% तथा एनआईओसी का 32.45% था। परियोजना के आंशिक वित्त-पोषण के लिए 1994 में अधिकार शेयर जारी करने के बाद भारत सरकार और एनआईओसी की धारिता 69.78% और 30.22% थी।

वर्ष 1997 के दौरान, एमएफएल ने 10 रुपए के अंकित मूल्य और 5 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर 2,86,30,000 शेयरों का पब्लिक इश्यू निकाला है। इनमें से 2,58,09,700 शेयरों को अभिदत्त किया गया था। क्षेत्र-वार प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयरधारिता पद्धति निम्नानुसार है:

शेयरधारक	करोड़ रुपए	%
भारत सरकार	95.85	59.50
एनआईओसी	41.52	25.77
पब्लिक	23.73	14.73
योग	161.10	100.00

हालांकि कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 365 करोड़ रुपए है, जिसमें 175 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में तथा 190 करोड़ रुपए अधिमान शेयर पूंजी के रूप में शामिल हैं, फिर भी अधिमान शेयर पूंजी को अभी जारी तथा अभिदत्त किया जाना है। दिनांक 30.11.2010 को प्रदत्त इक्विटी 161.10 करोड़ रुपए थी।

एमएफएल ने 2,47,500 मी.टन अमोनिया, 2,92,050 मी.टन यूरिया और 5,40,000 मी.टन एनपीके की वार्षिक स्थापित क्षमता के साथ 1971 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया था। वर्ष 1998 में 601 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रमुख पुनरुद्धार/विस्तार लागू किया गया था जिससे अमोनिया की वार्षिक स्थापित क्षमता बढ़कर 3,46,500 मी.टन, यूरिया की 4,86,750 मी.टन और एनपीके की 8,40,000 मी.टन हो गई। दिनांक 01.04.2003 से भारत सरकार ने एक नई मूल्य-निर्धारण योजना शुरू की है और मिश्रित उर्वरकों के लिए प्रशुल्क समिति की सिफारिशें अपनाई हैं। वर्ष 2003-04 में संचित हानि से कुल निवल मूल्य समाप्त हो गया और इसलिए कंपनी को बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था। सरकार द्वारा संशोधित नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) - चरण-III, जिससे नियत लागत में कमी 10% तक सीमित हो गई थी, के कारण वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी का प्रचालन 6.88 करोड़ रुपए के लाभ के साथ समाप्त हुआ था। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी ने 90% क्षमता उपयोग के साथ 4,36,100 मी.टन यूरिया का उत्पादन किया था। कंपनी ने एनपीके 'ए' ट्रेन का पुनः प्रारम्भ करके शुल्क आधार पर आईपीएल के लिए 20:20:0:13 का 7335 मी.टन उत्पादन किया था।

7.4.2 बीआईएफआर को संदर्भ

कंपनी के निवल मूल्य के पूर्णतया समाप्त होने और इसके वर्तमान नकारात्मक मूल्य को देखते हुए उसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया है। बीआईएफआर ने कंपनी को मामला सं. 501/2007 के रूप में पंजीकृत किया था। दिनांक 2 अप्रैल, 2009 को आयोजित पहली सुनवाई में एमएफएल को एसआईसीए की धारा 15 के अंतर्गत रुग्ण कंपनी घोषित किया गया था और भारतीय स्टेट बैंक (वाणिज्यिक शाखा, चेन्नई) को बीआईएफआर द्वारा पुनरुद्धार योजना (डीआरएस) का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

डीआरएस के लिए एक व्यवहार्य प्रस्ताव तैयार करने के लिए, पीडीआईएल को एमएफएल के लिए व्यवहार्यता प्रस्ताव तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया था और पीडीआईएल ने इसे प्रचालन एजेंसी और कंपनी को प्रस्तुत किया था। कंपनी ने बोर्ड के विधिवत अनुमोदन से उर्वरक विभाग को व्यवहार्यता प्रस्ताव प्रेषित किया था। एमएफएल के लिए पीडीआईएल के व्यवहार्यता प्रस्ताव में कंपनी की तकनीकी व्यवहार्यता को विस्तारपूर्वक शामिल किया गया था और वित्तीय व्यवहार्यता का मामूली रूप से उल्लेख किया गया था। वित्तीय पुनर्वास को सुदृढ़ करने के लिए प्रचालन एजेंसी ने वित्तीय पुनर्वास प्रस्ताव तैयार करने के लिए एसबीआई कैप्स को नियुक्त किया था और एसबीआई कैप्स ने तदनुसार इसे तैयार करके प्रचालन एजेंसी और कंपनी को भेजा था, जिन्होंने बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उर्वरक विभाग को आगे कार्यवाही के लिए रिपोर्ट भेजी थी।

7.4.3 उत्पादन निष्पादन

एमएफएल की वार्षिक स्थापित क्षमता निम्न प्रकार है:

उत्पाद	वार्षिक क्षमता (मी.टन)	
	पुनरुद्धार-पूर्व	पुनरुद्धार-उपरांत
अमोनिया	2,47,500	3,46,500
यूरिया	2,92,050	4,86,750
एनपीके	5,40,000	8,40,000

अप्रैल से दिसम्बर, 2010 की अवधि के दौरान कंपनी ने 91.5% के क्षमता उपयोग से 3,34,071 मी.टन यूरिया का उत्पादन किया था। कंपनी को वर्ष के दौरान 94.5% के क्षमता उपयोग से 4,60,000 मी.टन

यूरिया का उत्पादन करने की उम्मीद है। कंपनी 40,000 मी.टन विजय 20:20:0:13 का उत्पादन करने की योजना भी बना रही है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, कंपनी 450 मी.टन जैव उर्वरक का उत्पादन प्राप्त करेगी।

7.4.4 वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2009-10 के दौरान, कंपनी को 6.88 करोड़ रुपए का लाभ हुआ और 31 मार्च, 2010 तक कुल संचित हानि 787.05 करोड़ रुपए थी। अप्रैल-दिसम्बर, 2010 के दौरान कंपनी ने 1042.56 करोड़ रुपए के कुल कारोबार में से 52.59 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था।

7.4.5 अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा डीलरशिप में आरक्षण से संबंधित सूचना

हम दस से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती के लिए प्रवर समिति में अल्पसंख्यकों से प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। श्री आर. लारेंस, महाप्रबंधक (एचआर और एमएण्डडी) को वर्ष 2010 के दौरान तकनीकी सहायक प्रशिक्षु की हाल में हुई भर्ती में पीएण्डए नामिती, ओबीसी प्रतिनिधि और अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया गया था।

कंपनी के डीलरों की संख्या 5900 है जिसमें 1614 अ. जा./अ.ज.जा. के हैं जो कुल संख्या का 27.14% बैठता है। अ.जा./अ.ज.जा. डीलरों को 5000/-रुपए की सुरक्षा जमा राशि जमा कराने तथा न्यूनतम बिक्री मानदण्डों से छूट दी जाती है।

7.4.6 पीएसयू द्वारा महिलाओं के कल्याण, विकास और अधिकारिता के लिए शुरू किए गए प्रयास और पहल तथा जेंडर मुद्दों को मुख्यधारा में शामिल करना।

एमएफएल में जेंडर मुद्दों से संबंधित कोई समस्या नहीं है। तथापि, एमएफएल में सार्वजनिक क्षेत्र में महिला (डब्ल्यूआईपीएस) की एक विंग कार्यरत है तथा डब्ल्यूआईपीएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए महिला कर्मचारियों को नामित किया जाता है।

7.5 प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)

7.5.1 प्रस्तावना

प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल), जो फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड (एफसीआई) का तत्कालीन प्रभाग था, को मार्च, 1978 में एक पृथक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 31.03.2010 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 60 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी 17.30 करोड़ रुपए थी।

7.5.2 वित्तीय/वास्तविक निष्पादन

कंपनी ने 83.53 करोड़ रुपए के कुल कारोबार में से वर्ष 2009–10 के लिए 21.21 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। अप्रैल से दिसम्बर, 2010 के दौरान 71.26 करोड़ रुपए के कुल कारोबार से 19.54 करोड़ रुपए (कर पूर्व) का लाभ अर्जित किया गया था। वर्ष 2010–11 के लिए अनुमानित निवल लाभ 26.33 करोड़ रुपए है।

7.5.3 लाभांश की घोषणा

भारत सरकार को वर्ष 2009–10 के लिए कंपनी की 3.81 करोड़ रुपए (लाभांश कर अतिरिक्त) की प्रदत्त पूंजी के 22% के लाभांश (पिछले वर्ष 20%) का भुगतान किया गया है।

7.5.4 समझौता-ज्ञापन में “उत्कृष्ट” रैंक

पीडीआईएल ने “परामर्शी क्षेत्र में उच्च निष्पादन सीपीएसई” के लिए वर्ष 2008–09 हेतु प्रतिष्ठित समझौता ज्ञापन उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है। पीडीआईएल ने “टर्नएराउण्ड सीपीएसई” के लिए वर्ष 2007–08 में प्रतिष्ठित समझौता-ज्ञापन उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है और वर्ष 2006–07 के लिए उत्कृष्ट दर भी हासिल की है तथा वर्ष 2009–10 के दौरान उसे ‘उत्कृष्ट’ दर प्राप्त होने की संभावना है। पीडीआईएल ने लगातार



पीडीआईएल द्वारा उत्पादित कैटेलिस्ट

पिछले पांच वर्षों में काफी अच्छा निष्पादन किया है और वह लघु रत्न की डीपीई योजना के अंतर्गत लघु रत्न-श्रेणी-II का दर्जा प्राप्त करने की पात्र बन गई है।

7.5.5 इंजीनियरिंग और परामर्शी प्रभाग

पीडीआईएल ने भारत में उर्वरक उद्योगों के विकास में अवधारणा से लेकर स्थापना तक निर्णायक भूमिका अदा की है। आज भी इस क्षेत्र में उसका वर्चस्व कायम है और वह देश में कई उर्वरक इकाइयों के ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, पुनरुद्धार और विस्तार परियोजनाओं का निष्पादन करने में नई चुनौतियां लेने के लिए तैयार हैं। इसने तेल और गैस, पाइपलाइन, रिफाइनरी और आधारभूत ढांचे के विकास जैसे आवास परियोजना और नगर गैस वितरण आदि अपने कार्यकलापों का भी विस्तार किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पीडीआईएल के पानागढ़, पश्चिम बंगाल में मैसर्स मैट्रिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में 2200 एमटीपीडी अमोनिया संयंत्र के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग की परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक प्रतिष्ठित आर्डर प्राप्त किया है। यह संयंत्र फीडस्टॉक के रूप में कोल बेड मिथेन गैस पर आधारित भारत का पहला संयंत्र होगा। इसने एनएफएल विजयपुर के अमोनिया-II और यूरिया-II संयंत्र में क्षमता विस्तार परियोजना के लिए परामर्शी सेवाएं और एनएफएल विजयपुर की यूरिया-I क्षमता विस्तार परियोजना के लिए परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने का भी आर्डर प्राप्त किया है।

कंपनी ने जीएनएफसी भरूच से अमोनिया सिंथेसिस गैस सृजन संयंत्र और पानीपत, बठिण्डा और नांगल संयंत्रों के लिए एनएफएल की फीडस्टॉक परिवर्तन परियोजना के लिए पीएमसी सेवाएं प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की है।

वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी विभिन्न ग्राहकों के लिए उर्वरक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं/कार्यों का कार्यान्वयन कर रही है:

- एनएफएल के लिए विजयपुर-II अमोनिया-यूरिया की क्षमता वृद्धि के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं।
- एनएफएल के लिए विजयपुर-I यूरिया की क्षमता वृद्धि के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं।
- कृष्को के लिए सूरत अमोनिया-यूरिया गत्यावरोध

- दूर करने हेतु विस्तृत इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं।
- थाल अमोनिया पुनरुद्धार, आरसीएफ थाल के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग कार्य।
- विजयपुर संयंत्र (एनएफएल) के अमोनिया संयंत्र-I की ऊर्जा बचत परियोजना के लिए परामर्शी सेवाएं।
- जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड फीडस्टॉक परिवर्तन।

7.5.6 रिफाइनरी तेल एवं गैस तथा अन्य क्षेत्र

पीडीआईएल ने तेल और गैस क्षेत्र में अपनी साख स्थापित की है तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कार्य प्राप्त करके अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इसने आईओसीएल, नई दिल्ली से बीओओ आधार पर पारादीप रिफाइनरी परियोजना में एच-2 और एन-2 सुविधाओं की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवा संबंधी कार्य प्राप्त किया है।

इसने पलू गैस डिसल्फयूराइजेशन इकाइयों (एफजीडीयू) के लिए इंजीनियरी परामर्शी सेवा तथा एचपीसीएल विजाग की विजाग रिफाइनरी में एफसीसीयू इकाई के लिए पर्ज उपचार इकाई (पीटीयू) कार्य भी प्राप्त किया है।

यह चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मणलि के एक हाइड्रोजन संयंत्र के लिए पीएमसी सेवाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन कर रही है। इसने वाडिनार में एस्सार रिफाइनरी की हाइड्रोजन सृजन इकाई का कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। आईओसीएल बरौनी के हाइड्रोजन सृजन संयंत्र तथा आईओसीएल मथुरा रिफाइनरी के 60 टीपीडी सल्फर रिकवरी इकाई-IV का कार्य भी भली-भांति चल रहा है। इन कार्यों के कार्यान्वयन से पीडीआईएल को तेल और गैस क्षेत्र में और अधिक कार्य लेने का विश्वास हासिल हुआ है।

7.5.7 निरीक्षण और गैर-विनाशकारी परीक्षण

पीडीआईएल ने तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई) तथा गैर-विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी) सेवाओं - हार्टन स्फेयर्स, माउंडेड एलपीजी बुलैट्स के सांविधिक निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन में अपनी साख स्थापित की है। अमोनिया भंडारण टैंकों का निरीक्षण और पुनर्स्थापन आदि पीडीआईएल के विशिष्ट कार्यकलाप रहे हैं।

पिछली साख और संतोषजनक कार्य—निष्पादन के आधार पर, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने मार्च, 2011 की अवधि के लिए विभिन्न उपकरणों में तृतीय पक्ष निरीक्षण के लिए पुनः टीपीआई दर पर ठेका दिया है और देशभर में बीएचईएल की सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्डर की गई वस्तुओं का क्रय किया गया है। यह कार्य बीएचईएल और उनके ग्राहकों एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और डीवीसी द्वारा पूर्णतया संतोषजनक पाया गया।

गेल, सीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल जैसे विभिन्न तेल और गैस कंपनियों ने पीडीआईएल को निरीक्षण और एनडीटी कार्य प्रदान करके उसमें अपना विश्वास जताया है। आईओसीएल लगभग एक प्रमुख टीपीआई ग्राहक बना हुआ है। टर्मिनल स्वचालित प्रणाली (मेरठ, हल्द्वानी, इलाहाबाद, कानपुर, मुगलसराय, टीकरी कलां, पटना, कांडला, राजकोट, हजीरा, संगरूर, बठिंडा, देवनगुंडी, बीजापुर, कोचीन, आदि) के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शी सेवाओं (पीएमसी) के अधिकांश आर्डर पीडीआईएल को दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान पीडीआईएल को टर्मिनल स्वचालन प्रणाली के लिए एचपीसीएल, मुंबई द्वारा एक प्रतिष्ठित आर्डर दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, पीडीआईएल ने खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्वचालन के लिए टीपीआई आर्डर, टैंक ट्रक फिलिंग का स्वचालन तथा पीओएल डिपुओं के लिए टैंक कार्य प्रबंधन प्रणाली तथा आईओसीएल डिपो में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली तथा आईओसीएल के विभिन्न राज्य कार्यालयों के अंतर्गत अन्य स्थापनाओं के लिए भी टीपीआई आर्डर प्राप्त किए हैं।

आईओसीएल ने अपने एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, तेल टर्मिनलों और तेल डिपो तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों की विद्युत सुरक्षा लेखा-परीक्षा के लिए भी आर्डर दिए हैं। वर्ष के दौरान पीडीआईएल ने आईओसीएल के लिए पेट्रोलियम अनुप्रस्थ भण्डारण टैंकों का निरीक्षण किया। पीडीआईएल को अपने एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र, तेल टर्मिनल और तेल डिपुओं की इलेक्ट्रिकल सुरक्षा आर्डर के लिए आईओसीएल से भी आर्डर मिला है।

7.5.8 प्रौद्योगिकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट

पीडीआईएल के प्रमुख कार्यकलापों में से एक प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कराना रहा है। वर्ष के दौरान पीडीआईएल को इस क्षेत्र में अनेक कार्य प्राप्त हुए हैं जैसे कोल बेड मिथेन पर आधारित

प्रस्तावित अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना के लिए डीएफआर तैयार करना, जेकोफाम-सीरिया के लिए फॉस्फेटयुक्त उर्वरक परिसर हेतु टीईएफआर तैयार करना, फैक्ट-कोचीन में अमोनिया यूरिया संयंत्रों का परिसंपत्ति मूल्यांकन, मैसर्स पीएनजीआरबी के लिए निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र (छः भौगोलिक क्षेत्रों) में आर्थिक कार्यकलापों पर आधारित गैस से संबंधित मूल आंकड़े तैयार करना, हिमाचल प्रदेश सरकार में मैसर्स उद्योग निदेशालय के लिए हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए टीईएफआर तैयार करना, मैसर्स फैक्ट के लिए तकनीकी प्रस्तावों/ऊर्जा दक्षता मापदण्डों की विस्तृत लेखा-परीक्षा करना और एफसीआईएल की 4 इकाइयों (मॉडयूल ख) के पुनरुद्धार के लिए परियोजना सलाहकार सेवाओं के लिए ऊर्जा दक्षता मापदण्डों की विस्तृत लेखा-परीक्षा करना।

7.5.9 विदेशों में कार्य

पीडीआईएल विदेशों से कार्य प्राप्त करने के लिए कड़ा प्रयास कर रहा है। वर्तमान में पीडीआईएल अरजु में अल्जीरिया ओमान फर्टिलाइजर परियोजना के लिए पीएमसी सेवाएं, एओए के लिए अलजीरिया में तेल उपलब्ध करा रहा है। पीडीआईएल ओमिफको (ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी) के लिए ओमान में अमोनिया संयंत्र में प्राकृतिक गैस को कम करने के केन्द्र का स्वास्थ्य अध्ययन कार्य भी कर रहा है। इसने रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के लिए जेकोफाम, सीरिया हेतु फॉस्फेटयुक्त फर्टिलाइजर परिसर के लिए टीईएफआर तैयार करने का कार्य भी प्राप्त किया है। इसे ओमिफको से नए रोटेक्स मेक वाइब्रेटिंग स्क्रीनों के अनुरूप ग्रेनुलेशन हाउस के मौजूदा ढांचे का डिजाइन बनाने और ड्राइंगों का अध्ययन करने का कार्य भी प्राप्त हुआ है।

7.5.10 तकनीकी लेखा-परीक्षा

उर्वरक विभाग ने पूरे भारत में स्थित एसएसपी संयंत्रों की प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा के लिए पीडीआईएल को नियुक्त करना जारी रखा है। लेखा-परीक्षाएं की गई थीं और टीएसी टिप्पणियों तथा अभ्युक्तियों सहित रिपोर्टें उर्वरक विभाग को भेजी जा चुकी हैं।

7.5.11 इंजीनियरिंग व्यवसाय

पीडीआईएल ने पिछले वर्ष में 48.70 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष के दौरान 66.37 करोड़ रुपए मूल्य के इंजीनियरिंग कार्यों का निष्पादन किया है जो 36.28% की वृद्धि दर्शाता है।

7.5.12 उत्प्रेरक प्रभाग

पीडीआईएल ने उर्वरक उद्योग के लिए एचटी सीओ कन्वर्जन शिफ्ट उत्प्रेरक (परम्परागत), एलटी सीओ कन्वर्जन शिफ्ट उत्प्रेरक (परम्परागत); वैनेडियम पैंटोक्साइड उत्प्रेरक, पीआरजी उत्प्रेरक, ऑयरन ऑक्साइड और अल्युमिना बाल्स जैसे उत्प्रेरकों का उत्पादन करना जारी रखा।

पीडीआईएल ने जीएसएफसी, वडोदरा को एलटी सीओ परिवर्तन शिफ्ट उत्प्रेरक की आपूर्ति आरसीएफ ट्रांजे को निकल आधारित सुधार उत्प्रेरक, एचपीसीएल, विजाग और जीएसएफसी को एचटीसीओ शिफ्ट उत्प्रेरक की और एसएआईएल, राऊरकेला के लिए वानादियम पैंटोआक्साइड कैटेलिस्ट की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित आर्डर का निष्पादन किया है।

भ्रष्टाचार की बुराइयों के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और सतर्कता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 3 नवंबर से 7 नवंबर 2009 तक एक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया, जिसमें विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

7.5.13 अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों को सुविधाएं

समय-समय पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पीडीआईएल द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की सुविधाओं को अपेक्षित संख्या तक बढ़ाया जाता रहा है। दिनांक 30.12.2010 को कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

30.12.2010 को कर्मचारियों की संख्या (प्रबंधन प्रशिक्षु सहित नियमित)

श्रेणी	कुल एमआईपी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
क	424	48	21	62
ख	40	5		2
ग	33	10		6
घ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ठेके पर	77	11	1	22
योग	574	74	22	92

7.5.14 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

पीडीआईएल को उस समुदाय के लिए अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी है जिसमें

यह कार्य करता है। कर के उपरांत इसके लाभ के 1% तक का सामाजिक रूप से प्रारंभिक योजनाओं पर व्यय करने का निर्णय लिया गया है जिसमें वर्ष 2012-13 तक 3% की उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी। वर्ष 2009-10 के दौरान पीडीआईएल ने गरीबों और उपेक्षित ग्रामीण जनसंख्या की निःशुल्क राज्य शल्य-चिकित्सा करने के लिए आटो रिफ्रेक्टोमीटर की खरीद हेतु I-केयर में योगदान दिया था। यह झुग्गी-झोंपड़ी के बच्चों की शिक्षा को भी प्रायोजित कर रहा है तथा विकलांग बच्चों की शल्य-चिकित्सा के लिए भी अंशदान दिया है। एसपीसीए अस्पताल के लिए 5.2 लाख रुपए की राशि निगमित की गई है।

7.6 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)

7.6.1 बीआईएफआर के साथ कंपनी के मामले की स्थिति

कंपनी को वर्ष 1992 में बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था और तभी से यह बीआईएफआर के अधीन है। भारत सरकार ने वर्ष 2002 में कंपनी के अन्य कार्यालयों और स्थापनाओं सहित बरौनी और दुर्गापुर इकाइयों और हल्दिया प्रभाग को बंद करने का निर्णय लिया था। दिनांक 08.03.2010 को हुई सुनवाई में बीआईएफआर ने पुनरुद्धार प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध किया था।

7.6.2 एचएफसीएल की इकाइयों/प्रभागों के पुनरुद्धार की स्थिति

एफसीआईएल/एचएफसीएल की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सभी वित्तीय विकल्पों का मूल्यांकन करने तथा सरकार के विचारार्थ उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सचिवों की एक अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया गया था। सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति ने अनेक बैठकों के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। ईसीओएस और उर्वरक विभाग की सिफारिशों के आधार पर सीसीईए नोट का एक प्रारूप तैयार किया गया था तथा उसे अंतर-मंत्रालय परामर्श को परिचालित किया गया था।

7.6.3 वित्तीय निष्पादन

वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत कंपनी ने 35 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया था, लेकिन पूर्व अवधि समायोजन और कर पर विचार करने के बाद पिछले

वर्ष के 4841.16 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में उसे 382.47 करोड़ रुपए की हानि हुई है। निवल लाभ और हानि का इकाई—वार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

7.6.4 भावी संभावनाएं:

सभी तीनों इकाइयों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार को देय सभी ऋणों और ब्याज को माफ करने के सैद्धांतिक अनुमोदन देने पर सहमति दे दी गई है। पुनरुद्धार योजना के अनुसार कंपनी को अपफ्रंट शुल्क और राजस्व शेयरिंग प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए, कंपनी पुनरुद्धार कर रही है और इसका निवल—मूल्य पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन पर सकारात्मक रुख अपनाए जाने तथा भारत सरकार को देय ब्याज और ऋणों को माफ करने की संभावना है।

7.6.5 स्वैच्छिक पृथक्करण योजना

कार्पोरेशन के बंद होने के समय कर्मचारियों को वीएसएस के अंतर्गत कार्यभार मुक्त किया जा रहा था। दिनांक 31.3.2010 को अनुग्रह अनुदान और टर्मिनल लाभ के लिए 283.96 करोड़ रुपए के भुगतान के आधार पर 4665 कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया गया है।

7.7 राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)

7.7.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) का निगमन 6 मार्च, 1978 को हुआ था और यह तत्कालीन फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई थी। इसके निर्माण के समय कंपनी की एक प्रचालन इकाई अर्थात् ट्राम्बे—IV विस्तार और ट्राम्बे—V विस्तार थी जो पश्चिम, दक्षिण विपणन क्षेत्रों और बाम्बे क्रय और संपर्क कार्यालय के अतिरिक्त थी। आरसीएफ महाराष्ट्र राज्य में थाल—वैशिष्ट में मेगा उर्वरक परिसर की स्थापना करने वाली पहली उर्वरक कंपनी है।

ट्राम्बे—IV विस्तार परियोजना में प्रत्येक नाइट्रोजन और फास्फेट (पी₂ओ₅) की 75,000 टन वार्षिक क्षमता से 1 जनवरी, 1979 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था। ट्राम्बे—V विस्तार ने भी 1 जुलाई, 1982 से 1,51,800 टन नाइट्रोजन की वार्षिक क्षमता 6,83,000

टन नाइट्रोजन की वार्षिक स्थापित क्षमता से 1 जून, 1985 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था।

आरसीएफ की कुल स्थापित क्षमता लगभग 10.54 लाख टन नाइट्रोजन और P₂O₅ के 1.17 लाख टन और K₂O के 0.45 लाख टन है। उर्वरकों के अलावा कंपनी मेथनाल, सांद्रित नाइट्रोजनयुक्त एसिड, मेथिलामाइन, अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट/नाइट्राइट, डीएमएफ, डीएमएसी आदि जैसे अनेक औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है।

कंपनी की पूंजीगत अवसंरचना निम्न प्रकार है :

प्राधिकृत पूंजी	800.00 करोड़ रुपए
प्रदत्त पूंजी	551.69 करोड़ रुपए

7.7.2 वास्तविक निष्पादन

कंपनी अनेक उत्पादों का उत्पादन करती हैं। वर्ष 2009—10 तथा अप्रैल से दिसंबर, 2010 के लिए इन उत्पादों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संयंत्र	स्थापित क्षमता	नौ महीने अप्रैल, 10 से दिसंबर '10	2009—10
यूरिया	2036800	1591395	2089076
सुफला	300000	341461	490000
एएनपी	361000	104369	17070
मिश्रित उर्वरक	661000	445830	507070
कुल औद्योगिक उत्पाद:	110400	108898	119323
अमोनिया—I	115500	72825	87856
अमोनिया—V	297000	240585	330235
अमोनिया थाल	990000	846430	1128320
नाइटिक एसिड	352500	266840	362815
सल्फ्यूरिक एसिड	99000	55528	59753
फॉस्फोरिक एसिड	30000	18760	17040

7.7.3 वित्तीय निष्पादन

विवरण	2009—10	2010—11 दिसंबर तक
कारोबार/प्रचलन आय	5826.25	3968.95
कर पूर्व लाभ	344.21	216.12
निवल लाभ/हानि(—)	234.87	149.02
निवल मूल्य	1837.14	1986.16

7.7.4 उत्पादन निष्पादन

आरसीएफ की सभी इकाइयों की वार्षिक स्थापित क्षमता लगभग 10.36 लाख मी.टन नाइट्रोजन और 0.99 लाख मी.टन फॉस्फेट है। वर्ष 2009-10 के दौरान नाइट्रोजन और फॉस्फेट का उत्पादन क्रमशः 10.379 लाख मी.टन तथा 0.769 लाख मी.टन था। वर्ष के दौरान एएनपी, जिसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, के बंद होने के कारण उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हुआ।

उर्वरकों के अतिरिक्त कंपनी कई अन्य औद्योगिक उत्पाद जैसे मेथानॉल, सांद्रित नाइट्रिक एसिड, मिथाइलामाइन, अमोनियम बाईकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, डाई-मिथाइल फार्मेमाइड, डाई-मिथाइल एसिटामाइड, अमोनियम नाइट्रेट, आर्गन आदि का भी उत्पादन करती है।

अप्रैल-नवंबर 2010 के दौरान, आरसीएफ ने पिछले वर्ष की अवधि के दौरान 6.697 लाख मी.टन की तुलना में 7.026 लाख मी.टन नाइट्रोजन का उत्पादन किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष 0.481 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 0.614 लाख मी.टन का भी उत्पादन किया था। वर्ष 2010-11 के दौरान, कंपनी द्वारा 10.74 लाख मी.टन नाइट्रोजन और 1.047 लाख मी.टन फॉस्फेट का उत्पादन किए जाने की संभावना है।

7.7.5 बिक्री निष्पादन

वर्ष 2009-10 के दौरान उर्वरकों की बिक्री (खरीदे गए उत्पाद सहित) 40.82 लाख मी.टन थी जो 14.35 लाख मी.टन नाइट्रोजन, 1.88 लाख मी.टन फॉस्फेट तथा 3.34 लाख मी.टन पोटाश थी।

अप्रैल-नवंबर, 2010 की अवधि के दौरान आरसीएफ ने पिछले वर्ष की संबंधित अवधि में 8.83 लाख मी.टन नाइट्रोजन और 1.53 लाख मी.टन फॉस्फेट की तुलना में 9.33 लाख मी.टन नाइट्रोजन और 1.16 लाख मी.टन फॉस्फेट की बिक्री की थी। कंपनी जैव-उर्वरकों, सूक्ष्म पोषक-तत्वों और 100% ठोस घुलनशील उर्वरकों का भी उत्पादन करती है। अप्रैल-नवंबर 2010 की अवधि में कंपनी ने सूक्ष्म पोषक-तत्वों और जैव-उर्वरक बिओला की बिक्री 153 मी.टन थी। तरल सूक्ष्म पोषक-तत्व माइक्रोला के मामले में कंपनी ने अप्रैल-नवंबर 2010 के दौरान 80 कि.ली. की बिक्री की थी। अप्रैल-नवंबर 2010 की अवधि के दौरान कंपनी के कुल 2,610 मी.टन विशिष्ट उर्वरक (ड्रिप + फोलियर) की बिक्री की गई थी।

वर्ष 2009-10 के कंपनी के औद्योगिक उत्पाद प्रभाग का बिक्री कारोबार 717.77 करोड़ रुपए था। अप्रैल-नवंबर 2010 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन प्रभाग का बिक्री कारोबार 460.74 करोड़ रुपए था।



मेथनॉल चरण-II परियोजना, ट्राम्बे



7.7.6 आधुनिकीकरण/विस्तार योजनाएं

एएनपी 20:20:0 दानेदार इकाई की स्थापना हो गई है और संयंत्र ने अपनी दर क्षमता प्राप्त कर ली है।

रेपिड वॉल संयंत्र में जुलाई 2010 से वजन उठाने वाले पैनलों का निर्माण किया गया है। कंपनी ने वजन उठाने वाले ढांचों के लिए इन पैनलों के प्रयोग हेतु निष्पादन मूल्यांकन प्रमाण-पत्र के लिए बीएमटीपीसी से संपर्क किया है।

मेथनॉल संयंत्र चरण-I की स्थापना मार्च 2010 में हो गई थी। इसके कारण मेथनॉल की उत्पादन क्षमता 180 से बढ़कर 225 एमटीपीडी हो गई है जिससे ऊर्जा की खपत में 1.0 एमकैल/मी.टन की कमी हुई है। चरण-II के अंतर्गत मरम्मत किया गया नया सिंथेसिस गैस कंप्रेसर लगाया गया है। इसे चालू किया जा रहा है। इसके बाद उत्पादन क्षमता 225 से बढ़कर 242 एमटीपीडी हो जाएगी।

थाल अमोनिया पुनरुद्धार परियोजना के अंतर्गत यूरिया क्षमता 2011-12 में अपनी स्थापना के बाद 17.07 से बढ़कर 20 लाख मी.टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। महत्वपूर्ण दीर्घ सुपुर्दगी उपकरण का आर्डर दिया गया है और सिविल कार्य चल रहा है।

7.7.7 शिकायत निवारण

कंपनी में एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण प्रणाली है। कोई नागरिक उत्पादन या की गई सेवाओं के संबंध में कंपनी से शिकायत कर सकता है। इसी प्रकार, कोई पीड़ित ग्राहक/डीलर या अन्य नागरिक कंपनी से गुणवत्ता की खराबी/लिए गए प्रभार/किसी अधिकारी/कर्मचारी के आचरण की शिकायत कर सकता है और उसका निम्न प्रकार समाधान किया जाएगा।

शिकायत, कंपनी के विशेष अधिकारी को की जा सकती है जो महाप्रबंधक के रैंक से नीचे का न हो और जो निवारण के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। कार्यालयों के नाम, पते और दूरभाष नम्बर कंपनी की वेबसाइट www.rcfltd.com पर उपलब्ध हैं। यह आश्वासन दिया जाता है कि नोडल अधिकारी मामले को संबंधित विभाग के साथ तत्काल उठाएगा तथा शिकायत के प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के अंदर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी या सात दिनों के अंदर उपयुक्त उत्तर, जैसी भी स्थिति हो, भेजा जाएगा।



एएनपी ग्रेनुलेशन यूनिट, ट्राम्बे

कंपनी द्वारा स्टॉफ से संबंधित मामलों में इसी प्रकार की एक शिकायत निवारण प्रणाली/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

7.7.8 अ.जा./अ.ज.जा., भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य पिछड़े वर्ग को रोजगार

अ.जा./अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (पीएचपी) की भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।

कंपनी की कुल 4241 जनशक्ति में से 592 अ.जा., 258 अ.ज.जा., 323 अन्य पिछड़ा वर्ग, 8 भूतपूर्व सैनिक और 36 शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी हैं।

7.7.9 विनिवेश

भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान कंपनी की लगभग 5.64% इक्विटी शेयर पूंजी का विनिवेश किया है। इसके बाद अक्टूबर 1992 और दिसंबर 1994 के दौरान क्रमशः 1.57% और 0.27% विनिवेश किया गया था। इस प्रकार, कुल निवेश 7.50% रहा है।

7.7.10 अल्पसंख्यकों का कल्याण और उर्वरक डीलरशिप में आरक्षण

आरसीएफ ने नीति के रूप में भर्ती चयन बोर्डों में अल्पसंख्यकों के एक प्रतिनिधि को शामिल किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यकों को सेवाओं और विकास के लाभ में पर्याप्त हिस्सा प्राप्त हो।

7.7.11 महिलाओं का कल्याण, विकास और अधिकारिता

महिलाएं तकनीकी/गैर-तकनीकी/प्रबंधकीय पदों पर कार्य कर रही हैं और उनमें से कुछ संगठन में उच्च प्रबंधन पदों पर पदोन्नत हो गई हैं।

सभी कल्याण और कर्मचारी लाभ योजनाएं आरसीएफ के पुरुष और महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती हैं।

महिला कर्मचारियों की विशेष योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत आरसीएफ ने निम्नलिखित का गठन किया है:

- महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रकोष्ठ (राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार)

- यौन उत्पीड़न मामलों संबंधी समिति (सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार)

- विशेष चिकित्सा जांच/शिविर

कानूनी आवश्यकता के अंतर्गत सभी लाभ जैसे मातृत्व लाभ, महिला कर्मचारियों को देखभाल छुट्टी, आदि दी जाती है।

नियमित प्रशिक्षण के भाग के रूप में आरसीएफ सभी अधिकारियों (पुरुष और महिला) को यौन उत्पीड़न दिशा-निर्देशों की जानकारी देता है तथा इसमें जेंडर संवेदनशील मुद्दे भी शामिल होते हैं।

7.7.12 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

- क) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम** — को देश के विभिन्न गांवों में कार्यान्वित किया जाता है। इन गांवों का समग्र विकास करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) के अंतर्गत शुरू किए गए कुछ कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:

- ख) **ग्रामीण समुदाय की मूल आवश्यकताओं को पूरा करना** — इस योजना में अनिवार्य सुविधाओं जैसे — पीने के पानी की आपूर्ति, विद्यालय भवन, समुदाय केंद्र, सिंचाई प्रणाली में सुधार करना आदि शामिल हैं।

- ग) **कृषि विकास कार्यक्रम** — इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे/सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों का प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से आर्थिक उत्थान करना है।

- घ) **सहायक व्यावसायिक दस्तकारी विकास कार्यक्रम** — यह ग्रामीण दस्तकारों और उद्यमियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का मंच प्रदान करता है ताकि वे अपनी वाणिज्यिक दक्षता को पुनर्जीवित करके उसका विकास कर सकें।

- ड.) **सामाजिक वानिकी और बंजर भूमि विकास कार्यक्रम** — इसका उद्देश्य रेशम-उत्पादन, सामाजिक वानिकी, बंजर भूमि प्रयोग, सूखी भूमि कृषि और बायो गैस का विकास करना शामिल है।



- च) **जन-स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम** — इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा, ग्रामीण स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर और पशु मेला लगाना शामिल है।
- छ) **युवा और महिला दक्षता विकास कार्यक्रम** — विभिन्न गांवों में ग्रामीण खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ताकि युवाओं को इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।
- ज) **मृदा परीक्षण** — कंपनी इस बात को बहुत महत्व देती है कि किसान फसलों की पैदावार में वृद्धि कर सकें। मृदा परीक्षणों के जरिए यह निर्धारित किया जाता है कि किस मिट्टी और फसल के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। कंपनी के अपने प्रमुख विपणन क्षेत्रों में 5 स्थिर और 3 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं जो मृदा के नमूनों का विश्लेषण करती हैं। प्रति वर्ष लगभग 70000 मृदा नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।
- झ) **सूक्ष्म पोषक-तत्व विश्लेषण** — फसल पैदावार में वृद्धि करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण से मृदा की कमियों का पता लगाया जाता है और फिर अधिकतम फसल पैदावार प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा निर्धारित की जाती है। प्रतिवर्ष लगभग 1000 नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।
- ञ) **सीखते हुए कमाने की योजना** — यह अनूठी योजना कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसका उद्देश्य कक्षा-IX और इससे ऊपर की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे बच्चों को कृषि विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करना है। इन बच्चों को कृषि में हो रहे नवीनतम विकास की जानकारी देने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कृषक समुदाय में उस ज्ञान का प्रसार कर सकें। यह योजना विद्यार्थियों को सीखते हुए कमाने के सभी अवसर प्रदान करती है। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को टोकन राशि दी जाती है जो अध्ययन के दौरान उनके लिए मददगार साबित होती है और दूसरी ओर उन्हें

कृषि का व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। विद्यार्थियों से छुट्टियों और अवकाश के दिनों के दौरान क्षेत्र विस्तार कार्य करवाया जाता है ताकि विशेष उर्वरकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और जैव-उर्वरकों को बढ़ावा मिल सके।

7.8 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)

7.8.1 प्रस्तावना:

एनएफएल अनुसूची 'क' कंपनी तथा लघु रत्न कंपनी है, जिसका निगमन दो नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के उद्देश्य से 23 अगस्त 1974 को किया गया था। ये बठिण्डा (पंजाब) और पानीपत (हरियाणा) में फीडस्टॉक/एलएसएचएस की गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं जिनकी प्रत्येक की स्थापित क्षमता 5.11 लाख टन यूरिया है। इन संयंत्रों से वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 1.10.1979 और 1.9.1979 से प्रारंभ हुआ था। अप्रैल 1978 में एफसीआई के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप एफसीआई की नांगल इकाई (नांगल विस्तार परियोजना) को एनएफएल को अंतरित किया गया था।

भारत सरकार ने 1984 में कंपनी को मध्य प्रदेश के जिला गुना में देश की पहली 7.26 लाख टन क्षमता वाली यूरिया उर्वरक परियोजना लगाने का दायित्व सौंपा था और इसका वाणिज्यिक उत्पादन 01.07.1988 से शुरू हो गया है। वर्ष 1993 में विजयपुर संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता को दुगुना करने के लिए उसका विस्तार किया गया था। तत्पश्चात् उर्वरक विभाग ने 7.26 लाख टन यूरिया की अपनी वार्षिक स्थापित क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करके 1 अप्रैल 2000 से उसे 8.64 लाख टन (प्रत्येक) कर दिया था।

नांगल में यूरिया संयंत्र का पुनरुद्धार उत्पादन को 3.30 लाख टन से बढ़ाकर 4.78 लाख टन प्रतिवर्ष किया गया था और वाणिज्यिक उत्पादन 1 फरवरी 2001 से शुरू हुआ था जिससे एनएफएल की कुल वर्तमान यूरिया वार्षिक स्थापित उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 32.31 लाख टन (अर्थात् नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के अनुसार 14.86 लाख टन) हो गई।

कंपनी जैव उर्वरकों के अलावा, नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, मेथनोल, तरल आक्सीजन आदि जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों का भी उत्पादन करती है।

विजयपुर में जैव-उर्वरक संयंत्र पीएसबी, रहिजोबियम और अजोतोबैक्टर नामक जैव-उर्वरकों की तीन किस्मों का भी उत्पादन करती है। कंपनी ने 'किसान माइकोहिजा' नाम ब्रांड के अंतर्गत "माइकोहिजा" जैव उर्वरक आधारित विशेष कवक का भी विपणन किया है।

एनएफएल द्वारा विकसित मूल्य-वर्धित नीम लेपित यूरिया का विकास किया है और इसकी प्रभावकारिता को देखते हुए इसका व्यापक रूप से पानीपत, बठिण्डा और विजयपुर स्थित इकाइयों में उत्पादन किया जा रहा है। एनएफएल भारत की पहली कंपनी है जिसे भारत सरकार द्वारा नीम लेपित यूरिया का उत्पादन और विपणन करने की अनुमति दी गई है।

दिनांक 31.03.2010 को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी 490.58 करोड़ रुपए है जिसमें भारत सरकार का अंश 479 करोड़ रुपए (97.64%) और शेष 11.58 करोड़ रुपए (2.36%) वित्तीय संस्थानों और अन्यो द्वारा धारित है।

7.8.2 आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाएं:

कंपनी के लिए वर्ष 2009-10 एक उपलब्धिपूर्ण वर्ष रहा। भारत सरकार द्वारा यूरिया क्षेत्र में पारिश्रमिक निवेश नीतियों की अधिसूचना जारी किए जाने के परिणामस्वरूप कंपनी ने निम्नानुसार कई परियोजनाएं शुरू की हैं।

पानीपत, बठिण्डा और नांगल में ईंधन-तेल आधारित संयंत्रों का पुनरुद्धार

कंपनी ने एफओ/एलएसएचएस से एनजी/आरएलएनजी तक फीडस्टॉक में परिवर्तन के लिए पानीपत, बठिण्डा और नांगल में ईंधन-तेल आधारित संयंत्रों का पुनरुद्धार शुरू किया है। इन परियोजनाओं में 4066 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया जाएगा और अंतराल अवधि आरंभिक तारीख अर्थात् 29 जनवरी 2010 से 36 महीने है। पानीपत और बठिण्डा इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के साथ 10 मार्च 2010 को मैसर्स टेक्निमोंट आईसीबी (टीआईसीबी) के परिसंघ के साथ 12 मई 2010 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैसर्स प्रोजेक्ट एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) को सभी परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

विजयपुर में क्षमता वृद्धि और ऊर्जा बचत परियोजना (ईएसपी)

कंपनी ने विजयपुर-I और II में यूरिया संयंत्रों की क्रमशः 16% और 23% क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू किया है जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपए के निवेश से कार्बन डाइऑक्साइड रिकवरी संयंत्र की स्थापना करना शामिल है। विजयपुर-I में ऊर्जा बचत परियोजना तथा विजयपुर-II में क्षमता वृद्धि परियोजना के पूरा होने के बाद कुल यूरिया क्षमता के 6261 एमटीपीडी होने की संभावना है। अमोनिया-I, अमोनिया-II, यूरिया-I और यूरिया-II का मूल इंजीनियरिंग कार्य पूरा हो गया है। उपकरण की प्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। परियोजनाओं के 2011-2012 तक स्थापित होने की संभावना है।

एनएफएल ने मैसर्स कृभको और आरसीएफ के सहयोग से विदेश में निवेश अवसरों और देश में नाइट्रोजनयुक्त, फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त क्षेत्रों की खोज करने तथा भारत और विदेशों में परियोजनाएं लगाने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु "उर्वरक विदेश लिमिटेड" नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाई है। कंपनी के विपणन नेटवर्क में नोएडा में केन्द्रीय विपणन कार्यालय, भोपाल, लखनऊ और चंडीगढ़ के तीन आंचलिक कार्यालय, 16 राज्य कार्यालय और देश भर में लगभग 38 क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं।

7.8.3 उत्पादन निष्पादन

कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान 33.30 लाख टन यूरिया (स्थापित क्षमता 103.7%) का उत्पादन किया है। कंपनी ने 226 टन जैव उर्वरकों और 37648 टन नीम लेपित यूरिया का उत्पादन किया है। यूरिया उत्पादन में एनएफएल का प्रतिशत अंश 15.8% है। कंपनी ने प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत मूल और प्रमाणित बीजों का उत्पादन भी प्रारंभ किया है। वर्ष 2010-11 के दौरान दिसंबर तक कंपनी ने 104.3% की क्षमता का उपयोग करते हुए 25.28 लाख मी.टन यूरिया का उत्पादन किया है।

7.8.4 बिक्री निष्पादन

कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान 33.78 लाख टन यूरिया की बिक्री की है। कंपनी ने जैव-उर्वरक बिक्री में अब तक का सर्वाधिक उत्कृष्ट 196 टन की बिक्री



नांगल संयंत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमलाप

की है। इसने वर्ष के दौरान 3468 टन बीजों की भी बिक्री की है। वर्ष के दौरान बिक्री कारोबार में 5091.34 करोड़ रुपए की राजसहायता शामिल है। वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादों का बिक्री कारोबार 98.35 करोड़ रुपए है। कंपनी ने 7.31 करोड़ रुपए मूल्य का कंपोस्ट, माइकोरिजिजा और बीज की भी बिक्री की है।

7.8.5 वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 259.91 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 155.61 करोड़ रुपए, और वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 155.82 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया है। कंपनी ने मौजूदा वित्तीय वर्ष अर्थात् 2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान 163.46 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) प्राप्त किया है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:

2007-08 से 2009-10 तथा 2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक)

करोड़ रुपए में

विवरण	राशि 2007-08	राशि 2008-09	राशि 2009-10	राशि 2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक)
सकल मार्जिन	261.76	292.91	364.55	235.08
घटा: मूल्य ह्रास	89.30	96.41	93.75	65.98
घटा: ब्याज	16.64	40.89	10.89	5.64
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	155.82	155.61	259.91	163.46
घटा: कर	47.17	58.15	88.40	51.68
कर उपरांत लाभ	108.65	97.46	171.51	11.78



निदेशक (वित्त), एनएफएल लागत प्रबंधन के लिए बटिण्डा इकाई को मिले आईसीडब्ल्यूआई पुरस्कार ग्रहण करते हुए

7.8.6 अ.जा./अ.ज.जा., भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति (30.9.2010) को रोजगार

अ.जा., अ.ज.जा., ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (पीएचपी) के लिए भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।

कंपनी की नामावली में 4673 की कुल जनशक्ति में से 1211 अ.जा., 285 अ.ज.जा., 322 ओबीसी, 81 भूतपूर्व सैनिक और 54 पीएचपी हैं।

7.8.7 समझौता-ज्ञापन

एनएफएल ने लगातार नौवीं बार वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए "उत्कृष्ट" समझौता-ज्ञापन दर प्राप्त की है। कंपनी द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए 'उत्कृष्ट' दर प्राप्त किए जाने की संभावना है। वर्ष 2010-11 के लिए

कंपनी ने लगातार 20वें वर्ष उर्वरक विभाग के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

7.8.8 पुरस्कार और सम्मान

कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट निष्पादन किया है जिसे वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता मिली है। कंपनी ने राजकोषीय वर्ष 2008-09 के लिए लगातार नौवें वर्ष "उत्कृष्ट" समझौता-ज्ञापन प्राप्त किया है।

विजयपुर इकाई ने ग्रीन टेक फाउंडेशन, नई दिल्ली में "ग्रीन टेक सुरक्षा पुरस्कार 2009" प्राप्त किया है। उत्कृष्ट सुरक्षा पद्धति के लिए विजयपुर इकाई को भी वर्ष 2007-08 के लिए उत्कृष्ट करदाता के लिए वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार और सम्मान प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया है। विजयपुर इकाई को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली से वर्ष 2006-07 के

लिए उत्पादन क्षेत्र में जैव-उर्वरकों हेतु भी दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विजयपुर इकाई और पानीपत इकाई को भी राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बठिण्डा इकाई को पंजाब औद्योगिक सुरक्षा परिषद चण्डीगढ़ से वर्ष 2009 के लिए रसायन उद्योग में दुर्घटना के बार-बार होने की दर में अत्यधिक कमी करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

7.8.9 जनता/स्टॉफ शिकायत निवारण प्रणाली

डीपीई द्वारा अधिसूचित मॉडल शिकायत प्रक्रिया के आधार पर कंपनी ने एनएफएल के कर्मचारियों के लिए 'शिकायत निवारण प्रक्रिया' बनाई है। प्रक्रिया का उद्देश्य शिकायतों के निपटान के लिए सुगम पहुंच प्रणाली उपलब्ध कराना है और ऐसे उपाय अपनाना है जिससे कर्मचारियों की शिकायतों का शीघ्रता से निपटान हो और कार्य के प्रति संतुष्टि बढ़े। परिणामस्वरूप, संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार होगा।

जन शिकायतों की व्यवस्थित निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए अध्यक्ष, कारपोरेट एचआर विभाग को निदेशक (शिकायत) के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने इकाइयों में "जन शिकायत प्रकोष्ठ" की भी स्थापना की है जिसका अध्यक्ष शिकायत अधिकारी होता है, जो सामान्यतः वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग का होता है। इसके अलावा, कंपनी की वेबसाइट "www.nationalfertilizers.com" पर जनता द्वारा पृष्ठताछ/शिकायत दर्ज करने के लिए एक फीडबैक फार्म दिया गया है।

7.8.10 अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा डीलरशिप में आरक्षण से संबंधित सूचना

संगठन सभी समुदायों में समानता में विश्वास रखती है और अल्पसंख्यकों की अधिकारिता पर सरकार के सभी विनियमों का पालन करती है जैसे समूह 'ग' और 'घ' में साक्षात्कार बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व शामिल किया जाना। दिनांक 30.09.2010 को अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के अंतर्गत एनएफएल डीलरशिप में प्रतिशत शेयर 26.72% है।

7.8.11 पर्यावरण प्रबंधन

कंपनी की सभी इकाइयों में प्रदूषण-तत्वों को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है जिसके द्वारा पर्यावरण मानकों और कानूनों का

अनुपालन किया जाता है। हमारी कंपनी में पर्यावरणीय उत्कृष्टता के लिए संसाधन संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण रोकथाम हेतु प्रेरक क्षेत्र हैं।

संयंत्रों से राख को निकालने के लिए पानीपत और बठिण्डा इकाइयों में गहन चरण वाली वायवीय सूचना प्रणाली का इस्तेमाल करके ईएसपी हूपर्स से फ्लाई ऐश एकत्रित करने की एक प्रणाली है। सभी इकाइयां पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ-14001 प्रमाणित हैं तथा उन्हें व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ओएचएसएस-1800। प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। कंपनी ने नांगल में नाइट्रिक ऑक्साइड संयंत्र से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु परियोजना विकास दस्तावेज प्रस्तुत किया है। परियोजना से कंपनी स्वच्छ विकास प्रणाली के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम होगी। कंपनी विजयपुर में प्रारंभिक सुधारक की ईंधन गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड की रिकवरी के लिए 450 एमटीपीडी का कार्बन डाइऑक्साइड रिकवरी संयंत्र लगा रही है। इससे ग्रीन हाउस गैसों के निर्वहन में कमी करने में भी मदद मिलेगी।

7.8.12 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और कृषि विस्तार कार्यक्रम

कंपनी फसल उत्पादकता समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करने तथा उर्वरकों के कुशल प्रयोग के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे आगे बढ़ाते हुए वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर 424 क्षेत्रीय प्रदर्शनियां और 161 आरएण्डडी परीक्षण शुरू किए गए थे। लगभग 60,000 मृदा नमूने एकत्र किए गए और उनकी पोषक-तत्व की कमी की जांच की गई तथा किसानों को विश्लेषण रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थीं।

उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार करने और किसानों के साथ सीधे संबंध स्थापित करने, किसानों को उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की जानकारी देने और कीटनाशकों एवं फफूंदीनाशकों पर मार्गदर्शन उपलब्ध करने के अलावा, उनका समय पर उपयोग करने की जानकारी देने के लिए कृषि मेले, प्रदर्शनियां, फसल संगोष्ठियां, किसानों और डीलरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अध्ययन दौरों

का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों के दौरान फोल्डरों, इश्तहारों, पैम्पलेटों के रूप में 2 लाख से अधिक फसल संबंधी सामग्री को स्थानीय भाषाओं में वितरित किया गया था। कृषि डायरी किसानों के लिए एक वार्षिक प्रकाशन है तथा कृषि संदेश मौसम-वार फसल परामर्श समाचार पत्रिका है। महिलाओं और बच्चों के लिए कई स्वास्थ्य शिविरों, पशु स्वास्थ्य शिविरों, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वॉटर टैंक, पानी के कूलर, सौर लाइट, ट्राइसाइकिल, स्कूल फर्नीचर, पुस्तकें आदि भी वितरित की गई थीं।

विजयपुर, पानीपत, बठिण्डा और नांगल इकाइयों ने अपने आसपास के क्षेत्रों में समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए विभिन्न कार्यक्रमलाप शुरू किए हैं। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए थे। आसपास के गांवों के गरीबों और जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता, कंबल, सिलाई मशीनें आदि उपलब्ध कराई गईं। अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा लेखन-सामग्री मदों, स्टेटरों, फर्नीचर वस्तुएं आदि वितरित की गई थीं। आसपास के गांवों में सामुदायिक कार्य जैसे चारदीवारी का निर्माण, फ्लोरिंग कार्य, और अन्य सिविल कार्य भी कराए गए तथा छात्रों के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराया गया।

7.9 द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट)

7.9.1 प्रस्तावना

द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी) को 1943 में निगमित किया गया था। वर्ष 1947 में फैक्ट ने कोचीन के समीप उद्योगमंडल में 50,000 मी.टन प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता के साथ अमोनियम सल्फेट का उत्पादन शुरू किया। वर्ष 1960 में फैक्ट एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बन गया और 1962 के अंत में भारत सरकार इसकी प्रमुख शेयर धारक बन गई।

एक साधारण सी शुरुआत से फैक्ट ने उर्वरकों एवं पेट्रो-रसायन के उत्पादन एवं विपणन, इंजीनियरी परामर्श एवं डिजाइन तथा औद्योगिक उपकरणों के निर्माण और स्थापना में व्यापक रुचि लेते हुए विकास

किया और बहु-प्रभागीय/बहु-कार्यशील संगठन के रूप में अपने कार्यों का विविधीकरण किया है।

7.9.2 उत्पादन निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान फैक्ट ने उत्पादन और बिक्री में प्रगति की है। लगातार दूसरे वर्ष कंपनी ने 2100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है। वर्ष 2009-10 और 2008-09 की तुलना में वर्ष 2010-11 के लिए दिसम्बर, 2011 तक उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता नीचे दी गई है :

	2009-2010	2008-2009	अप्रैल-दिसंबर 2010
उत्पादन टन			
फैक्टमफोस 20:20	753744	605047	481457
अमोनियम सल्फेट	179546	128845	145554
कैप्रोलेक्टम	42006	13548	32070
बिक्री/लाख टन			
उर्वरक	10.45	8.33	7.18*
कैप्रोलेक्टम	0.38	.0.12	0.32
वित्तीय/रुपए लाख			
कर पूर्व लाभ/हानि	(-)10370.34	4311.44	(-)1409

*व्यापार उत्पाद सहित

7.9.3 निष्पादन उपलब्धि

वर्तमान वर्ष के दौरान नवम्बर, 2010 तक कंपनी ने 4,42,749 मी.टन एनपी का उत्पादन किया है जो लक्ष्य का 97% है। इस अवधि के दौरान अमोनियम सल्फेट का उत्पादन 12,5897 मी.टन था जो लक्ष्य का 113% है।

वित्तीय वर्ष के दौरान नवम्बर, 2010 तक पिछले वर्ष की संबंधित अवधि में उर्वरकों की कुल बिक्री 1276.54 करोड़ की तुलना में उर्वरकों की कुल बिक्री 7.18 लाख मी.टन थी, जिसका मूल्य 1427.94 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने इस अवधि के दौरान 45475 मी.टन आयातित एमओपी की बिक्री की थी। नवम्बर, 2010 तक जिप्सम की बिक्री 252050 मी.टन तक पहुंच गई थी। पिछले

वर्ष शुरू किए गए जिंक फोर्टिफाइड जिप्सम फ़ैक्ट आर्गेनिक, और जिंकयुक्त फ़ैक्टमफोस जैसे नए उर्वरक उत्पादों की बाजार में खपत अच्छी है।

अप्रैल-नवम्बर, 2010 की अवधि के लिए कैप्रोलेक्टम की बिक्री 28112 मी.टन है जिसमें से 6460 मी.टन का निर्यात किया गया था।

जिंकयुक्त फ़ैक्टमफोस का वाणिज्यिक उत्पादन इस वर्ष के शुरू में किया गया था और आज की तारीख तक बाजार में कुल 19199 मी.टन जिंकयुक्त फ़ैक्टमफोस की बिक्री हुई है। इस उत्पाद से फ़ैक्ट को उच्च प्रतिलाभ प्राप्त होता है और यह देश में उर्वरक पोषण-तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।

1) फ़ैक्ट-आरसीएफ भवन उत्पाद लिमिटेड (एफआरबीएल)

फ़ैक्ट ने फोसफो जिप्सम का इस्तेमाल करके भार उठाने वाले पैनलों और अन्य भवन उत्पादों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। इस परियोजना के जनवरी 2011 के दौरान यांत्रिक समापन प्राप्त किए जाने की संभावना है। स्थापना जल्दी ही शुरू होगी।

2) फीडस्टॉक और ईंधन को एलएनजी में परिवर्तित करना

एलएनजी, जो वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे नेफ़्था से सस्ता फीडस्टॉक है, के पुथुवयपीन में पेट्रोनेट एलएनजी द्वारा स्थापित किए जा रहे निर्माणाधीन टर्मिनल से उपलब्ध होने की संभावना है। फ़ैक्ट ने अपने मौजूदा अमोनिया संयंत्र तथा एलएनजी के प्रयोग के लिए बॉयलरों का संशोधन करने के लिए कदम उठाए हैं। मैसर्स हलदर टोपसों; जो अमोनिया संयंत्र का लाइसेंसर है, अमोनिया संयंत्र के फीडस्टॉक परिवर्तन के लिए इंजीनियरी कार्यों हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बीएचईएल ने बॉयलरों के संरक्षण कार्य के लिए एक अध्ययन शुरू किया है। फ़ैक्ट दोहरे फीडस्टॉक और ईंधन के लिए इन संयंत्रों में परिवर्तन करना चाहता है ताकि विभिन्न कच्ची

सामग्रियों की सापेक्ष अर्थव्यवस्था का लाभ उठाया जा सके।

फ़ैक्ट एलएनजी टर्मिनल से गैस की अपेक्षित मात्रा के परिवहन और गैस आपूर्ति के लिए गेल/बीपीसीएल/आईओसी से गैस संचारण और गैस आपूर्ति करार के लिए भी कदम उठा रहा है। तथापि, प्राकृतिक गैस के लिए 4-5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के औसत मूल्य की तुलना में कोच्चि टर्मिनल में एलएनजी का प्रस्तावित मूल्य 14-15 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू होना कंपनी के लिए चिंता का विषय है, जबकि संयंत्र के गैस में परिवर्तन होने के बाद से अतिरिक्त राजसहायता को वापस ले लिया जाएगा।

3) विस्तार और विविधीकरण संयंत्र

फ़ैक्ट ने उद्योगमण्डल में 5 लाख मी.टन प्रतिवर्ष यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिए योजनाएं बनाई हैं जो इस संयंत्र से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके मौजूदा अमोनिया संयंत्र का एक विस्तार संयंत्र होगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और प्रोसेस लाइसेंसर का चयन चल रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 695 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का कार्यान्वयन 2012-13 से शुरू होना है।

फ़ैक्ट 2000 टीडीपी से 3000 टीडीपी तक फ़ैक्ट (कोचीन प्रभाग) में मिश्रित उर्वरकों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की अपनी योजनाओं को लागू कर रहा है। स्थल का चयन पूरा हो गया है और डीपीआर तैयार की जा रही है। उत्पादन सुविधा के विस्तार से हैण्डल की जाने वाली कच्ची सामग्रियों की उच्च मात्राओं की आपूर्ति करने के लिए विलिंगडन द्वीप समूह में कच्ची सामग्री हैण्डलिंग सुविधा का विस्तार/पुनरुद्धार करने की भी योजना बनाई गई है। इन उद्यमों की कुल लागत लगभग 283 करोड़ तक होने की संभावना है।

फ़ैक्ट वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल में स्थापित नया राजमार्ग, जो फ़ैक्ट परिसर से होकर गुज़रता है, के किनारे कंटेनर भाड़ा केन्द्रों की स्थापना के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कोनकोर)





22 जून 2010 को उद्घाटित फैक्ट पेट्रोरसायन संयंत्रों की मरम्मत की गई कूलिंग टॉवर का एक दृश्य

तथा सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) के साथ ढांचागत विकास के क्षेत्र में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक उद्यम लगाया है।

इन उद्यमों के लिए अंतिम व्यवसाय योजनाएं तैयार की गई हैं। इन भाड़ा स्टेशनों का निर्माण एक वर्ष में पूरा होने की संभावना है। केरल राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्योग उसके उद्योगमण्डल परिसर में एक अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र की स्थापना करने पर भी विचार किया जा रहा है और इसकी विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

7.9.4 जन-शिकायतों का निवारण और कल्याणकारी उपाय

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कंपनी में एक जन शिकायत प्रकोष्ठ चल रहा है। शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

7.9. कर्मचारी शिकायत निवारण-तंत्र

कंपनी में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी में एक तंत्र मौजूद है। सामान्यतया शिकायतें कार्य, कार्य स्थल, पारी व्यवस्था, वेतनवृद्धि देने, पदोन्नति, वेतन निर्धारण, स्थानांतरण आदि से संबंधित होती हैं। कोई पीड़ित कर्मचारी प्रभाग में शिकायत के निपटान के लिए शिकायत/अनुरोध कर सकता है और फिर भी यदि वह प्रभाग प्रमुख के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह इसे उपयुक्त शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। प्रबंधकीय और गैर-प्रबंधकीय कर्मचारियों की शिकायतों की जांच और निपटान के लिए अलग-अलग शिकायत समितियां विद्यमान हैं। संबंधित व्यक्ति को, यदि आवश्यक हो, समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। संबंधित समिति शिकायतों पर विचार-विमर्श करेगी और उपयुक्त कार्रवाई के लिए प्रबंधन को अपनी सिफारिशें देगी। इसके अलावा, एक अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति शिकायत कक्ष है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर विचार करता है।

7.9.6 दिनांक 30.11.2010 को अ.जा./अ.ज.जा., भूतपूर्व सैनिकों शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को रोजगार

दिनांक 31.11.2010 को कंपनी की कुल जनशक्ति 3340 है, जिसमें से 458 अनुसूचित जाति, 109 अनुसूचित जनजाति, 41 भूतपूर्व सैनिक, 1023 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, 244 महिलाएं, 73 शारीरिक रूप से विकलांग तथा 1750 सामान्य श्रेणी के हैं।

7.9.7 डीलरशिप में आरक्षण

फैक्ट ने हमेशा से अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को डीलरशिप लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। अ. जा./अ.ज.जा. को आर्बिट्ररी डीलरशिप का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

डीलरशिप की श्रेणी	31.03.2010 को
कुल डीलरशिप	7948
अ.जा./अ.ज.जा.	614

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डीलरों से कोई प्रतिभूति जमा नहीं ली जाती है और लगातार सलाह/अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि जहां अतिरिक्त डीलरशिप प्रदान की जाती है वहां डीलर नियुक्त करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को अधिकतम प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

7.9.8 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में, एफएसीटी ने निम्नलिखित कार्यकलाप किए हैं:-

1. एलूर पंचायत के निवासियों को पेयजल की आपूर्ति
एफएसीटी औद्योगिक/नगरीय आवश्यकताओं के लिए अपनी उन्नत पेयजल सुविधा के लिए पेरियार नदी से जल लेता है। एलूर पंचायत की पानी की कमी को पूरा करने के लिए फैक्ट

एलूर ग्राम पंचायत के 500 से अधिक घरों को प्रतिदिन लगभग 1500 एम³ जल मुहैया कराता है।

2. एलूर पंचायत के निवासियों के लिए लोक स्वास्थ्य बीमा

एलूर ग्राम पंचायत में रहने वाले लगभग 3000 परिवारों के लिए सामान्य स्वास्थ्य बीमा शुरू करने के लिए फैक्ट केरल सरकार के साथ कार्य कर रही है। कंपनी ने सामान्य स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम के लिए 8 लाख रुपए का योगदान दिया है।

3. कृषक शिक्षण कार्यक्रम

नियमित कृषि सेमिनारों, डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, फसल अभियानों, फील्ड प्रदर्शनों आदि का आयोजन किया गया। इससे किसानों को सफल कृषि के लिए अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुभव करने में सहायता मिलती है। हमारा फील्ड स्टाफ नियमित रूप से शंकाओं, यदि कोई हों, का निवारण करता है और एकीकृत कृषि के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

4. मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञानी सेवाएं

वर्ष 2009-10 के दौरान, हमारे फील्ड स्टाफ द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य के विभिन्न गांवों से 2867 मृदा नमूने एकत्रित किए थे। दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों से जिनकी सरकारी प्रयोगशालाओं तक पहुंच सीमित है, से नमूने एकत्रित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। मृदा परीक्षण के आधार पर किसानों को अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियों नामतः फसल की किस्मों का चयन, अपनाई जाने वाली भूमि को जोतने की किस्में, खेतों में उपलब्ध कार्बनिकों का इस्तेमाल, प्रयुक्त उर्वरकों की मात्रा आदि के बारे में जानकारी दी गयी। इन कार्यकलापों से किसान समुदाय को अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने का लाभ मिला है।

5. अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं

एफएसीटी में स्थापित उपकरणों से लैस अग्निशमन सेवाएं न केवल आसपास के इलाकों

में बल्कि एरनाकुलम जिले को भी मुहैया कराई जाती हैं।

6. प्रशिक्षण सुविधाएं

कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के अलावा, एफएसीटी प्रशिक्षण केन्द्र आम जनता के लाभ के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाते हुए एक दक्षता विकास अकादमी के रूप में उभर कर आया है :-

- क. फरवरी 2008 में आईटीआई/+2 उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्नि और सुरक्षा इंजीनियरी में एक वर्षीय डिप्लोमा का पहला बैच आरम्भ किया गया।
- ख. अक्टूबर 2008 में भारी उपकरण प्रचालन में 3 महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का पहला बैच आरम्भ किया गया।
- ग. इन्सट्रुमेंटेशन एवं अनुरक्षण में एक त्रैमासिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम – सितम्बर, 2008 में प्रथम बैच की शुरुआत
- घ. फैक्ट के प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत केरल इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग एंड रिसर्च नामक केरल सरकार के संयुक्त उद्यम ने वेल्डिंग में आईबीआर प्रमाणपत्र देने के लिए तीन माह का वेल्डिंग प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। पहला बैच सितंबर 2009 में शुरू हुआ।

7.10 कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृमको)

7.10.1 प्रस्तावना

कृमको की स्थापना दिनांक 17.4.1980 को एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति के रूप में हुई थी ताकि मुंबई हाई/दक्षिण बेसिन से प्राप्त प्राकृतिक गैस को आधार बनाकर हजीरा में अमोनिया/यूरिया उर्वरक परियोजना का क्रियान्वयन किया जा सके। समिति ने 1985 में अपने अमोनिया/यूरिया संयंत्र को प्रारम्भ किया।

हजीरा परिसर में दो अमोनिया संयंत्र और चार यूरिया स्ट्रीम हैं। यूरिया संयंत्रों की पुनर्मूल्यांकित क्षमता 17.29 लाख मी.टन है। इस संयंत्र का पुनरुद्धार कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है। पुनरुद्धार के बाद

यूरिया और अमोनिया की उत्पादन क्षमता बढ़कर क्रमशः 21.95 लाख मी.टन और 12.47 लाख मी.टन हो जाएगी।

कृमको ने वर्ष 1995 में हजीरा में जैव-उर्वरक इकाई की भी स्थापना की। इस इकाई की क्षमता को 100 मी.टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1998 में 250 मी.टन प्रतिवर्ष कर दिया गया। 150 मी.टन वार्षिक क्षमता की दो अन्य इकाइयों में से एक इकाई सितम्बर, 2003 में वाराणसी (उ.प्र.) में और दूसरी इकाई मार्च, 2004 में लांजा, महाराष्ट्र में स्थापित की गई हैं।

दिनांक 31.3.2010 को समिति की प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपए और प्रदत्त शेयर पूंजी 390.67 करोड़ रु. है जिसमें भारत सरकार की साम्या 188.90 करोड़ रुपए तथा शेष 201.77 करोड़ रुपए की साम्या सहकारी समितियों के पास है। दिनांक 31.3.2010 तक कुल सदस्यता 6546 थी।

7.10.2 वास्तविक निष्पादन

उत्पादन-कृमको	इकाई	2010-11 (दिसंबर 10 तक)	2009-10	2008-09
अमोनिया	लाख मी.टन	8.90	11.10	10.85
यूरिया	लाख मी.टन	14.15	17.80	17.43
जैव-उर्वरक	मी.टन	804	953	865
क्षमता				
अमोनिया	लाख मी.टन	10.03	10.03	10.03
यूरिया	लाख मी.टन	17.29	17.29	17.29
जैव-उर्वरक	मी.टन	550	550	550
क्षमता उपयोग:				
अमोनिया	%	118.24	110.65	108.11
यूरिया	%	109.14	102.94	100.83
जैव-उर्वरक	%	195.00	173.25	157.3
ऊर्जा खपत				
अमोनिया	जीकैल/मी.टन	8.301	8.276	8.208
यूरिया	जीकैल/मी.टन	5.955	5.932	5.933

7.10.3 वित्तीय निष्पादन

विवरण	इकाई	2010-11 (दिसंबर'10 तक)	2009-10	2008-09
कारोबार/प्रचालन आय	करोड़ रुपए	2596.14	2597.08	2559.12
लाभ—(पीबीडीआईटी)	करोड़ रुपए	200.31	288.57	307.25
ह्रास	करोड़ रुपए	22.42	30.62	27.53
ब्याज	करोड़ रुपए	14.08	5.18	10.38
लाभ— (पीबीटी)	करोड़ रुपए	163.81	252.77	269.34
कर	करोड़ रुपए	39.18	24.60	19.21
कर पश्चात लाभ	करोड़ रुपए	124.63	228.17	250.13
शेयर पूंजी	करोड़ रुपए	390.28	390.67	390.67
रिजर्व और अधिशेष	करोड़ रुपए	2469.88	2306.46	2158.68
निवल मूल्य	करोड़ रुपए	2860.16	2697.13	2549.42

7.10.4 संयुक्त उद्यम:

1. संयुक्त उपक्रम ओमान इण्डिया फर्टिलाइजर कंपनी, ओमान (ओमिफको):

कृभको, इफको और ओमान ऑयल कंपनी ने क्रमशः 25%, 25% और 50% शेयर धारिता के साथ सुर, ओमान में एक विश्व स्तरीय उर्वरक संयंत्र की स्थापना की है। उर्वरक परिसर की वार्षिक क्षमता 16.52 लाख मी. टन दानेदार यूरिया तथा 11.9 लाख मी.टन अमोनिया है।

- ओमिफको में उत्पादित यूरिया भारत सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है तथा आधे उत्पाद का कृभको द्वारा विपणन किया जा रहा है। इसके अलावा, संयंत्र प्रतिवर्ष 2.5 लाख मी.टन अधिशेष अमोनिया उत्पादित करता है जिसे भारत लाया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष अप्रैल 09 से मार्च 10 के दौरान ओमिफको ने 20.30 लाख मी0टन दानेदार यूरिया का उत्पादन किया।
- वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान नवंबर 2010 तक ओमिफको ने 14.11 लाख मी.टन दानेदार यूरिया का उत्पादन किया है।

2. कृभको श्याम फर्टिलाइजर लिमिटेड (केएसएफएल)

कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (केएसएफएल) ने मैसर्स ओसवाल केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के अमोनिया-यूरिया उर्वरक परिसर, जिसमें 5.02 लाख मी.टन वार्षिक क्षमता का एक सिंगल स्ट्रीम अमोनिया संयंत्र और 8.64 लाख मी.टन संयुक्त वार्षिक क्षमता वाले यूरिया संयंत्रों के दो स्ट्रीम हैं, को अधिगृहीत कर लिया है।

- कृभको के पास 85% साम्या, कंपनी के यूरिया और अन्य उत्पादों का प्रबंध नियंत्रण और समग्र विपणन अधिकार हैं।
- वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान केएसएफएल ने 9.73 लाख मी.टन यूरिया (113% क्षमता उपयोग) और 5.72 लाख मी.टन अमोनिया (114% क्षमता उपयोग) का उत्पादन किया है।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान केएसएफएल ने 6.95 लाख मी.टन यूरिया (121% क्षमता उपयोगिता) और 4.07 लाख

मी.टन अमोनिया (122% क्षमता उपयोगिता)
का उत्पादन किया है।

7.12.6 साम्या भागीदारी

1. गुजरात स्टेट एनर्जी जेनेरेशन लिमिटेड (जीएसईजी):

जीएसईजी एक संयुक्त उद्यम है जिसमें गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसीएल), गुजरात सरकार की अन्य कंपनियां और गेल (भारत) शामिल हैं। गुजरात स्टेट एनर्जी जेनेरेशन लिमिटेड में 80.68 करोड़ रुपए (27.48%) का निवेश किया है। कृभको ने अभी तक 80.68 करोड़ रुपए (27.48%) का निवेश किया है। इसके अलावा, 26.36 करोड़ रुपए का साम्या अंशदान जल्दी ही किए जाने की संभावना है।

जीएसईजी मोरा, जिला सूरत, गुजरात में प्राकृतिक गैस के आधार पर 156 मेगावाट संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र का प्रचालन कर रहा है। वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान, संयंत्र ने 81.3% का समग्र संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ) प्राप्त किया है।

जीएसईजी 1160 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अपने मौजूदा स्थल पर 350 मेगावाट क्षमता की एक संयुक्त चक्रीय गैस आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना कर रहा है। ईपीसी ठेका दे दिया गया है। परियोजना के जनवरी, 2011 की निर्धारित तारीख में पूरा होने की संभावना है।

वर्ष 2009–10 के दौरान जीएसईजी का अनंतिम कर उपरांत लाभ 9.72 करोड़ रुपए है और इसने शेयर पूंजी पर 3% का लाभांश घोषित किया है।

2. नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (एनएफसीएल):

समिति की एनएफसीएल में 10.00 करोड़ रुपए की साम्या भागीदारी है, जो 465.16 करोड़ रुपए की एनएफसीएल की प्रदत्त शेयर पूंजी का 2.15% है।

3. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स)

कृभको ने 19.09.2009 को उपर्युक्त कंपनी में 5% के बराबर साम्या शेयर का अधिग्रहण करने के लिए आईबीएफएसएल, एमएमटीसी और आईसीईएक्स के साथ निवेशक शेयर अंशदान करार किया है। तदनुसार कृभको ने आईसीईएक्स में 5.00 करोड़ रुपए का साम्या के रूप में योगदान दिया है। यह आगामी एक्सचेंज राष्ट्रीय स्तर का बहु वस्तु एक्सचेंज है और इसने 27.11.2009 से अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

7.10.6 कार्यान्वयन/विचाराधीन परियोजना

1. अमोनिया और यूरिया संयंत्र का पुनरुद्धार

सोसायटी अपने यूरिया संयंत्र की वार्षिक क्षमता को 17.19 लाख मी.टन से 21.95 लाख मी.टन करने और अमोनिया संयंत्रों की वार्षिक क्षमता को 10.03 लाख मी.टन से 12.47 लाख मी.टन करने के लिए अपने मौजूदा संयंत्रों का पुनरुद्धार कर रही है। परियोजना के शुरू होने की तारीख 27 जनवरी, 2010 घोषित की गई है। 1301 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ परियोजना के पूरा होने की अवधि 32 महीने है।

अमोनिया तथा यूरिया दोनों के लिए मूल इंजीनियरिंग कार्य पूरा हो चुका है। विस्तृत इंजीनियरिंग कार्य और प्रापण सेवाओं पर कार्य चल रहा है। महत्वपूर्ण उपकरणों के प्रापण का कार्य पूरा हो चुका है और सभी महत्वपूर्ण मदों के आदेश दे दिए गए हैं। पाइपिंग और फिटिंग मदों के लिए एमटीओ-2 के अनुसार आईटीबी को जारी किया जा रहा है।

मशीनी निर्माण कार्य भी चल रहा है और इलेक्ट्रिक और इंस्ट्रुमेंटेशन निर्माण संविदा जारी की गई है और दोनों के लिए शीघ्र ही संविदाकारों को लगाया जाएगा।

2. कृभको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केआरआईएल):

कृभको ने 500 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ कंटेनर ट्रेनों के प्रचालन और अवसंरचना



हज़ीरा में कृभको का जैव-उर्वरक संयंत्र

परियोजनाओं के लिए कृभको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केआरआईएल) की स्थापना की है जो 100% कृभको की सहायक इकाई है। केआरआईएल ने दिसम्बर, 2009 से कंटेनर ट्रेन प्रचालन शुरू कर दिया है। केआरआईएल के पास वर्तमान में छह कंटेनर रैक हैं। केआरआईएल रेवाड़ी, मोदीनगर, हिंडन सिटी और शाहजहांपुर में अन्तर्देशीय कंटेनर डिपों (आईसीडी) की स्थापना करने के अंतिम चरण में है।

3. जेट्टी टर्मिनल, हजीरा का पुनरुद्धार:

सोसायटी ने हजीरा स्थित अपने जेट्टी टर्मिनल का पुनरुद्धार किया है। कृभको ओमिफको यूरिया और अन्य उर्वरकों को हैंडल करेगी और बाकी देश में इसे पहुंचाने के लिए रेल/रोड सम्पर्क का लाभप्रद रूप से प्रयोग करेगी। 15000 मी.

टन की क्षमता के एक मार्गस्थ गोदाम का भी निर्माण किया गया है। जेट्टी की माल पहुंचाने की क्षमता लगभग 7000 मी.टन प्रतिदिन है।

7.10.7 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कृषि आय किसानों की मुख्य शक्ति है। उनमें से अधिकतर हमारी सहकारी समितियों के सदस्य हैं। कृभको अपने समर्पित व्यापक कृषि व्यावसायिकों के दल के माध्यम से कृषक समुदाय के लाभ को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के अंतरण और अन्य ग्रामीण कल्याण योजनाओं के लिए अन्य कंपनियों के साथ इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

वर्ष 2009-10 के दौरान कृभको ने कृषक समुदाय के लिए 2786 कार्यक्रमों जैसे कृषक बैठकों, किसान मेलों,

फील्ड प्रदर्शन, फील्ड दिवस, सहकारी सम्मेलन, समूह चर्चा, विशेष अभियान इत्यादि का आयोजन किया, जिससे देश भर के 12.72 लाख किसानों और सहकारी समितियों को लाभ पहुंचा। कृषि प्रौद्योगिकी अंतरण के समर्थन के लिए समिति ने किसानों और सहकारी समितियों को विभिन्न फसलों पर 6.05 लाख तकनीकी फोल्डर भी उपलब्ध कराए।

कृषको कृषि परामर्श केन्द्र, कृषको भवन, नोएडा स्थित एक उच्च तकनीक केन्द्र फार्म संबंधी समस्याओं के लिए लगातार निःशुल्क परामर्श दे रहा है। केन्द्र 15 राज्यों से वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित सिंचाई जल और सूक्ष्म पोषक-तत्वों के लिए 1248 नमूने और सूक्ष्म पोषक-तत्वों के लिए 4240 मृदा नमूनों के परीक्षण द्वारा उर्वरक के संतुलित एवं दक्ष प्रयोग का प्रचार कर रहा है। परिणाम तथा सिफारिशों को किसानों को उनके घरों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है तथा परिणामों को कृषको की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है। परामर्श केन्द्र किसान हेल्पलाइन द्वारा मौसम से संबंधित नवीनतम जानकारी जैसे वर्षा, तापमान, सापेक्ष आद्रता, मानसून संचलन आदि उपलब्ध कराता है ताकि फसल खराब होने पर मध्यावधि सुधार और कृषि योजना प्रचालन में इनका प्रयोग हो सके। कृषको रिलायंस किसान लिमिटेड की सहायता से किसान हेल्पलाइन को सुदृढ़ किया गया है।

सभी कृषि राज्य निदेशकों को विभिन्न मृदा नमूनों में जिला-वार कमी को नोटिस करने सहित उनके राज्यों में शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करने और मृदा नमूनों की जांच करने के लिए कहा गया था। कृषको ने निःशुल्क मृदा परीक्षण और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य सहकारी परिसंघों के साथ संपर्क किया है जिसे सभी मंचों पर हाथों-हाथ लिया गया और इस प्रयास की सराहना की गई।

आधुनिकीकरण की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में कृषको ई-मेल, फोन, एसएमएस, कंप्यूटर और कृषको वेबसाइट का इस्तेमाल करके कृषको किसान हेल्पलाइन के जरिए संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का इस्तेमाल किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी तथा पारंपरिक औजारों की जानकारी देने के लिए निरंतर कर रहा है। वेबसाइट पर मासिक कृषि प्रचालनों संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।

कृषको के लिए सहकारी समितियों और ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करना हमेशा से प्राथमिकता रही है। इस संबंध में 38 सहकारी समितियों को अपनाया गया, 22525 सहकारी प्रबंधकों को 209 सहकारी सम्मेलनों को कार्यशालाओं तथा 30 अध्ययन दौरों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया, जिसके दौरान उन्हें कृषि पैदावार में सुधार करने के लिए सोसायटी के उत्पादों के उपयोग की जानकारी दी गई तथा इससे हमारी निगमित छवि में भी सुधार हुआ है। सोसायटी ने पशुधन और मनुष्यों के लिए 41 स्वास्थ्य अभियानों का भी आयोजन किया, वर्षा-पोषित क्षेत्रों में फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित 6 जलाशयों की सुविधा और एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण खेलकूद सुविधा उपलब्ध कराई। उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल से प्रतिनिधि आम सभा (आरजीबी) सदस्यों के एक समूह ने उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लेने के लिए हजीरा संयंत्रों का दौरा किया। भारत के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर शुरू की गई एक भण्डारण-सह-समुदाय केन्द्र योजना अभी भी 146 स्वीकृत केन्द्रों में चल रही है तथा इनमें से 131 केन्द्र पूरे हो चुके हैं और इनका पूरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कृषको किसानों और सहकारी समितियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा है। नवम्बर, 2010 तक कुल 1667 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिनमें किसान बैठकें, सहकारी सम्मेलन, समूह चर्चा, किसान मेले, ब्लॉक दर्शन, डीलर सम्मेलन, मनुष्यों और पशुओं के लिए स्वास्थ्य शिविर, तकनीकी भित्ति चित्र, तकनीकी साहित्य मुद्रण और वितरण तथा मृदा परीक्षण अभियान शामिल हैं, जिनसे 2.20 लाख किसानों को सीधे लाभ मिला है। इसके अलावा 4.36 लाख तकनीकी फसल फोल्डरों का वितरण किया गया तथा 5004 मृदा नमूनों की 13 राज्यों के 104 जिलों से पीएच, ईसी, व्यापक और सूक्ष्म पोषक-तत्वों की दृष्टि से जांच की गई। 277 किसानों द्वारा अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए कृषको किसान हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया गया था।



7.10.8 बीज बहुलीकरण कार्यक्रम

कृषको ने किसानों को प्रमुख फसलों की गुणवत्ता / प्रमाणित बीज प्रदान करने के लिए वर्ष 1990-91 में बीज उत्पादन कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया, जिसे किसानों और सहकारी समितियों से काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। विभिन्न राज्यों में कृषक भारती सेवा केन्द्रों, सहकारी समितियों और राज्य सहकारी संघों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। समिति ने वर्ष 1991-92 में हुए 2928 क्विंटल बीज उत्पादन को वर्ष 2009-10 में बढ़ाकर 2.29 लाख क्विंटल कर दिया। यह अब तक हुआ बीजों का सबसे अधिक उत्पादन है।

- वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान समिति ने 2.29 हजार क्विंटल का उत्पादन और 2.22 लाख क्विंटल बीजों की बिक्री की है जो अब तक का सबसे अधिक है।
- वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान समिति ने 2.35 लाख क्विंटल का उत्पादन और 2.32 लाख क्विंटल बीजों की बिक्री की है।

7.10.9 जनता/कर्मचारी की शिकायतों का निवारण तंत्र

कृषको में एक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली प्रचालन में है। उर्वरक विभाग, भारत सरकार ने निर्देशों के आधार पर कृषकों में एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की जा रही है। पब्लिक के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए स्वागत कार्यालय में एक शिकायत बॉक्स रखा गया है। शिकायत बॉक्स को नियमित तौर पर खोला जाता है। लोक शिकायतों के निपटान के लिए डीजीएम (एचआर) कॉर्पोरेट कार्यालय का शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। उर्वरक विभाग, भारत सरकार को लोक शिकायत निवारण की एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती है।

7.10.10 अनु.जाति/अनु. जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों / शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने से संबंधित विवरण (30.11.2010)

एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं।

2048 के कुल कार्यबल में से कंपनी की नामावली में 92 एससी, 47 एसटी, 263 ओबीसी, 14 भूतपूर्व सैनिक और 8 शारीरिक रूप से विकलांग हैं।

7.10.11 ग्रामीण विकास ट्रस्ट

कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड (कृषको) ने ग्रामीण विकास ट्रस्ट को एक गैर लाभकारी और ग्रामीण विकास ट्रस्ट के रूप में बढ़ावा दिया है। जीवीटी एक स्वतंत्र विधिक इकाई के रूप में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े ग्रामीण और कबायली समुदायों को सतत् आधार पर अपनी आजीविका में सुधार करने के योग्य बनाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। जीवीटी का मुख्य ध्यान सहभागिता के माध्यम से वर्षा संचित और अनुपजाऊ संसाधनों में क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय और पारंपरिक लोगों को सशक्त करने पर केन्द्रित है। यह ट्रस्ट अच्छी तरह से स्थापित कार्यालयों और टीम के माध्यम से 7 राज्यों नामतः मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी भारत में गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल में कार्य कर रहा है। यह हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बिहार राज्यों में अल्पकालिक नियत कार्य जैसे अध्ययन, मूल्यांकन कार्य इत्यादि भी कर रहा है।

जीवीटी कृषि क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों और समुदायों को भागीदार बनाकर सहयोगपूर्ण अनुसंधान करने में प्रवर्तक है। जीवीटी और इसकी परियोजनाओं ने भारत सरकार, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अनुसंधान परिणामों और उचित प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रसार के लिए भी सम्पर्क स्थापित किए हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। यूरोपियन यूनियन और ऐरीड जोन स्टडीज सेन्टर (सीएजैडएस) बंगोर यूनिवर्सिटी यू.के. के साथ सहभागिता चल रही है।

जीवीटी ने अपने वॉटरशैड परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 70000 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया है और लक्षित क्षेत्र में लगभग 20000 घरों को कवर किया है। पिछले दशक के दौरान जीवीटी ने सहभागिता और अधिक ग्राहक अभिमुख दृष्टिकोण सहभागिता वैरायटल चयन (पीवीएस) और सहभागिता पौधरोपण (पीपीबी) की अवधारणा के माध्यम से उत्पादित किस्मों को औपचारिक रूप से जारी किया और उन किस्मों की

सिफारिश की है जो सीमान्त क्षेत्रों में किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इन किस्मों में अधिक सूखा सहने की क्षमता, उच्चतर और अधिक स्थायी पैदावार, अन्य गुण जैसे जल्दी पकना, अच्छी अनाज गुणवत्ता और अच्छी चारा पैदावार आदि हैं जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि इन किस्मों में किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार करने की क्षमता है इसलिए किसान इन उच्च अनुकूल किस्मों को उत्साहपूर्वक अपनाते हैं और अपने बीजों को अन्य किसानों तक पहुंचाते हैं।

जीवीटी अपने प्रचालन वाले राज्यों में 5 कृषि नवप्रवर्तन योजनाओं का प्रयोग संघ नेतृत्व एजेंसी के या एनएआईपी के अंतर्गत निधिबद्ध संगठन के एक भागीदार के रूप में कर रहा है। जीवीटी नाबार्ड द्वारा निधिबद्ध के माध्यम से 14 कृषि-फार्म खेतीबाड़ी परियोजनाओं (डब्ल्यूएडीआई) की स्थापना सीमान्त किसानों की बागवानी उन्नत कृषि और घरों के उद्यान में सब्जी उगाकर अनुपूरक आय द्वारा सतत् आजीविका का समाधान कर रहा है। कौशल विकास के क्षेत्र में जीवीटी ने आदिवासी प्रवासियों को उनकी मौजूदा क्षमता के अद्यतन के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करके प्रशंसनीय प्रगति की है जिसमें उनकी आय में वृद्धि होगी। जीवीटी को गुजरात सरकार द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र दाहोद, गुजरात के साथ मिलकर 5060 आदिवासी युवाओं को निर्माण उद्योग से संबंधित कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए एक परियोजना दी गई है जिसमें उसे उनका नियोजन भी सुनिश्चित करना है।

जीवीटी ने आईआरएमए आनंद, एनआईआरडी हैदराबाद, डब्ल्यूएलएमआई भोपाल, आईसीआरआईएसएटी, सीएजैडएस यूके, टेरी इत्यादि के साथ रणनीतिक संस्थागत भागीदारी विकसित की है। एमएलएसपी को देश के विभिन्न भागों में एनजीओ द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। जीवीटी ने एचआईवी/एडस प्रवर क्षेत्रों में एफएसडब्ल्यूएस के बीच एसटीआई संक्रमण में कमी के उद्देश्य से वृहत कार्य किया है और उनको सुरक्षित यौन व्यवहार के लिए तैयार किया है।

जीवीटी ग्रामीण विकास क्रियाकलापों में अपने लम्बे अनुभव के कारण आईओसी, एनटीपीसी, आईटीसी, सीएफसीएल इत्यादि कॉर्पोरेट के साथ उनकी सीएसआर गतिविधियों को बाह्य स्रोतों से सेवाएं प्रदान करने के लिए संबद्ध है। जीवीटी ने सरकारी-निजी समुदाय सहभागिता मॉडल पर एक परियोजना शुरू की है जिसमें राजस्थान सरकार, सीएफएसएल और जीवीटी ने 22 गांवों के वैयक्तिक घरों में 715 शौचालयों का निर्माण कराने और 5 दिनों के प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नत शौचालय निर्माण पर प्रशिक्षित कारीगरों का संवर्ग तैयार करने की परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसने परियोजना के अंतर्गत 715 परिवारों को कवर किया है।

जीवीटी ने अपने सहभागिता वॉटरशेड विकास और प्रबंधन; सूखाग्रस्त, अर्द्धसूखाग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न खेतीबाड़ी पद्धतियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी विकास; सूक्ष्म-वित्त के प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित संगठनों का विकास करना और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों का विकास, पीआरआई का क्षमता विकास और ग्रामीण खेतीबाड़ी और गैर-खेतीबाड़ी आधारित आजीविका संवर्धन के लिए अन्य संस्थानों पर अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से सतत् आजीविका कार्यक्रमों पर अच्छे सुझाव देने के लिए रतलाम (मध्य प्रदेश) में एक पूरी तरह सुसज्जित और आवासीय राष्ट्रीय आजीविका संसाधन संस्था की शुरुआत की है।

जीवीटी गोड्डा, झारखंड में आईसीएआर द्वारा वित्त-पोषित कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) भी चला रहा है। इसमें प्रचालन क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न खेतीबाड़ी पद्धतियों के प्रसार के लिए कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन मूल्यांकन और सुधार के लिए सुविधा है। इसमें विभिन्न अनाजों के उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन, फलीदार तिलहन, बागवानी फसलें और बीज ग्राम कार्यक्रम के प्रचार की सुविधा भी उपलब्ध है। केवीके जैव तत्वों, जैव उर्वरकों, जैवकीटनाशकों और कार्बनिक खेती के प्रसार के लिए अन्य कार्बनिक खादों के उत्पादन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी पूरी तरह सुसज्जित है।



अध्याय—8

8.1 उर्वरक शिक्षा परियोजनाएं

8.1.1 उर्वरक के प्रयोग का मूल उद्देश्य देश में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। उर्वरक कंपनियां किसानों को फसलों के लिए मृदा की गुणवत्ता/तत्वों के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी उर्वरक परियोजनाएं शुरू करती हैं। परिणामस्वरूप कंपनियां किसानों को मृदा की पोषक तत्व-वार गुणवत्ता के आधार पर संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और तदनुसार उर्वरकों का प्रयोग करती हैं। उर्वरक विभाग उर्वरक शिक्षा परियोजनाएं लागू नहीं करता है। ऐसी परियोजनाएं कृषि एवं सहकारिता विभाग, आईसीएआर, राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रशासित की जाती हैं। तथापि, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कुछ उर्वरक कंपनियां ऐसी परियोजनाओं को अपने विस्तार और विपणन क्रियाकलापों के भाग के रूप में चलाती हैं। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस संबंध में उर्वरक विभाग के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता-ज्ञापन के अनुसार कृषक समुदाय के लाभ के लिए उर्वरक शिक्षा परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न उर्वरक कम्पनियों द्वारा उर्वरक शिक्षा परियोजनाओं के अन्तर्गत मुख्य क्रियाकलाप में कृषि सम्मेलन, डीलरों की बैठकें और ट्रेडिंग, मृदा नमूनों का विश्लेषण, प्रदर्शन, मृदा परीक्षण सिफारिश, प्रदर्शनी, अभिमुखी कार्यक्रम, आरएण्डडी परीक्षण, पुष्ट उर्वरकों का खेत में परीक्षण, जैव उर्वरक, कृषि साहित्य का वितरण, कृषि मेलों का आयोजन और मीडिया प्रचार आदि शामिल होते हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने समेकित पोषक-तत्व प्रबन्धन को बढ़ावा देने के लिए मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय परियोजना बनाई है और इसे रासायनिक उर्वरकों, द्वितीयक तथा सूक्ष्म पोषक-तत्वों के विवेकपूर्ण उपयोग

के द्वारा मृदा स्वास्थ्य तथा फसल उत्पादकता में सुधार करने के लिए कार्बनिक और जैव उर्वरकों के साथ आरंभ किया है। इसका उद्देश्य मृदा परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले स्टॉफ का कौशल उन्नयन तथा उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं को मजबूत करना भी है। इस समय देश में 651 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जिनमें 517 स्थायी एवं 134 चल प्रयोगशालाएं हैं जिनकी वार्षिक परीक्षण क्षमता लगभग 7 मिलियन मृदा नमूना है। उपर्युक्त राष्ट्रीय परियोजना का सूक्ष्म पोषक-तत्व विश्लेषण के लिए 500 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 250 चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 315 मौजूदा, राज्य स्थायी परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाए। इसके अतिरिक्त, मौजूदा 63 राज्य उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत करना तथा ऐसी 20 नई परीक्षण प्रयोगशालाएं और परामर्श हेतु 50 परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना की कुल लागत 429.85 करोड़ रुपए है। कृषि एवं सहकारिता विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना स्वीकृति-सह-निगरानी समिति गठित की गई है, जिसे राष्ट्रीय निगरानी विशेषज्ञ दल द्वारा सलाह दी जाएगी। कृषि निदान केन्द्र, गैर-सरकारी संस्थाएं, सहकारी समितियां, निजी उद्यमी, राज्य सरकारें इसकी कार्यन्वयन एजेन्सियां होंगी। उर्वरक कंपनियों को मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उपर्युक्त योजना के अनुसार मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए निम्नलिखित राजसहायता राशि कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।



क्र.सं.	विवरण	नीति
1.	कृषि निदान केन्द्रों/एनजीओ/सहकारी समितियों, उद्यमियों आदि द्वारा निजी भागीदारी पद्धति के द्वारा अतिरिक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए।	परियोजना लागत का 50% की दर से जो एक-बारगी राजसहायता के रूप में अधिकतम 30 लाख रुपए तक सीमित होगा।
2.	फ्रंटलाइन भूमि प्रदर्शन के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा गांव को गोद लेने के लिए।	20,000 रुपए प्रति फ्रंटलाइन भूमि प्रदर्शन की दर से।
3.	निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत कृषि निदान केन्द्र/एनजीओ/सहकारी, निजी उद्यमियों आदि के द्वारा कृषि प्रयोगशालाओं द्वारा चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए।	परियोजना लागत का 75% की दर से जो एक-बारगी राजसहायता के रूप में अधिकतम 30 लाख रुपए तक सीमित होगा।

8.1.2 निम्नलिखित कंपनियों ने मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग को प्रस्ताव भेजे हैं।

1. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
2. कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड
3. मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमसीएफ)
4. जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जैडआईएल)
5. सदरन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज को-ऑपरेटिव लिमिटेड (स्पिक)

6. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड
7. इंडियन पोटाश लिमिटेड
8. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
9. जीएसएफसी
10. इण्डो: गल्फ
11. एनएफएल

8.1.3 उर्वरक विभाग ने कृषि एवं सहकारिता विभाग से उर्पयुक्त उर्वरक कंपनियों को नीति के अनुसार राजसहायता जारी करने का अनुरोध किया है।

◆◆◆



अध्याय—9

9.1 सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

9.1.1 उर्वरक प्रबंधन के लिए ई-डिलीवरी

किसानों को समय पर, पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता तथा किसानों को सस्ते मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने तथा राजसहायता रियायत के माध्यम से उर्वरक उद्योग के विकास को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से उर्वरक विभाग में एक उर्वरक प्रबंधन ऑन-लाइन व्यवस्था की गई है। उचित योजना तथा उर्वरक उत्पादन, आयात, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण, संचलन, बिक्री, स्टॉक, राजसहायता और रियायतों जैसे विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने की अनिवार्यता महसूस की गई है। इन पहलुओं को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने के लिए आई.टी. विकास के साथ कदम से कदम मिलाते हुए तथा उर्वरक नीति में परिवर्तन को देखते हुए निम्नलिखित अनुप्रयोग प्रणालियों का विकास/उन्नयन किया गया है:-

9.1.2 वेब-आधारित उर्वरक उत्पादन निगरानी प्रणाली

यह अनुप्रयोग प्रणाली सामग्री तथा पोषक-तत्वों के रूप में उर्वरक उत्पादन की योजना और निगरानी के लिए ऑन-लाइन प्रविष्टि तथा सूचना सहायता उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली संयंत्र आधार पर उत्पादन में विचलन के लिए जिम्मेदार लघु और व्यापक स्तरीय कारकों का पता लगाने में विश्लेषण उपलब्ध कराती है ताकि देश में उर्वरक उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपचारी उपाय किए जा सकें। इस प्रणाली में विभिन्न पहलुओं अर्थात् स्थापित क्षमता, उत्पादन लक्ष्यों, वास्तविक उत्पादन, क्षमता उपयोग, उर्वरक संयंत्रों के लिए कच्ची सामग्रियों/मध्यवर्तियों की आवश्यकता और खपत को शामिल किया गया है।

9.1.3 उर्वरक राजसहायता भुगतान सूचना प्रणाली

इस प्रणाली का प्रयोग यूरिया उत्पादकों को देश भर के उपभोक्ता केंद्रों तक सरकार द्वारा अधिसूचित राजसहायता दरों, समीकृत भाड़ा दरों और बिक्री कर

दरों के आधार पर प्रेषण करने के लिए उनके द्वारा दिए गए राजसहायता भुगतान की गणना करने के लिए किया जाता है। इस अनुप्रयोग प्रणाली से यूरिया उत्पादों के मासिक दावों पर समय पर कार्रवाई करते हुए राजसहायता जारी की जाती है। यह प्रणाली विभिन्न आवधिक रिपोर्टें तथा पूछताछ के जरिए राजसहायता के भुगतान से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की निगरानी करने में सहायता करती है।

9.1.4 ऊर्जा खपत मानदंडों की निगरानी के लिए अनुप्रयोग प्रणाली

इस प्रणाली का प्रयोग संयंत्रों द्वारा यूरिया उत्पादन में समग्र ऊर्जा खपत की गणना करने के लिए किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों से खरीदे गए विभिन्न आदानों और उनके कैलोरीयुक्त मूल्यों तथा अमोनिया उत्पादन में उनकी खपत पर आधारित होता है। यह प्रणाली संयंत्रों के प्रचालन निष्पादन अर्थात् दैनिक पुनः आकलित क्षमता, औसत उत्पादक घण्टे और दैनिक उत्पादन दर और अमोनिया/यूरिया के क्षमता उपयोग की निगरानी करने की जानकारी उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली प्रत्येक तिमाही के लिए अमोनिया की खपत और संतुलन का भी रखरखाव करती है।

9.1.5 यूरिया रियायत दरों में संशोधन के लिए अनुप्रयोग प्रणाली

यह प्रणाली यूरिया उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले आदानों और उपयोगिताओं की परिवर्तनीय लागत में वृद्धि/कमी के कारण समूह रियायत योजना के अंतर्गत प्रत्येक समूह में यूरिया उत्पादक इकाइयों के लिए रियायत की दरों में तिमाही संशोधन संबंधी सूचना उपलब्ध कराती है। यह सॉफ्टवेयर कुल मानकीय ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न आदानों का ऊर्जा खपत अनुपात बताता है तथा आदान-वार आनुपातिक लागत की गणना करता है। कुल आदान ऊर्जा लागत, विभिन्न उपयोगिताओं की मानकीय लागत और निर्धारित लागत का हिसाब लगाकर रियायत की दर निकाली जाती

है। कुल वित्तीय प्रभाव को रियायत और प्रेषित मात्राओं की पूर्व दर के संदर्भ में निकाला जाता है।

9.1.6 वेब-आधारित उर्वरक वितरण और संचलन सूचना प्रणाली:

यह प्रणाली ईसीए आपूर्ति योजना, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उर्वरक आवश्यकता, राज्य संस्थागत एजेंसियों और उर्वरक कंपनियों में प्रारंभिक स्टॉक, मासिक संचलन आदेशों, आयातों, प्रेषणों (रेल/सड़क मार्ग द्वारा नियंत्रित/नियंत्रणमुक्त/आयातित), विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता और बिक्री से संबंधित आंकड़े रखती है।

9.1.7 वेब-आधारित उर्वरक रियायत योजना निगरानी प्रणाली

कंप्यूटर आधारित यह अनुप्रयोग प्रणाली, उर्वरक रियायत योजना की प्रमुख अभिन्न प्रक्रिया है जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वदेशी/आयातित फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों की बिक्री के लिए उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकों को समय से रियायत का भुगतान किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर मासिक दावों अर्थात् 'लेखागत' 'विभेदीय' और 'बकाया' को आधार/अंतिम दरों के अनुसार बिक्री के लिए पंजीकरण, बैंक गारंटी, पात्रता और बिक्री प्रमाणन पर आधारित सॉफ्टवेयर द्वारा संसाधित किया जाता है। भुगतान के लिए अनुमोदन और संस्वीकृतियों से संबंधित कंप्यूटरीकृत टिप्पणियां वेतन एवं लेखा अधिकारी, व्यय और नियंत्रण रजिस्टर (ईसीआर) को उपलब्ध कराई जाती है तथा रियायत भुगतान करने और उसकी निगरानी रखने के लिए अनेक प्रश्न/रिपोर्टें तैयार की जाती हैं।

9.1.8 वेब-आधारित उर्वरक आयात प्रबंधन प्रणाली

यह प्रणाली लक्ष्य की तुलना में वास्तविक आयात, अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सरकार की ओर से प्रिल्ड यूरिया के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफओबी) लागत एवं भाड़ा (सीएंडएफ) की स्थिति और यूरिया उठान समझौता (यूओटीए) के तहत ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफको) से दानेदार यूरिया का आयात करने पर आधारित उर्वरक आयात योजना की निगरानी में सहायता करती है। यह प्रणाली निश्चित अवधि के दौरान यूरिया के आयात के लिए राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई)/हैंडलिंग और विपणन एजेंटों को प्राधिकृत करने के लिए उर्वरक विभाग के ब्यौरे का

रखरखाव भी करती है।

9.1.9 उर्वरकों के आयात के लिए वेब-आधारित हैंडलिंग और भुगतान प्रणाली

यह अनुप्रयोग प्रणाली हैंडलिंग एजेंटों का चयन करने, हैंडलिंग दरों का निर्धारण करने और व्यय की निगरानी करने में निर्णायक सहायता प्रदान करती है। यह प्रणाली हैंडलिंग/विपणन एजेंसियों से पूल इश्यू प्राइस (पीआईपी) पर नौभार की लागत की वसूली का समायोजन करने के बाद अंतर्देशीय भाड़े और हैंडलिंग प्रभार का भुगतान करने के लिए हैंडलिंग/विपणन एजेंसियों से प्राप्त दावों, बंदरगाह शुल्क/आईसीसी/अन्य प्रभारों का निपटान और हैंडलिंग/विपणन एजेंसियों सहित विलम्ब शुल्क/प्रेषण पर कार्रवाई करती है।

9.1.10 उर्वरक परियोजना निगरानी प्रणाली

यह प्रणाली आंतरिक और बाह्य-बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के जरिए व्यय होने वाले मासिक व्यय तथा योजना परिवर्तनों और वार्षिक परिवर्तनों के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उर्वरक विभाग द्वारा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं पर बजटीय सहायता की निगरानी रखने में सहायक है।

9.2 कार्यकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली (ईवीसीएस)

सचिव, उर्वरक विभाग के डेस्क पर निकनेट (एनआईसीएनईटी) कार्यकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली (ईवीसीएल) का संचालन किया गया है और इसका इस्तेमाल अंतर-मंत्रालय परामर्श करने और शीघ्र निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में किया जा रहा है। ईवीसीएस से जुड़े होने पर कोई भी प्वाइंट-टू-प्वाइंट वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सकता है तथा एनआईसी, दिल्ली के जरिए मल्टी-प्वाइंट वीडियो कांफ्रेंसिंग की जा सकती है।

9.3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) ढांचा

उर्वरक विभाग का इंटरनेट शास्त्री भवन, उद्योग भवन, जनपथ भवन और सेवा भवन स्थित विभाग के कार्यालयों में कार्य कर रहा है जिसमें 270 नोड हैं। शास्त्री भवन, उद्योग भवन और सेवा भवन में एनआईसी का आईएनओसी (एकीकृत नेटवर्क प्रचालन केन्द्र) नेटवर्क बाह्य खतरे से उर्वरक विभाग के इंटरनेट की कंप्यूटर प्रणाली की सुरक्षा करता है।

विभाग में ग्राहक प्रणाली को अवर श्रेणी लिपिक स्तर पर उपलब्ध कराया गया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का व्यापक उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। निकनेट के आरएफ लिंक के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए सभी कंप्यूटरों को एनआईसी के प्रॉक्सी सर्वर से जोड़ा गया है जिसमें अंतर-निर्मित फॉयरवाल क्षमताओं को सक्रिय बनाया गया है।

9.4 वेबसाइट/वेब अनुप्रयोग प्रदर्शन

उर्वरक विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों की वेबसाइटों को इंटरनेट डॉटा केन्द्र (आईडीसी), एनआईसी मुख्यालय में सुरक्षित आईसीटी परिवेश में प्रदर्शित किया जाता है ताकि नागरिकों से परस्पर बातचीत की जा सके और सार्वजनिक कामकाज में पारदर्शिता हो। उर्वरक उत्पादन, संचलन, रियायत भुगतान, आयात और हैण्डलिंग के लिए वेब आधारित अनुप्रयोग आईडीसी से संचालित होते हैं। वेबसाइटों को तत्काल उन्नत बनाने के लिए उर्वरक विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों में एनआईसी से जुड़े सुरक्षित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के जरिए रिमोट सुविधा का प्रयोग किया जा रहा है।

भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव ने सभी सरकारी मंत्रालयों विभागों को डीएआर एण्ड पीजी द्वारा अपनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने-अपने वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया है। उर्वरक विभाग की वेबसाइट को दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए पुनः अभिकल्पित एवं संवर्धित किया गया है। वेबसाइट को अधिक गुणात्मक सूचनाप्रद तथा उपयोग में आसान बनाया गया है ताकि नागरिक तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सके।

9.5 इन्ट्राफर्ट पोर्टल

इन्ट्राफर्ट नामक एक इन्ट्रानेट पोर्टल का विकास उर्वरक विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को विस्तृत सटीक और विश्वसनीय तथा एक ही स्रोत पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य विभाग में कागजी कार्रवाई में कमी लाना है। यह एक आम सूचना प्लेटफार्म प्रदान करता है जहां

से सभी कार्यालय आदेशों, परिपत्रों, महत्वपूर्ण समाचारों, मानक फार्मों को डाउनलोड करना, उर्वरक विभाग की दूरभाष निर्देशिका, इलेक्ट्रॉनिक वेतन पर्ची निकालना, वैयक्तिक जीवनवृत्त, आयकर विवरण इत्यादि प्राप्त किए जा सकते हैं और महत्वपूर्ण वेबसाइटों के लिंक सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से और तुरन्त उपलब्ध हैं। इससे मानव संसाधन, रोकड़ और प्रशासन अनुभागों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

9.6 ई-गवर्नेंस

उर्वरक विभाग ने ई-गवर्नेंस के लिए विभिन्न उपाय किए हैं:-

कार्यालय स्वचालन पैकेज: उर्वरक विभाग में एनआईसी द्वारा विकसित कोम्प डीडिओ (आहरण और वितरण अधिकारी का व्यापक कार्य प्रबंधन) केन्द्र सरकार के कार्यालयों की मिश्रित वेतन-पत्रक प्रणाली, वेब आधारित फाइल ट्रेकिंग प्रणाली, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अनुप्रयोग निगरानी प्रणाली, छुट्टी प्रबंधन प्रणाली, पीजीआरएएमएस (लोक शिकायत साफ्टवेयर पैकेज) और सीपीईएनजीआरएएमएस (केन्द्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) कार्य कर रही है।

उर्वरक विभाग में कार्यालय स्वचालन को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक आईटी आधारित प्रणाली 'कार्यालय अधिसूचना प्रबंधन प्रणाली' का विकास किया गया है और कार्यालय पद्धति नियमों के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यालय पत्र जैसे कार्यालय ज्ञापन, पत्र, कार्यालय आदेश, आदेश, अर्ध शासकीय पत्र, संकल्प, अन्तर-विभागीय टिप्पणियां, प्रैस विज्ञप्तियाँ आदि तैयार करने, रखरखाव करने एवं प्रबंधन के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

विभाग में सभी कंप्यूटरों पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उर्वरक कंपनियों और अन्य एजेंसियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से उर्वरक विभाग के कर्मचारियों द्वारा ई-मेल सेवा का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है।

◆◆◆



अध्याय—10

10.1 सतर्कता कार्यकलाप

इस विभाग के सतर्कता कार्यकलापों में न केवल इस विभाग बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 8 उपक्रमों और एक बहुराज्यीय सहकारी समिति के सतर्कता सम्बन्धी कार्यकलाप भी शामिल हैं। विभागीय सतर्कता के प्रमुख संयुक्त सचिव हैं, जिन्हें इस विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता उप सचिव (सतर्कता), अवर सचिव (सतर्कता) और अन्य सतर्कता कर्मचारियों द्वारा की जाती है। यह विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार सतर्कता कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करता है। यह विभाग सतर्कता मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने, और ऐसे रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाता है। इससे सतर्कता मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने में सहायता मिलती है। विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

10.2 वर्ष 2010 के दौरान सतर्कता कार्यकलाप

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31.10.2009 के 24 मामलों की तुलना में 31.10.2010 को 25 मामले सतर्कता (अनुशासनात्मक कार्रवाई) के लिए लंबित थे। यह विभाग संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ परस्पर सहयोग से लंबित शिकायतों और जांचों की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है और अनुशासनात्मक कार्रवाई का निपटान सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

10.3 सतर्कता जागरुकता सप्ताह समारोह

‘सतर्कता जागरुकता सप्ताह’ दिनांक 25 अक्टूबर, 2010 से 1 नवम्बर, 2010 के दौरान मनाया गया था। कर्मचारियों में सतर्कता के प्रति जागरुकता का सृजन करने के लिए विभाग में अनेक बैनर और पोस्टर लगाए गए। सचिव (उर्वरक) द्वारा कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई और तत्पश्चात् एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस निबंध प्रतियोगिता में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से और उत्साहपूर्वक भाग लिया। कृषको सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों में भी ‘सतर्कता जागरुकता सप्ताह’ काफी उत्साह से मनाया गया और स्लोगन लेखन, निबंध, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, कार्यशाला आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

10.4 निगरानी और संसूचना

वर्ष 2010 के लिए सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों की पूरी सूची बना ली गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है।

10.5 दण्डात्मक कार्रवाई

1 जनवरी 2010 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से प्राप्त 20 शिकायतें परीक्षाधीन थीं। 1 जनवरी 2010 से 31 अक्टूबर, 2010 के दौरान 25 और शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 12 शिकायतों का परीक्षण/जांच की गई और निपटान किया गया।

♦♦♦



अध्याय—11

11.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

11.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 15.06.2005 को सहमति दी गई थी और दिनांक 21.06.2006 को अधिसूचित किया गया था। अधिनियम की कुछ धाराएं अर्थात् धारा 4(1), 5(1) और (2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 जो रिकार्ड/सूचना के रखरखाव और कंप्यूटरीकरण के लिए सार्वजनिक प्राधिकारियों के उत्तरदायित्वों, सार्वजनिक सूचना अधिकारी के पदनाम, केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन, कुछ संगठनों के अपवर्जन आदि से संबंधित हैं, तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के शेष प्रावधान इसके लागू होने अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 से 120 दिनों के बाद से लागू हो जाएंगे।

11.1.2 सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन में विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और सीएपीआईओ को पदनामित किया है। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सूचना का अधिकार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिनियम के अनुपालन में विभाग द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

- विभाग की वेबसाइट <http://fert.nic.in> पर सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए एक अलग से

लिंक बनाया गया है जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक हैण्डबुक है जो विभाग के बारे में अधिनियम के तहत अपेक्षित सामान्य सूचना उपलब्ध कराती है।

- वेबसाइट पर अपेक्षित ब्यौरों सहित पीआईओ को पदनामित करने के आदेश डाले गए हैं जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन देने तथा निर्धारित शुल्क लेने के लिए शास्त्री भवन में उर्वरक विभाग के सार्वजनिक सूचना केन्द्र में एक काउंटर खोला गया है।
- डाक विभाग को नोडल अधिकारी की नियुक्ति की सूचना दी गई है ताकि विभाग द्वारा देश भर में सीएपीआईओ के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

11.1.3 विभाग ने सीआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई- आरएएमआईएस) साफ्टवेयर पर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदन और अपील का पंजीकरण करना प्रारम्भ कर दिया है।

11.1.4 वर्ष 2010-11 के दौरान, 112 आवेदन तथा 5 अपील प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 101 आवेदनों तथा 5 अपीलों को उक्त वर्ष के दौरान निपटाया गया और शेष 11 आवेदनों पर आवेदकों को उत्तर देने की कार्रवाई की जा रही है।

♦♦♦



अध्याय—12

12.1 राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

12.1.1 उर्वरक विभाग ने केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010–11 के दौरान हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए अपने प्रयास जारी रखे। विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है तथा उनकी सहायता के लिए एक उप निदेशक (रा.भा.) हैं। हिन्दी अनुभाग में एक सहायक निदेशक (रा.भा.), एक वरिष्ठ अनुवादक, तीन कनिष्ठ अनुवादक और एक सहायक हैं।

12.1.2 विभाग में सभी 275 कंप्यूटर द्विभाषी सुविधायुक्त हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पुस्तकालय में हिन्दी में पर्याप्त पठन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग के एक अधिकारी, जिन्हें पत्राचार के माध्यम से हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, को छोड़कर विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। विभाग के दो आशुलिपिकों, तीन सहायकों और एक अवर श्रेणी लिपिक को हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है। शेष छह आशुलिपिकों और तीन अवर श्रेणी लिपिकों के चरणबद्ध नामांकन के साथ ही विभाग में कार्यरत सभी आशुलिपिक/टंकक हिन्दी में काम करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध कार्यालय एफआईसीसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कृभको नामक (बहु राष्ट्रीय) सहकारी समिति में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:-

12.2 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

12.2.1 भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत

आने वाले सभी कागजात हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिन्दी में पत्राचार करने के लिए विभाग में बनाए गए जाँच बिन्दुओं के आधार पर कार्य योजना तैयार की गई है। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों के साथ हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

12.3 राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

12.3.1 विभाग में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है जिसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव (प्रशासन) हैं। यह समिति विभाग, इसके संबद्ध कार्यालय एफआईसीसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुराज्यीय सहकारी समिति, कृभको में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की तिमाही आधार पर आवधिक समीक्षा करती है। यह राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित सुझाव देती है और उपायों की सिफारिश करती है।

12.4 हिन्दी सलाहकार समिति

12.5.1 सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देने के उद्देश्य से रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन विभाग, औषध विभाग और पेट्रोरसायन विभाग तथा उर्वरक विभाग) की संयुक्त समिति की बैठक माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में 10.2.2009 को हुई थी। समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। समिति के संकल्प के प्रारूप को राजभाषा विभाग को अनुमोदन/स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

12.5 हिन्दी में मूल टिप्पण/प्रारूप लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

हिन्दी में टिप्पण/प्रारूप लेखन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई प्रोत्साहन योजना इस

विभाग में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1000 रुपए के दो प्रथम पुरस्कार, 600 रुपए के तीन द्वितीय पुरस्कार और 300 रुपए के पांच तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

12.6 हिन्दी में डिक्टेसन के लिए नकद पुरस्कार योजना

विभाग में हिन्दी में डिक्टेसन देने हेतु अधिकारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 1000 रुपए के 2 नकद पुरस्कार (एक हिन्दी भाषी और एक अहिन्दी भाषी के लिए) देने का प्रावधान है।

12.7 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से माननीय मंत्री जी द्वारा 14 सितम्बर, 2010 को एक अपील जारी की गई थी। विभाग में दिनांक 14 सितम्बर, 2010 से 29 सितम्बर, 2010 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी टंकण, हिन्दी में आशुभाषण, हिन्दी टिप्पण और आलेखन, हिन्दी सामान्य ज्ञान तथा कविता-पाठ प्रतियोगिताओं जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और पुरस्कार जीते।

12.8 प्रतिदिन एक शब्द

विभाग में छह वर्ष पूर्व शुरू की गई “प्रतिदिन एक

शब्द” योजना वर्ष के दौरान जारी रही। इस योजना के अंतर्गत विभाग के द्वितीय तल, ‘ए’ विंग, शास्त्री भवन में लगाए गए व्हाइट बोर्ड पर प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द/वाक्यांश के साथ उसका अंग्रेजी समानार्थक शब्द/वाक्यांश लिखा जाता है। सामान्यतः ये शब्द/वाक्यांश प्रशासनिक व तकनीकी प्रकृति के होते हैं जिनका उपयोग प्रतिदिन सार्वजनिक कामकाज में किया जाता है।

12.9 हिन्दी कार्यशालाएं

वर्ष के दौरान कर्मचारियों को हिन्दी में और अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभाग में 3 हिन्दी कार्यशालाओं जिनमें एक अनुभाग अधिकारियों के लिए और एक सहायकों और आशुलिपिकों के लिए तथा एक अवर श्रेणी लिपिकों एवं एक उच्च श्रेणी लिपिकों के लिए थी, का आयोजन किया गया तथा इन कार्यशालाओं में कुल 28 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

12.10 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निरीक्षण

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की देखरेख करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान विभाग के 7 अनुभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विभाग के उप निदेशक (रा0भा0) द्वारा निरीक्षण किया गया। इसके अलावा, संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति ने विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में छह कार्यालयों का निरीक्षण किया।

◆◆◆



अध्याय—13

13.1 विभाग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

- 13.1.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग की सेवाओं के विभिन्न समूहों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में सरकार के अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए पूरी सावधानी बरती गई। इस विभाग के अनुसार इन वर्गों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है :-

समूह	अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग
क	39	02	01	02	—
ख	104	13	06	07	01
ग	64	10	02	06	—
घ	56	18	02	06	01
कुल	263	43	12	24	02

13.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

- 13.2.1 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों/सहकारी समितियों में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के आरक्षण से संबंधित समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों को कार्यान्वित किया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में भी राष्ट्रपति के निदेश 08.09.1993 से विभाग में लागू किए गए। सहकारी क्षेत्र अर्थात् कृषकों में 01.10.1995 से अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित निदेश लागू किए गए हैं। इन निदेशों के कार्यान्वयन पर

विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही है और आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों को भरने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की रिक्तियों के प्रतिनिधित्व का विवरण **अनुलग्नक—XV** में दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समिति को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे रोजगार उपलब्ध कराने के अलावा जनजातीय क्षेत्र के व्यक्तियों को उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग के बारे में प्रशिक्षित करने, जनजातीय क्षेत्रों में डीलर/रिटेलर नेटवर्क तैयार करने और जनजाति बहुल क्षेत्रों में छोटी पैकिंग में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रम/योजनाएं तैयार करके उनका कार्यान्वयन करें।

13.3 अल्पसंख्यक कल्याण

- 13.3.1 विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे जहाँ कहीं सम्भव हो अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व कोचिंग की सुविधा प्रदान करें और रोजगार के अवसरों के संबंध में उनकी जानकारी बढ़ाने के प्रयास करें। उन्हें यह सलाह भी दी गई है कि वे भर्ती चयन बोर्डों में अल्पसंख्यकों के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके अल्पसंख्यकों को सेवाओं में लाभ और विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त भागीदारी मिल सके।

13.4 डीलरशिप में आरक्षण

- 13.4.1 इस विभाग ने अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को यह निदेश दिए हैं कि वे उर्वरकों की डीलरशिप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करें। अनुसूचित जातियों/

अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपक्रमों द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं:—

(क) प्रतिभूति राशि जमा कराने से छूट/रियायत

(ख) तेजी से बिकने वाले माल की आपूर्ति में वरीयता

(ग) आम डीलरों को अनुमेय डीलरशिप मार्जिन की तुलना में इन्हें अधिक दर देना, और

(घ) उर्वरकों की हैंडलिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण।

13.4.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत उर्वरक डीलरशिप का आरक्षण करें।

◆◆◆



अध्याय—14

14.1 महिला सशक्तिकरण

महिला-पुरुष समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठापित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता प्रदान करता है, अपितु यह महिलाओं के पक्ष में निरपेक्ष भाव के उपाय अपनाने के लिए राज्यों को अधिकार भी देता है। उर्वरक विभाग महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में महत्व देने के प्रति वचनबद्ध है। हालांकि विभाग में महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है, तथापि, विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा सहकारी समिति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से उनमें बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने के कार्यकलाप वर्ष भर चलते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं का पूर्ण विकास करना है ताकि वे निर्णय लेने में अपनी सम्पूर्ण क्षमता एवं भागीदारी अनुभव कर सकें। उर्वरक विभाग में एक “शिकायत समिति” है, जो महिला कर्मचारियों की शिकायतों को सुनती है। विभाग ने महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक कॉमन रूम भी स्थापित किया है। महिला कर्मचारियों को अनुकूल माहौल प्रदान करने का इस विभाग को गर्व है।

14.2 आरसीएफ

- 14.2.1 एक संगठन के रूप में आरसीएफ ने अपने कर्मचारियों के साथ स्त्री-पुरुष का भेदभाव किए बिना हमेशा से उचित व्यवहार किया है। आरसीएफ के पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों को विकास, प्रशिक्षण, चुनौतीपूर्ण कार्यों को सीखने के समान अवसर दिए जाते हैं। तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थियों के बैच में बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं।
- 14.2.2 महिलाएं तकनीकी/गैर-तकनीकी/प्रबंधकीय पदों पर कार्य कर रही हैं और इनमें से कुछ संगठन में शीर्ष प्रबंधकीय पदों के स्तर पर पहुंच गई हैं।

- 14.2.3 कल्याण और कर्मचारी हितलाभ की सभी योजनाएं आरसीएफ के पुरुष और महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू हैं।

- 14.2.4 महिला कर्मचारियों की विशेष योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत आरसीएफ ने निम्नलिखित की स्थापना की है:—

- महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रकोष्ठ (राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुदेशों के अनुसार)
- यौन उत्पीड़न मामलों संबंधी समिति (उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार)।
- विशेष चिकित्सा जांच/शिविर।

- 14.2.5 महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ, नर्सिंग छुट्टी आदि जैसी कानूनी आवश्यकताओं के अंतर्गत सभी लाभ दिए जाते हैं।

- 14.2.6 आरसीएफ सार्वजनिक महिला क्षेत्र मंच (डब्ल्यूआईपीएस) में 1990 में इसके अस्तित्व में आने से ही अग्रणी सदस्यों में से एक हैं। यह इस मंच का एक निगमित सदस्य है और सभी कार्यकलापों में पूर्ण समर्थन और भागीदारी से मंच के सभी कार्यकलापों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कुछ आरसीएफ महिला अधिकारी कार्यदलों के प्रमुख, समितियों के सदस्यों के रूप में कार्य कर रही हैं और इन्होंने नीति-निर्माण तथा महिलाओं के विकास में काफी योगदान दिया है।

- 14.2.7 नियमित प्रशिक्षण के भाग के रूप में आरसीएफ यौन उत्पीड़न दिशा-निर्देशों के बारे में सभी अधिकारियों (महिला-पुरुष) को जागरूक करता है जिसमें स्त्री-पुरुष संवेदनशीलता संबंधी विषय भी शामिल होते हैं।

14.3. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)

- 14.3.1 महिला सशक्तिकरण और कल्याण, विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समिति द्वारा विभिन्न प्रयास और शुरुआत की जा रही है।

14.3.2 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) कंपनी में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कार्यबल का 5.26% है। कंपनी के बोर्ड में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक महिला है। कंपनी ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

14.3.3 स्त्री-पुरुष असमानता का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है और पुरुष तथा महिला कर्मचारियों को समान अधिकार उपलब्ध हैं। कार्य का माहौल काफी सौहार्दपूर्ण है।

14.4 मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल)

मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल) में स्त्री-पुरुष मुद्दे से संबंधित कोई समस्या नहीं है। तथापि, एमएफएल में एक सार्वजनिक महिला क्षेत्र विंग (डब्ल्यूआईपीएस) है और डब्ल्यूआईपीएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए महिला कर्मचारियों को नामित किया जाता है।

14.5 बीवीएफसीएल

14.5.1 बीवीएफसीएल स्त्री-पुरुष में कोई भेदभाव किए बिना विकास पर बल देता है। महिला कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। महिलाओं के कल्याण के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

14.5.2 भर्ती के समय इस पर जोर दिया जाता है और हाल ही में कई महिलाओं को भर्ती किया गया है। नियंत्रक मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

14.6 फ़ैगमिल

चूंकि कंपनी एक नई कंपनी है और राजस्थान के मरु क्षेत्रों में खनन कारोबार करती है। महिला सशक्तिकरण और कल्याण तथा स्त्री पुरुष भेदभाव से संबंधित मामलों के समाधान के लिए उचित उपाय किए जाएंगे।

14.7 कृभको

14.7.1 कृभको में महिलाओं की भूमिका को अधिक सामूहिक रूप में देखा जाता है। समग्र विकास के प्रयास में महिलाओं का मुद्दा पर्याप्त रूप से जुड़ा है। महिलाओं को उनके कार्य, विकास और वृद्धि के संबंध में स्त्री-पुरुष समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उनके सहयोगियों की ही तरह समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

14.7.2 कृभको में महिला कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देकर उनका शारीरिक और मानसिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा उन्हें विशेष महिला अधिकारिता संगोष्ठियों और कार्यक्रमों में नामित किया जाता है। नीतियां बनाते समय महिला अधिकारियों को समान रूप से शामिल किया जाता है चाहे वह पदोन्नति, भर्ती की नीतियां हों अथवा अन्य महत्वपूर्ण मामले हों।

14.7.3 महिलाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति कार्य कर रही है। महिला कर्मचारियों को तंग किए जाने संबंधी कदाचार, जो किसी मामले को रोकने के लिए समिति के कदाचार, अनुशासन और अपील (सीडीए) में विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं।

◆◆◆



अध्याय—15

नागरिक अधिकार पत्र/शिकायत निपटान प्रणाली

नागरिक अधिकार—पत्र

उर्वरक विभाग ने वर्ष 2010-11 के लिए विभाग का परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) सेवोत्तम शिकायत नागरिक/उपभोक्ता अधिकार पत्र के साथ-साथ सेवोत्तम शिकायत निवारण प्रणाली भी तैयार की गई है। उर्वरक विभाग के संबद्ध कार्यालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) का नागरिक अधिकार पत्र तैयार किया जा रहा है।

हमारा ध्येय

सतत कृषि विकास के लिए सुदृढ़ स्वदेशी उर्वरक उद्योग द्वारा देश में उर्वरक सुरक्षा प्राप्त करना।

हमारा भावी दृष्टिकोण

देश में उर्वरकों के योजनाबद्ध उत्पादन और आयात तथा वितरण के माध्यम से किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना और यूरिया के उत्पादन में आत्म निर्भरता के लिए योजना बनाना।

भागीदार

हमारे भागीदार निम्नलिखित हैं :

- उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी पीएसयू और सहकारी समितियां
- सभी अन्य उर्वरक उत्पादक कंपनियां।
- कृषि एवं सहकारिता विभाग।
- राज्य सरकारें।
- उर्वरकों (यूरिया, एमओपी, मिश्रित) के आयातकर्ता।
- आयातकर्ता/कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता।

- अन्य मंत्रालय (वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय) योजना आयोग, लोक उद्यम विभाग, लोक उद्यम चयन बोर्ड, टैरिफ कमीशन, विदेश व्यापार महानिदेशालय इत्यादि।
- किसान।

शिकायत निवारण प्रणाली

उर्वरक विभाग ने शिकायतों के शीघ्र निपटान एवं प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से उर्वरक विभाग ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित एवं तैयार की गई एक वेब प्रौद्योगिकी आधारित एकीकृत आवेदन प्रणाली, जिसे केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के नाम से जाना जाता है, को कार्यान्वित किया है, जिसके माध्यम से नागरिक किसी भी स्थान से और किसी भी समय उर्वरक विभाग और नागरिकों के बीच सहज सम्पर्क करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। यह प्रणाली नागरिकों को उनके द्वारा की गई शिकायत के निवारण के संबद्ध में हुई प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली उर्वरक विभाग और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के बीच संपर्क का कार्य करती है। शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के लिए उर्वरक विभाग के संबंधित अनुभाग विभाग, के संबद्ध कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सहकारी सोसायटियों को शिकायतें दी जाती हैं। शिकायतों के निवारण के लिए बाद में नियमित अंतराल पर विभिन्न स्तरों पर अनुस्मारक भेजे जाते हैं। डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों को भी उपयुक्त तरीके से दर्ज किया जाता है और समयबद्ध तरीके से निपटाया जाता है।

♦ ♦ ♦

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार
उर्वरक विभाग को आबंटित विषयों की सूची

1. किसी नामोदिष्ट माध्यमीकरण एजेंसी के माध्यम से उर्वरकों के आयात सहित उर्वरक उत्पादन के लिए योजना बनाना।
2. कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर यूरिया के संचलन और वितरण के लिए आबंटन और आपूर्ति।
3. नियंत्रित एवं नियंत्रणमुक्त उर्वरकों हेतु रियायत योजना का नियंत्रण एवं राजसहायता का प्रबंधन तथा यूरिया के प्रतिधारण मूल्य के निर्धारण सहित नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की सहायता राशि तय करना और ऐसे उर्वरकों और फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों की लागत निर्धारित करना।
4. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1960 को लागू करना।
5. सहकारी क्षेत्र अर्थात् कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) की उर्वरक उत्पादन इकाइयों का प्रशासनिक उत्तरदायित्व।
6. इंडियन पोटेश लिमिटेड (आई पी एल) का प्रशासनिक उत्तरदायित्व।



(देखें अध्याय 2)

रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री एम.के. अलागिरी
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री	श्री श्रीकांत कुमार जेना
सचिव	श्री एस. कृष्णन् (31.08.2010 तक) डा. सुतानु बेहुरिया (01.09.2010 से)
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	डा. वी. राजगोपालन (23.04.2010 से)
संयुक्त सचिव	श्री श्याम लाल गोयल (28.06.2010 से) श्री सतीश चन्द्र श्री दीपक सिंघल
संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी	श्री ए.के. पराशर, आर्थिक सलाहकार श्री बी.एन. तिवारी, डीडीजी (25.05.2010 तक) श्री एम.पी. जॉनसन, डीडीजी (24.05.2010 से)
निदेशक	श्री दीपक कुमार श्री बी.बी. महतानी श्री गौतम चटर्जी (03.01.2011 से 31.01.2011) श्री मनोज कुमार गुप्ता (30.06.2010 तक)
निदेशक स्तर के अधिकारी	श्री एम. दंडायुद्धपाणी (एफआईसीसी) (04.11.2010 तक) श्री प्रदीप यादव, रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री के निजी सचिव (30.06.2010 तक) श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी, (लेखा निदेशक) श्री टी.ए. बासिल (एफआईसीसी) श्री उमेश डोंगरे (एफआईसीसी) श्री ए.एस. संधु (एफआईसीसी)

उप सचिव

श्री संजय कुमार सिन्हा

श्री एच. अब्बास

श्री के.के. पदमानाभन (31.12.2010 तक)

श्री मनीष त्रिपाठी (31.05.2010 से)

श्रीमती ललिता दास (27.08.2010 से)

श्री राजीव कुमार (03.01.2011 से) (एफआईसीसी)

श्री आर. सेल्वम, मंत्री के निजी सचिव (01.07.2010 से)

श्री तपन दत्ता, डीसी (पीओपी)

उप सचिव स्तर के अधिकारी

श्री ए.के. चंदवानी, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (30.12.2010 से)

लेखा नियंत्रक

श्री अखिलेश झा (22.01.2010 से)



उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की सूची

सार्वजनिक क्षेत्र:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मुख्यालय	निगमन की तारीख
1.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट)	उद्योगमंडल	सितम्बर, 1943
2.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआई)	नई दिल्ली	जनवरी, 1961
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	नोएडा	अगस्त, 1974
4.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	मुम्बई	मार्च, 1978
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)	चेन्नई	दिसम्बर, 1966
6.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेन्ट इण्डिया लिमिटेड (पीडीआईएल)	नोएडा	मार्च, 1978
7.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसी)	नई दिल्ली	मार्च, 1978
8.	बह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	गुवाहाटी	अप्रैल, 2002
9.	एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल)	जोधपुर	फरवरी, 2003

सहकारी क्षेत्र:

10.	कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको)	नोएडा	अप्रैल, 1980
-----	--------------------------------------	-------	--------------

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए इकाई-वार स्थापित क्षमता,
उत्पादन और क्षमता उपयोग

नाइट्रोजन

कंपनी/संयंत्र का नाम	उत्पादों का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता (1.04.09 को) (‘000’ मी.टन)	उत्पादन (‘000 मी.टन)		प्रतिशत क्षमता उपयोग	
			2009-10	2010-11 (अनुमानित)	2009-10	2010-2011 (अनुमानित)
सार्वजनिक क्षेत्र:						
एनएफएल: नांगल-II	यूरिया	220.1	236.6	209.3	107.5	95.1
एनएफएल: बठिण्डा	यूरिया	235.3	247.2	244.4	105.1	103.9
एनएफएल: पानीपत	यूरिया	235.3	224.7	233.0	95.5	99.0
एनएफएल: विजयपुर	यूरिया	397.7	398.2	417.8	100.1	105.1
एनएफएल: विजयपुर विस्तार	यूरिया	397.7	431.5	426.8	108.5	107.3
योग (एनएफएल):		1486.1	1538.2	1531.3	103.5	103.0
बीवीएफसीएल: नामरूप-II	यूरिया	110.4	27.9	38.0	25.3	34.4
बीवीएफसीएल: नामरूप-III	यूरिया	144.9	59.1	107.9	40.8	74.5
योग (बीवीएफसीएल):		255.3	87.0	145.9	34.1	57.1
फैक्ट: उद्योगमंडल	ए/एस, 20:20	77.0	50.2	57.8	65.2	75.1
फैक्ट: कोचीन-II	20:20	97.0	97.9	107.3	100.9	110.6
योग (फैक्ट):		174.0	148.1	165.1	85.1	94.9
आरसीएफ: ट्राम्बे	15:15:15	45.0	70.7	70.6	157.1	156.9
आरसीएफ: ट्राम्बे-IV	20.8:20.8	75.1	0.0	14.0	0.0	18.6
आरसीएफ: ट्राम्बे-V	यूरिया	151.8	0.0	133.4	0.0	87.9
आरसीएफ: थाल	यूरिया	785.1	875.6	819.1	111.5	104.3
योग (आरसीएफ)		1057.0	946.3	1037.1	89.5	98.1
एमएफएल: चेन्नई	यूरिया / 17:17:17	366.7	186.7	190.8	50.9	52.0
सेल: राउरकेला	सीएएन	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0
उप उत्पाद	ए/एस	38.4	18.9	18.9	49.2	49.2
योग (सार्वजनिक)		3497.5	2925.2	3089.1	83.6	88.3
सहकारी क्षेत्र						
इफको: कांडला	10:26:26 / 12:32:16 / डीएपी	351.5	207.3	302.8	59.0	86.1
इफको: कलोल	यूरिया	250.5	257.5	268.5	102.8	107.2
इफको: फूलपुर-I	यूरिया	253.5	304.8	328.3	120.2	129.5
इफको: फूलपुर-II	यूरिया	397.7	386.7	463.0	97.2	116.4
इफको: आंवला-I	यूरिया	397.7	454.0	462.0	114.2	116.2
इफको: आंवला-II	यूरिया	397.7	468.4	464.6	117.8	116.8
इफको: पारादीप	डीएपी / 10:26:26 / 20:20 / 12:32:16	325.2	252.5	279.8	77.6	86.0
योग (इफको)		2373.8	2331.2	2569.0	98.2	108.2
कृमको: हजीरा	यूरिया	795.4	801.8	817.1	100.8	102.7

कंपनी/संयंत्र का नाम	उत्पादों का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता (1.04.09 को) (‘000’ मी.टन)	उत्पादन (‘000 मी.टन)		प्रतिशत क्षमता उपयोग	
			2009-10	2010-11 (अनुमानित)	2009-10	2010-2011 (अनुमानित)
योग (सहकारी)		3169.2	3133.0	3386.1	98.9	106.8
योग (सार्वजनिक + सहकारी)		6666.7	6058.2	6475.2	90.9	97.1
निजी क्षेत्र						
जीएसएफसी: वडोदरा	यूरिया / डीएपी / 20:20 / A/S	248.1	194.0	253.9	78.2	102.3
जीएसएफसी: सिक्का-I	डीएपी / 12:32:16	105.8	48.0	78.4	45.4	74.1
जीएसएफसी: सिक्का-II	डीएपी / 12:32:16	71.3	71.5	89.3	100.3	125.2
योग (जीएसएफसी. सिक्का):		177.1	119.5	167.7	67.5	94.7
जीएनएफसी: भरुच	यूरिया / कैन / 20:20	356.7	333.9	375.1	93.6	105.2
केएसएफएल: शाहजहांपुर	यूरिया	397.7	397.5	440.6	99.9	110.8
सीएफएल: विजाग	28:28 / 14:35:14 / 20:20 / 16:20 / 10:26:26	124.0	157.3	216.2	126.9	174.4
सीएफएल: एन्नोर	16:20 / 20:20	41.2	25.3	32.5	61.4	78.9
सीएफएल: काकीनाडा	डीएपी / 10:26:26 / 20:20 / 14:35:14 / 12:32:16	120.6	160.1	203.1	132.8	168.4
एसएफसी: कोटा	यूरिया	174.3	181.9	168.8	104.4	96.8
डीआईएल: कानपुर	यूरिया	332.1	0.0	0.0	0.0	0.0
जैडआईएल: गोवा	यूरिया / डीएपी / 19:19:19 / 10:26:26 / 12:32:16	288.7	268.5	275.4	93.0	95.4
स्पिक : तूतीकोरिन	यूरिया / डीएपी / 20:20 / 17:17:17	370.7	0.0	89.0	0.0	24.0
एमसीएफ: मंगलौर	यूरिया / डीएपी / 20:20 / 16:20	207.2	217.8	234.7	105.1	113.3
टीएसी: तूतीकोरिन	ए / सी	16.0	0.0	6.2	0.0	38.8
टीसीएल: हल्दिया	डीएपी / 10:26:26 / 12:32:16 / 14:35:14 / 15:15:15	121.5	70.0	89.6	57.6	73.7
आईजीसीएल: जगदीशपुर	यूरिया	397.7	491.6	503.3	123.6	126.6
हिन्दु. इण्ड. लि., दाहेज	डीएपी / 10:26:26 / 12:32:16	72.0	30.4	33.8	42.2	46.9
डीएफपीसीएल: तलोजा	23:23	52.9	13.3	28.6	25.1	54.1
एनएफसीएल: काकीनाडा-I	यूरिया	274.8	353.7	345.9	128.7	125.9
एनएफसीएल: काकीनाडा-II	यूरिया	274.8	280.2	327.6	102.0	119.2
योग (एनएफसीएल)		549.6	633.9	673.5	115.3	122.5
सीएफसीएल: गडेपान-I	यूरिया	397.7	418.5	477.8	105.2	120.1
सीएफसीएल: गडेपान-II	यूरिया	397.7	463.8	462.9	116.6	116.4
योग (सीएफसीएल)		795.4	882.3	940.7	110.9	118.3
टीसीएल: बबराला	यूरिया	397.7	470.9	557.6	118.4	140.2
पीपीएल: पारादीप	डीएपी / 14:35:14 / 20:20 / 12:32:16 / 10:26:26 / 28:28	129.6	159.4	197.6	123.0	152.5
उप उत्पाद	ए / एस	7.5	3.8	5.4	50.7	72.0
योग (निजी क्षेत्र)		5394.3	5493.3	89.2	101.8	
योग (सार्वजनिक + सहकारी + निजी)		12061.0	11968.5	90.1	99.2	

कंपनी/संयंत्र का नाम	उत्पादों का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता (1.04.09 को) (‘000’ मी.टन)	उत्पादन (‘000 मी.टन)		प्रतिशत क्षमता उपयोग	
			2009-10	2010-11 (अनुमानित)	2009-10	2010-2011 (अनुमानित)
फॉस्फेट						
सार्वजनिक क्षेत्र:						
फैक्ट: उद्योगमंडल	20:20	29.7	23.2	31.8	78.1	107.1
फैक्ट: कोचीन-II	20:20	97.0	97.9	107.3	100.9	110.6
योग (फैक्ट)		126.7	121.1	139.1	95.6	109.8
आरसीएफ: ट्राम्बे	15:15:15	45.0	70.7	70.6	157.1	156.9
आरसीएफ: ट्राम्बे-IV	20.8:20.8	75.1	0.0	14.0	0.0	18.6
योग (आरसीएफ)		120.1	70.7	84.6	58.9	70.4
एमएफएल: चेन्नई	20:20 / 19:19:19 / 17:17:17	142.8	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
योग (सार्वजनिक)		432.5	191.8	223.7	44.3	51.7
सहकारी क्षेत्र						
इफको: कांडला	डीएपी / 10:26:26 / 12:32:16	910.0	541.5	786.1	59.5	86.4
इफको: पारादीप	डीएपी / 10:26:26 / 20:20 / 12:32:16	802.8	374.7	386.8	46.7	48.2
योग (सहकारी)		1712.8	916.2	1172.9	53.5	68.5
योग (सार्वजनिक + सहकारी)		2145.3	1108.0	1396.6	51.6	65.1
जीएसएफसी: वडोदरा	डीएपी / 20:20	75.9	59.5	58.1	78.4	76.5
जीएसएफसी: सिक्का-I	डीएपी, 12:32:16	270.5	123.4	200.8	45.6	74.2
जीएसएफसी: सिक्का-II	डीएपी	182.2	182.7	228.2	100.3	125.2
योग (जीएसएफसी- सिक्का):		452.7	306.1	429.0	67.6	94.8
जीएनएफसी : भरुच	20:20	28.5	26.8	38.4	94.0	134.7
सीएफएल: विजाग	14:35:14 / 28:28 / 10:26:26 / 20:20	166.0	176.5	257.2	106.3	154.9
सीएफएल: एन्नौर	16:20 / 20:20	48.0	31.7	40.6	66.0	84.6
सीएफएल: काकीनाडा	डीएपी / 12:32:16 / 20:20 / 14:34:14 / 10:26:26	308.2	395.1	516.3	128.2	167.5
जैडआईएल: गोवा	डीएपी / 19:19:19 / 10:26:26 / 12:32:16	197.4	193.0	247.5	97.8	125.4
स्पिक : तूतीकोरिन	डीएपी / 17:17:17 / 20:20	218.5	0.0	34.8	0.0	15.9
एमसीएफ: मंगलौर	डीएपी / 20:20 / 16:20	82.8	87.7	109.8	105.9	132.6
टीसीएल: हल्दिया	डीएपी / 10:26:26 / 12:32:16 / 14:35:14	336.9	202.2	243.0	60.0	72.1
हिन्दु. इण्ड. लि., दाहेज	डीएपी / 10:26:26 / 12:32:16	184.0	77.6	86.5	42.2	47.0
डीएफपीसीएल: तलोजा	23:23	52.9	13.3	28.6	25.1	54.1
पीपीएल: पारादीप	डीएपी / 14:35:14 / 20:20 / 12:32:16 / 10:26:26 / 28:28	331.2	355.1	433.8	107.2	131.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	1030.6	432.0	432.0	41.9	41.9
योग (निजी क्षेत्र)		3513.6	2955.6	67.1	84.1	
योग (सार्वजनिक + सहकारी + निजी)		5658.9	3464.6	4352.2	76.9	

*वास्तविक आंकड़े अप्रैल 2010-नवम्बर 2010 तक लिए गए हैं और दिसम्बर 2010 से मार्च 2011 तक के आंकड़े अनुमानित हैं।

अनुलग्नक - V

उर्वरकों की वर्षवार, पोषकतत्व-वार खपत, उत्पादन और आयात

(सार्वजनिक + सहकारी + निजी)

वर्ष					खपत				उत्पादन आयात			
	एन	पी	के	योग	एन	पी	के	योग	एन	पी	के	योग
1981-82	40.69	13.22	6.73	60.64	31.44	9.49	0.00	40.93	10.54	3.43	6.44	20.41
1982-83	42.24	14.37	7.27	63.88	34.24	9.80	0.00	44.04	4.25	0.63	6.44	11.32
1983-84	52.86	17.07	7.99	77.92	34.85	10.48	0.00	45.33	6.56	1.43	5.56	13.55
1984-85	54.87	18.86	8.38	82.11	39.17	12.64	0.00	51.81	20.08	7.45	8.71	36.24
1985-86	56.61	20.05	8.08	84.74	43.28	14.28	0.00	57.56	16.80	8.16	9.03	33.99
1986-87	57.16	20.79	8.50	86.45	54.10	16.60	0.00	70.70	11.03	2.55	9.52	23.10
1987-88	57.17	21.87	8.80	87.84	54.66	16.65	0.00	71.31	1.75	0.00	8.09	9.84
1988-89	72.51	27.21	10.68	110.40	67.12	22.52	0.00	89.64	2.19	4.07	9.82	16.08
1989-90	73.86	30.14	11.68	115.68	67.47	17.96	0.00	85.43	5.23	13.11	12.80	31.14
1990-91	79.97	32.21	13.28	125.46	69.93	20.52	0.00	90.45	4.14	10.16	13.28	27.58
1991-92	80.46	33.21	13.61	127.28	73.01	25.62	0.00	98.63	5.66	9.67	12.36	27.69
1992-93	84.27	28.44	8.84	121.55	74.30	23.06	0.00	97.36	11.37	6.89	10.82	29.08
1993-94	87.89	26.69	9.08	123.66	72.31	18.16	0.00	90.47	15.88	7.22	8.57	31.67
1994-95	95.07	29.31	11.25	135.63	79.45	24.93	0.00	104.38	14.76	3.80	11.09	29.65
1995-96	98.23	28.98	11.56	138.77	87.77	25.58	0.00	113.35	19.93	6.47	13.15	39.55
1996-97	103.01	29.77	10.30	143.08	85.99	25.56	0.00	111.55	11.67	2.46	6.13	20.26
1997-98	109.01	39.14	13.73	161.88	100.86	29.76	0.00	130.62	13.62	6.72	11.40	31.74
1998-99	113.54	41.12	13.32	167.98	104.80	31.41	0.00	136.21	6.35	9.68	15.42	31.45
1999-00	115.92	47.99	16.78	180.69	108.90	33.99	0.00	142.89	8.33	15.03	17.39	40.75
2000-01	109.20	42.15	15.67	167.02	109.61	37.43	0.00	147.04	1.54	3.96	15.41	20.91
2001-02	113.10	43.82	16.67	173.59	107.68	38.60	0.00	146.28	2.69	4.29	17.01	23.99
2002-03	104.74	40.19	16.01	160.94	105.64	39.10	0.00	144.74	0.66	1.70	14.38	16.74
2003-04	110.76	41.24	15.98	167.98	106.34	36.32	0.00	142.66	1.32	3.38	15.48	20.18
2004-05	117.14	46.24	20.61	183.99	113.38	40.67	0.00	154.05	4.09	2.96	20.45	27.50
2005-06	127.23	52.04	24.13	203.40	113.54	42.21	0.00	155.75	13.85	11.21	27.47	52.53
2006-07	137.74	55.43	23.34	216.51	115.78	45.17	0.00	160.95	26.88	13.23	20.69	60.80
2007-08	144.19	55.15	26.36	225.70	109.00	38.07	0.00	147.07	36.77	12.53	26.53	75.83
2008-09	150.90	65.06	33.13	249.09	108.7	34.64	0.00	143.34	38.44	29.27	33.80	101.51
2009-10	155.80	72.74	36.32	264.86	119.0	43.21	0.00	162.21	34.47	27.56	29.44	91.47
2010-11	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	80.21	29.52	0.00	109.73	34.48	35.15	30.22	99.85

*वास्तविक आंकड़े अप्रैल 2010 - नवम्बर 2010 तक के हैं।

**अन्तिम आयात आंकड़े 31.11.2010 तक लिए गए हैं।

नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का क्षेत्र-वार उत्पादन

(देखें अध्याय-5)

(‘000’ मी. टन)

पोषक तत्व	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
नाइट्रोजन (एन)																				
सार्वजनिक क्षेत्र	3429.9	2879.5	3366.7	2854.1	3106.2	3007.9	3091.5	3051.0	3141.8	2958.6	3117.0	3046.7	3119.7	2887.0	3053.5	2925.2	3054.8	3118.1	3124.7	3086.1
सहकारी क्षेत्र	2706.1	2691.8	2699.5	2800.9	2672.7	2797.3	2812.3	2901.7	2832.5	2958.3	3106.4	3004.3	3303.4	3031.0	3260.7	3133.0	3280.8	3404.3	3363.5	3434.5
निजी क्षेत्र	5523.0	5196.7	5549.1	4906.5	5401.9	5130.5	5502.0	5382.5	5837.0	5437.6	5224.9	5526.9	5485.0	4982.0	5583.6	4811.5	5749.0	5379.6	6027.8	5652.9
योग (नाइट्रोजन)	11659.0	10768.0	11615.3	10561.5	11180.8	10935.7	11405.8	11335.2	11811.3	11354.5	11448.3	11577.9	11908.1	10900.0	11897.8	10869.7	12084.6	11902.0	12516.0	12175.5
फॉस्फेट (पी)																				
सार्वजनिक क्षेत्र	749.3	479.4	678.9	307.4	399.8	353.3	402.7	266.3	383.0	294.9	387.3	232.7	234.0	161.4	241.8	191.7	207.3	227.7	271.7	237.5
सहकारी क्षेत्र	776.0	783.3	776.0	949.5	776.0	778.7	875.1	938.3	880.0	1035.8	1461.5	1129.7	1496.2	969.2	1104.8	916.2	937.0	1194.1	1242.2	1290.5
निजी क्षेत्र	3404.7	2587.3	3364.2	2647.3	3464.8	2668.4	3648.1	2862.7	3400.0	2890.6	2972.0	3154.8	3184.2	2676.7	3087.7	2356.4	2986.8	2901.1	3355.6	3004.1
योग (फॉस्फेट)	4930.0	3860.0	4819.1	3904.2	4640.6	3800.4	4925.9	4067.3	4663.0	4221.3	4820.8	4517.2	4914.4	3807.3	4434.3	3464.3	4131.1	4322.9	4869.5	4532.1
कुल योग	16589.0	14628.0	16434.4	14465.7	15821.4	14736.1	16331.7	15402.5	16474.3	15575.8	16269.1	16095.1	16822.5	14707.3	16332.1	14334.0	16215.7	16224.9	17385.5	16707.6

* अनुमानित उत्पादन आंकड़े वर्ष 2009-10 तक के हैं।

नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का क्षेत्रवार क्षमता उपयोग

(देखें अध्याय-5)

(प्रतिशतता)

पोषक तत्व	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
नाइट्रोजन (एन)										
सार्वजनिक क्षेत्र	74.1	78.9	86.7	87.2	84.6	87.1	82.5	83.6	89.2	88.3
सहकारी क्षेत्र	101.0	101.0	99.5	102.0	93.3	94.8	95.6	98.9	107.4	108.4
निजी क्षेत्र	95.0	85.8	89.7	94.1	100.8	102.5	92.4	89.5	100.0	105.1
कुल (नाइट्रोजन)	89.6	87.2	91.1	94.0	94.1	96.0	90.4	90.2	98.8	101.1
फॉस्फेट (पी)										
सार्वजनिक क्षेत्र	58.3	64.8	81.7	61.6	68.2	53.8	37.3	44.3	56.6	59.0
सहकारी क्षेत्र	141.4	131.0	94.4	103.1	60.5	60.5	60.5	53.5	69.7	75.3
निजी क्षेत्र	69.6	63.6	64.1	66.3	82.3	89.8	76.2	67.1	82.5	85.5
कुल (फॉस्फेट)	75.7	72.8	70.1	71.9	74.6	79.8	67.3	61.2	76.8	80.5

वार्षिक योजना 2011-2012
उर्वरक विभाग

(करोड़ रुपए)

क. सं.	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2009-10 (वास्तविक)			वार्षिक योजना 2010-11 (बजट अनुमान)			वार्षिक योजना 2010-11 (संशोधित अनुमान)				वार्षिक योजना 2011-12			
		जीबीएस	आईईबीआर	योग	जीबीएस	आईईबीआर	योग	जीबीएस	आईईबीआर	योग	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित परिव्यय	जीबीएस	आईईबीआर	योग	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित परिव्यय
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं— सीएसएस														
	कुल सीएसएस														
	केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)														
1	आरसीएफ		141.02	141.02		622.82	622.82		237.37	237.37			293.30	293.30	
2	फैगमिल		0.37	0.37		11.29	11.29		5.89	5.89			4.15	4.15	
3	पीडीआईएल		7.52	7.52		5.38	5.38		9.45	9.45			9.73	9.73	
4	एनएफएल		43.05	43.05		900.5	900.5		655.71	655.71			2363.08	2363.08	
5	कृमको		319.61	319.61		1160.00	1160.00		1138.63	1138.63			654.96	654.96	
6	रुग्ण सीपीएसई का पुनरुद्धार				0.00		0.00								
6(i)	बीवीएफसीएल	65.00		65.00	45.00		45.00	45.00		45.00		67.80		134.00	
6(ii)	फैक्ट	34.00		34.00	89.99		89.99	89.99		89.99		60.74		120.00	
6(iii)	एमएफएल	96.99		96.99	74.50		74.50	74.50		74.50		88.95		410.00	
6(iv)	एफसीआई				0.00		0.00	0.00		0.00					
6(v)	एचएफसी				0.00		0.00	0.00		0.00					
6(vi)	पीपीसीएल						0.00								
7	विविध योजनाएं (एमआईएस/आईटी और आर एंड डी)	3.68		3.68	5.50		5.50	5.50		5.50		7.50		7.50	
8	परिवर्तन के लिए पूंजी राजसहायता														
9	विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने के लिए निवेश#	0.00		0.00	0.01		0.01	0.01		0.01		0.01		0.01	
10	बंद इकाइयों का पुनरुद्धार														
	योग सीएस		199.67	511.57	711.24	215.00	2699.99	2914.99	215.00	2047.05	2262.05		225.00	3325.22	3996.73

* बीवीएफसीएल के लिए निर्धारित राशि का इस्तेमाल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया जाएगा।

उर्वरक विभाग विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं की खोज कर रहा है। चूंकि वर्तमान में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है अतः 1 लाख रुपए की सांकेतिक राशि उपलब्ध कराई गई है।

बजट अनुमान 2010–11 और संशोधित अनुमान 2010–11 के लिए गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधियों के शीर्ष-वार आबंटन का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

I	गैर-योजनागत प्रावधान:	बजट अनुमान 2010–2011	संशोधित अनुमान 2010–2011
क.	राजस्व खण्ड		
	1. सचिवालय (एमएच 3451)	17.24	17.24
	2. एफआईसीसी का कार्यालय और अन्य कार्यक्रम (एफआईसीसी + एमआईटी) (एमएच 2852)	1.97	1.97
	3. स्वदेशी उर्वरकों पर राजसहायता (एमएच 2852)		
	भाड़ा राजसहायता सहित स्वदेशी यूरिया (सकल)	15980.73	15080.73
	4. आयातित उर्वरकों पर राजसहायता (एमएच 2401)		
	सकल	8360.00	9255.95
	वसूली (–)	2860.00	2860.00
	निवल	5500.00	6395.95
	5. नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर बिक्री संबंधी रियायत के लिए विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान (एमएच 2401)		
	(i) स्वदेशी नियंत्रणमुक्त उर्वरक (सकल)	13000.00	17000.00
	(ii) आयातित नियंत्रणमुक्त उर्वरक (सकल)	15500.00	16500.00
	कुल (नियंत्रणमुक्त उर्वरक)–(निवल)	28500.00	33500.00
	6. एचएफसीएल, एफसीआई, एमएफएल, पीडीआईएल और एफएसीटी पर भारत सरकार के ऋणों, उस पर ब्याज और दण्डात्मक ब्याज को बड़े खाते डालना (एमएच 3475)	0.01	0.01
	7. पीपीएल के बंद होने के उपरांत प्रतिब) देयताएं (एमएच 3475)	0.01	4.06
	योग (राजस्व खण्ड) – (निवल)	52859.96 49999.96	57859.96 54999.96
ख.	पूंजी खण्ड		
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को गैर-योजनागत ऋण (एमएच 6855)		
	एचएफसी	0.01	0.01
	एफसीआई	0.01	0.01
	पीपीसीएल	0.01	0.01
	बीवीएफसीएल	0.01	0.01

(करोड़ रुपए)

I	गैर-योजनागत प्रावधान:	बजट अनुमान 2010-2011	संशोधित अनुमान 2010-2011
	फेक्ट	—	—
	योग (पूँजी खण्ड)	0.04	0.04
	योग (गैर-योजना) सकल निवल	52860.00 50000.00	57860.00 55000.00
II	योजनागत प्रावधान		
क.	राजस्व खण्ड		
	1. अनुसंधान एवं विकास के लिए पीडीआईएल को अनुदान	—	—
	2. विभाग का एस एण्ड टी कार्यक्रम (एमएच 2852)	2.00	2.00
	3. प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अनुदान (एमएच 2852)	3.50	3.50
	4. मौजूदा 4 एफओ/एलएसएचएस संयंत्रों को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित करने के लिए पूंजी राजसहायता (एमएच 2852)	0.00	0.00
	योग (राजस्व खण्ड)	5.50	5.50
ख.	पूँजी खण्ड:		
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश/ऋण (एमएच 6855)		
	1. एफएसीटी	89.99	89.99
	2. बीवीएफसीएल	45.00	45.00
	3. एचएफसी	—	—
	4. पीडीआईएल	—	—
	5. एमएफएल	74.50	74.50
	6. एफसीआई	—	—
	7. पीपीसीएल	—	—
	विदेशों में संयुक्त उद्यम के लिए निवेश (एमएच 4855)	0.01	0.01
	योग: (पूँजी खण्ड)	209.50	209.50
	योग: योजना	215.00	215.00
	योग: उर्वरक विभाग (सकल)	53075.00	58075.00
	योग: उर्वरक विभाग (निवल)	50215.00	55215.00

अप्रैल 2009 से मार्च 2010 तक के लिए घोषित रियायत की मासिक अंतिम दरें

(रूपए प्रति मी.टन)

उर्वरक	2009								
	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
स्वदेशी एवं आयातित डीएपी	12890	12144	10167	8893	8499	9244	9765	9724	8961
स्वदेशी एवं आयातित एमएपी	10226	11963	7948	8893	8499	9085	9765	9724	7915
स्वदेशी एवं आयातित टीएसपी	9470	8981	8729	8307	7333	7197	5543	5503	5513
एमओपी	29002	27970	27418	27486	19442	19474	18585	18515	18636

उर्वरक	2010		
	जनवरी	फरवरी	मार्च
स्वदेशी एवं आयातित डीएपी	8393	11840	15868
स्वदेशी एवं आयातित एमएपी	7681	7803	7677
स्वदेशी एवं आयातित टीएसपी	5340	5431	5338
एमओपी	18287	18545	18260



उर्वरक	अप्रैल 2009				मई 2009				जून 2009			
मिश्रित उर्वरक	समूह				समूह				समूह			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
15-15-15-0	13731	15398	15686	13524	13129	14934	14769	13171	12397	14588	13819	12322
17-17-17-0	15102	17064	17444	14998	14420	16539	16406	14598	13590	16146	15328	13636
19-19-19-0	16571	18829	19301	16569	15808	18241	18139	16122	14881	17803	16936	15047
20-20-0-0	7488	9893	10412	7538	7033	9623	9537	7415	6235	9339	8448	6461
23-23-0-0	8155	11003	11660	8358	7633	10694	10656	8219	6714	10336	9402	7121
28-28-0-0	9269	12856	13744	9729	8632	12778	12519	9558	7514	12080	10994	8221
10-26-26-0	21237	22165	22222	20773	20192	21213	20968	19894	18924	20202	19554	18549
12-32-16-0	17625	18849	18998	17264	16619	17953	17740	16457	15199	16842	16146	14944
14-28-14-0	15874	17393	17635	15616	14993	16641	16460	14967	13751	15759	15014	13616
14-35-14-0	17300	18819	19061	17042	16261	17909	17728	16235	14739	16747	16002	14604
16-20-0-13	7082	8896	9231	6926	6664	8626	8477	6774	5843	8217	7423	5828
20-20-0-13	7158	9563	10082	7208	6740	9330	9244	7122	5919	9023	8132	6145
10-26-26-0 (सीएफएल विजाग/ एचआईएल, दहेज)	—	—	—	20724	—	—	—	19845	—	—	—	18500
12-32-16-0 (एचआईएल, दहेज)	—	—	—	17215	—	—	—	16408	—	—	—	14895
14-35-14-0 (सीएफएल विजाग)	—	—	—	16993	—	—	—	16186	—	—	—	14555
20-20-0-13 (इफको-पी)	—	—	—	9361	—	—	—	9275	—	—	—	8298

उर्वरक	जुलाई 2009				अगस्त 2009				सितम्बर 2009			
मिश्रित उर्वरक	समूह				समूह				समूह			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
15-15-15-0	12214	14798	13478	11589	10010	12651	11301	9427	10212	13084	11553	9764
17-17-17-0	13383	16384	14943	12805	10884	13950	12474	10353	11112	14440	12759	10734
19-19-19-0	14650	18069	16506	14119	11856	15348	13745	11378	12112	15896	14065	11804
20-20-0-0	5968	9596	7971	5460	5775	9479	7814	5323	6028	10040	8134	5756
23-23-0-0	6407	10661	8854	5969	6185	10527	8672	5812	6477	11173	9042	6310
28-28-0-0	7141	12440	10327	6821	6871	12277	10106	6629	7226	13063	10556	7236
10-26-26-0	18607	20146	19132	17864	14785	16363	15328	14070	15135	16867	15712	14510
12-32-16-0	14791	16748	15612	14095	12285	14288	13127	11623	12703	14891	13586	12149
14-28-14-0	13394	15769	14510	12745	11201	13629	12342	10591	11567	14211	12756	11083
14-35-14-0	14288	16663	15404	13639	12027	14455	13168	11417	12482	15126	13671	11998
16-20-0-13	5578	8370	6990	4976	5347	8201	6787	4790	5609	8709	7103	5196
20-20-0-13	5654	9282	7657	5146	5423	9127	7462	4971	5685	9697	7791	5413
10-26-26-0 (सीएफएल विजाग/ एचआईएल, दहेज)	—	—	—	17815	—	—	—	14021	—	—	—	14461
12-32-16-0 (एचआईएल, दहेज)	—	—	—	14046	—	—	—	11574	—	—	—	12100
14-35-14-0 (सीएफएल विजाग)	—	—	—	13590	—	—	—	11368	—	—	—	11949
20-20-0-13 (इफको-पी)	—	—	—	7299	—	—	—	7124	—	—	—	7566

उर्वरक	अक्टूबर 2009				नवम्बर 2009				दिसम्बर 2009			
मिश्रित उर्वरक	समूह				समूह				समूह			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
15-15-15-0	10058	12614	11300	9856	9915	12770	11299	10004	9642	12822	11098	9883
17-17-17-0	10939	13909	12474	10841	10777	14085	12472	11008	10467	14144	12245	10870
19-19-19-0	11918	15302	13745	11923	11736	15498	13743	12110	11390	15565	13489	11955
20-20-0-0	6126	9717	8100	6183	5957	9946	8120	6402	5545	9968	7804	6192
23-23-0-0	6589	10801	9002	6801	6394	11064	9024	7052	5922	11091	8663	6812
28-28-0-0	7362	12610	10507	7832	7125	12929	10534	8138	6550	12962	10094	7846
10-26-26-0	14870	16391	15380	14410	14620	16340	15225	14354	14147	16084	14800	13982
12-32-16-0	12617	14552	13420	12260	12328	14502	13244	12204	11709	14143	12683	11706
14-28-14-0	11492	13841	12588	11239	11239	13867	12467	11257	10697	13629	11993	10857
14-35-14-0	12442	14791	13538	12189	12129	14757	13357	12147	11443	14375	12739	11603
16-20-0-13	5729	8492	7117	5579	5579	8660	7119	5739	5209	8638	6826	5531
20-20-0-13	5805	9396	7779	5862	5655	9644	7818	6100	5285	9708	7544	5932
10-26-26-0 (सीएफएल विजाग एवं एचआईएल, दाहेज)	—	—	—	14361	—	—	—	14305	—	—	—	13933
12-32-16-0 (एचआईएल, दाहेज)	—	—	—	12211	—	—	—	12155	—	—	—	11657
14-35-14-0 (सीएफएल विजाग)	—	—	—	12140	—	—	—	12098	—	—	—	11554
20-20-0-13 (इफको, पारादीप)	—	—	—	8015	—	—	—	8253	—	—	—	8085

उर्वरक	जनवरी 2010				फरवरी 2010				मार्च 2010			
मिश्रित उर्वरक	समूह				समूह				समूह			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
15-15-15-0	9402	12631	10787	9554	10573	13647	12000	10781	11686	14838	13198	12220
17-17-17-0	10196	13929	11893	10498	11522	15079	13266	11889	12784	16430	14625	13519
19-19-19-0	11087	15324	13095	11540	12571	16611	14632	13096	13980	18119	16149	14917
20-20-0-0	5345	9833	7509	5873	6814	11076	9034	7418	8396	12782	10730	9433
23-23-0-0	5691	10935	8323	6445	7381	12387	10077	8222	9199	14325	12026	10538
28-28-0-0	6269	12772	9680	7399	8326	14540	11815	9562	10540	16900	14188	12383
10-26-26-0	13733	15703	14339	13509	15762	17628	16396	15575	17691	19610	18381	17721
12-32-16-0	11293	13766	12210	11219	13718	16068	14669	13689	16170	18582	17189	16402
14-28-14-0	10333	13310	11562	10410	12454	15287	13722	12583	14600	17506	15948	15033
14-35-14-0	11009	13986	12238	11086	13644	16477	14912	13773	16344	19250	17692	16777
16-20-0-13	5112	8593	6653	5339	6924	10240	8509	7211	8857	12256	10533	9491
20-20-0-13	5188	9676	7352	5716	7000	11282	9220	7604	8933	13319	11267	9970
10-26-26-0 (सीएफएल विजाग एवं एचआईएल, दाहेज)	—	—	—	13460	—	—	—	15526	—	—	—	17672
12-32-16-0 (एचआईएल, दाहेज)	—	—	—	11170	—	—	—	13640	—	—	—	16353
14-35-14-0 (सीएफएल विजाग)	—	—	—	11037	—	—	—	13724	—	—	—	16728
20-20-0-13 (इफको, पारादीप)	—	—	—	7869	—	—	—	9757	—	—	—	12123

अप्रैल तक के लिए घोषित रियायत की मासिक अंतिम दरें



वर्ष 2010-11 के दौरान पीएण्डके उर्वरकों, पोषक तत्व आधारित राजसहायता पर एमआरपी और अदायगी की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण

रूपे प्रति मी.टन

क्रम सं.	उत्पाद	1.4.2002 से 17.6.2008 तक एमआरपी	18 जून, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक एमआरपी	एनवीएस के अंतर्गत 1.4.2010 से एमआरपी (कम्पनी द्वारा यथासूचित)	एनवीएस के अंतर्गत राजसहायता	एनवीएस के अंतर्गत कुल लागत	किसानों द्वारा प्रतिशत अदायगी
1	2	3	4	5	6	7= 5+6	8=5/7X100
1	डीएपी	9350	9350	9950	16268	26218	37.95
2	एमएपी	9350	9350	9950	16219	26169	38.02
3	एमओपी	4455	4455	5055	14692	19747	25.60
4	टीएसपी	7460	7460	8050	12087	20137	39.98
5	एसएसपी (1.5.2008 से)	3400	4600	3200	4400	7600	42.11
6	16-20-00-13	7100	5875	6475	9203	15678	41.30
7	20-20-0-13	7280	6295	6895	10133	17028	40.49
8	20-20-00-00	7280	5343	5943	9901	15844	37.51
9	23-23-00-00	8000	6145	6745	11386	18131	37.20
10	28-28-00-00	9080	7481	8281	13861	22142	37.40
11	10-26-26-00	8360	7197	7897	15521	23418	33.72
12	12-32-16-00	8480	7637	8337	15114	23451	35.55
13	14-28-14-00	8300	7050	7650	14037	21687	35.27
14	14-35-14-00	8660	8185	8785	15877	24662	35.62
15	15-15-15-00	6980	5121	5721	11099	16820	34.01
16	17-17-17-00	8100	5804	6404	12578	18982	33.74
17	19-19-19-00	8300	6487	7287	14058	21345	34.14
18	16-16-16-00				11838		
19	टमोनियम सल्फेट		10350	8500	5195	13695	62.07
टिप्पणियाँ							
1	1.4.2007 से रियायत योजना में एमएपी को शामिल किया गया था।						
2	1.4.2008 से रियायत योजना में टीएसपी को शामिल किया गया था।						
3	फैक्ट और जीएसएफसी के लिए 1.7.2008 से रियायत योजना में अमोनियम सल्फेट (कैप्रो लेक्टम ग्रेड) को शामिल किया गया था।						
4	पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति की घोषणा 1.4.2010 से प्रभावी 4.3.2010 को की गई थी और 31.3.2010 के प्रचलित एमआरपी से 30 रूपए/वैग उच्च दर पर एमआरपी को रखा गया था। एसएसपी के लिए एनवीएस को 1.5.2010 से प्रभावी 21.4.2010 को शामिल किया गया था।						
5	16.16.16.00 को एनवीएस में 1.7.2010 से प्रभावी 6.8.2010 को शामिल किया गया था।						
6	फैक्ट/एनएफएल/जीएनवीएफसी को कैप्टिव अमोनिया के लिए नेफ्था/एलएसएचएस के लिए दो वर्ष के अवधि के लिए अलग से अतिरिक्त राजसहायता प्रदान की जाएगी। (6.8.2010 को घोषित) – दर को अंतिम रूप दिया जाना है।						
7	उक्त पोषक तत्व आधारित राजसहायता 2010-11 के लिए पोषक तत्व 'एन', 'पी', 'के' एवं 'एस' के संबंध में नीचे दिए अनुसार 1.4.2010 से प्रति किलो ग्राम पोषक तत्व आधारित राजसहायता पर आधारित है :						

पोषक तत्व	प्रति किलो ग्राम पोषक तत्व पर एनवीएस (रु.में)
“एन”	23.227
“पी”	26.276
“के”	24.487
“एस”	1.784

अनुलग्नक – XII

वर्ष 2001-02 से बजट अनुमान 2010-11 के दौरान राजसहायता/रियायत पर व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

अवधि	नियंत्रण मुक्त उर्वरकों पर संवितरित रियायत की राशि (स्वदेशी + आयातित)			यूरिया पर संवितरित राजसहायता की राशि			सभी उर्वरकों के लिए कुल
	स्वदेशी पी एण्ड के	आयातित पी एण्ड के	कुल	स्वदेशी यूरिया	आयातित यूरिया	यूरिया का कुल	
						(सकल)	(सकल)
2001-02	3759.52	744.00	4503.52	8044.00	147.50	8191.50	12695.02
2002-03	2487.94	736.58	3224.52	7790.00	1.16	7791.16	11015.68
2003-04	2606.00	720.00	3326.00	8521.00	0.82	8521.82	11847.82
2004-05	3977.00	1165.18	5142.18	10243.15	742.37	10985.52	16127.70
2005-06	4499.20	2096.99	6596.19	10652.57	2140.88	12793.45	19389.64
2006-07	6648.17	3649.95	10298.12	12650.37	5071.06	17721.43	28019.55
2007-08 (नकद)	7833.80	5100.00	12933.80	12950.37	9934.99	22885.36	35819.16
(बॉन्ड)	2500.00	1500.00	4000.00	3500.00	—	3500.00	7500.00
2008-09 (नकद)	24707.10	23847.69	48554.79	17968.74	12971.18	30939.92	79494.71
(बॉन्ड)	8250.00	8750.00	17000.00	3000.00	—	3000.00	20000.00
2009-10	16000.00	23452.06	39452.06	17580.25	6999.98	24580.23	64032.29
बजट अनुमान 2010-11	13000.00	15500.00	28500.00	15980.73	8360.00	24340.73	52840.73

एसएसपी उत्पादकों के लिए नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों को रियायत योजना पर दिनांक 5.8.2002 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रॉक फास्फेट्स अधिसूचना की सूची
(दिनांक 24.8.2009 को अद्यतन)

दिनांक 19 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. एम:19011/33/2001:एमपीआर			
क्र.सं.	रॉक फास्फेट का प्रारंभिक ग्रेड	मिश्रित रॉक की विशिष्टि	उद्गम का स्रोत
क	खान से निकाले गए रॉक चिप्स जिसमें भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व औसतन 31.5 प्रतिशत और अधिक है	—	राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लि. (आरएसएमएमएल)
ख	जार्डन रॉक जिप्सम भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व औसतन 30.0 प्रतिशत और अधिक है	—	जार्डन से आयातित
ग	लाभप्रद रॉक फास्फेट (बीआरपी, जिसमें भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व औसतन 33.55 प्रतिशत और अधिक है)।	—	आरएसएमएमएल
घ	सीरियाई रॉक, जिसमें भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व 29.36 प्रतिशत और अधिक है।	—	सीरिया से आयातित रॉक
ड.	लाभप्रद रॉक फास्फेट (बीआरपी, जिसमें भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व 33.55 प्रतिशत और अधिक है)।	झबुआ क या ख ग्रेड रॉक, जिसमें भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व औसतन 23 प्रतिशत है। भार के अनुसार औसत 31.6 प्रतिशत और अधिक वाला मिश्रण प्राप्त करना।	आरएसएमएमएल से बीआरपी तथा मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लि. (एमपीएसएमसी) से मिश्रित रॉक
च	जार्डन रॉक, जिसमें भार का तत्व औसतन 31.6 प्रतिशत और अधिक है।	झबुआ रॉक, जिसमें भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व औसतन 25 प्रतिशत है। भार के अनुसार औसतन 30 प्रतिशत और अधिक का पी2ओ5 तत्व वाला मिश्रण प्राप्त करना।	
दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं. एम:19011/33/2001:एमपीआर			
छ	मिस्र का रॉक, जिसका भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व औसतन 32 प्रतिशत और अधिक है।	—	मिस्र से आयातित रॉक
ज	लाभप्रद रॉक फॉस्फेट (बीआरपी), जिसका भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व औसत 33.55 प्रतिशत है।	मध्य प्रदेश राज्य खान निगम लि., आरएसएमएमएल, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (आरएसएमडीसी) की खानों से भार के अनुसार 25 प्रतिशत पी2ओ5 तत्व या 27–31 प्रतिशत पी2ओ5 तत्व वाली न्यून ग्रेड रॉक! मैटन खानों से भार के अनुसार औसतन 31.4 प्रतिशत और अधिक पी2ओ5 तत्व का मिश्रण प्राप्त करना।	आरएसएमएमएल से बीआरपी, एमपीएसएमसी, आरएसएमडीसी, आरएसएमएमएल तथा हिन्दुस्तान जिंक लि. (एचजेडएल) से मिश्रित रॉक
दिनांक 31 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं. एम:19011/33/2001:एमपीआर			
झ	लाभप्रद रॉक फास्फेट (बीआरपी) जिसका भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व औसत 33.55 प्रतिशत है।	(i) +22% वाला निम्न ग्रेड रॉक, जो भार द्वारा 25 प्रतिशत पी2ओ5 तत्व से कम हो। आरएसएमडीसी में से भार के आधार पर औसतन 31.7 प्रतिशत और अधिक के तत्व वाले पी2ओ5 मिश्रण को प्राप्त करना।	आरएसएमएमएल से बीआरपी आरएसएमडीसी और आरएसएमएमएल से मिश्रित रॉक

क्र.सं.	रॉक फास्फेट का प्रारंभिक ग्रेड	मिश्रित रॉक की विशिष्टि	उद्गम का स्रोत
		(ii) 25% और अधिक से लेकर 27 प्रतिशत पी2ओ5 तत्व वाली रॉक को भार के अनुसार आरएसएमडीसी की खानों से प्राप्त करना ताकि भार के अनुसार औसतन 31.4 प्रतिशत और अधिक वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। (iii) भार के अनुसार +30% पी2ओ5 के तत्व वाली रॉक जो आरएसएमडीसी की खानों से प्राप्त करना ताकि औसतन 31.5 प्रतिशत पी2ओ5 का मिश्रण प्राप्त किया जा सके। (iv) भार के अनुसार 23 प्रतिशत पी2ओ5 तत्व वाली रॉक को आरएसएमडीसी की खानों से प्राप्त करना ताकि औसतन 31.4 प्रतिशत पी2ओ5 का मिश्रण प्राप्त किया जा सके।	
अ	जार्डन रॉक, जिसका भार के अनुसार पी2ओ5 तत्व 32 प्रतिशत और अधिक है।	भार के अनुसार 25 प्रतिशत पी2ओ5 तत्व वाली निम्न ग्रेड रॉक को आरएसएमएमएल की खानों से प्राप्त करना ताकि औसतन 30.66 प्रतिशत पी2ओ5 का मिश्रण प्राप्त किया जा सके।	जार्डन से आयातित रॉक तथा आरएसएमएमएल से मिश्रित रॉक
दिनांक 13 मई, 2002 की अधिसूचना सं. एम:19011/33/2001:एमपीआर			
ट	इस्राइल रॉक फास्फेट, जिसका भार के द्वारा पी2ओ5 तत्व औसतन 32 प्रतिशत है।	लागू नहीं होता	इस्राइल से आयातित रॉक फास्फेट
दिनांक 23 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना सं. एम:19011/33/2001:एमपीआर (खंड-II)			
ठ	लाभप्रद रॉक फास्फेट जिसका भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व औसतन 33.5 प्रतिशत है।	भार के अनुसार 29 प्रतिशत और अधिक वाला पी2ओ5 का तत्व संबंधी निम्न ग्रेड रॉक जिसमें एमपीएसएमसी के 2.78 प्रतिशत औसत लौह आक्साइड तत्व शामिल है ताकि 31.4 प्रतिशत का औसत मिश्रण प्राप्त हो सके।	आरएसएमएमएल से बीआरपी एमपीएसएमसी की हीरापुर खानों से मिश्रित रॉक
ड	दिनांक 14.12.2005 की अधिसूचना सं. 19011/33/2001:एमपीआर मैसर्स कृष्णा फोसचेम लि. 115-18, एकेवीएन औद्योगिक क्षेत्र, डाकघर मेघनगर, झुबुआ, मध्य प्रदेश द्वारा उत्पादित 30.2 प्रतिशत पी2ओ5 सहित लाभप्रद रॉक फोस्फेट		
दिनांक 19.9.2006 की अधिसूचना सं. एम:19011/33/2001:एमपीआर (19.9.2006 को अधिसूचना)			
ढ	लाभप्रद रॉक फास्फेट भार के अनुसार पी2ओ5 का तत्व औसतन 33.55 प्रतिशत और अधिक है।	—	आरएसएमएमएल
ण	दिनांक 8.5.2007 की अधिसूचना सं. 19011/33/2001:एमपीआर (खंड: II) भार के अनुसार औसतन 34 प्रतिशत पी2ओ5 तत्व वाले वियतनाम के रॉक फॉस्फेट का प्रारंभिक ग्रेड		
त	दिनांक 30.10.2007 की अधिसूचना सं. 19011/33/2001:एमपीआर (खंड: II) भार के अनुसार औसतन 31.2 प्रतिशत पी2ओ5 तत्व वाले अलजीरिया के रॉक फॉस्फेट का प्रारंभिक ग्रेड		
थ	दिनांक 19.11.2007 की अधिसूचना सं. 19011/33/2001:एमपीआर (खंड: II) भार के अनुसार औसतन 31.02 प्रतिशत पी2ओ5 तत्व वाले इजिप्ट के रॉक फॉस्फेट का प्रारंभिक ग्रेड		
द	दिनांक 15.6.2009 की अधिसूचना सं. 19011/33/2001:एमपीआर (खंड: II) मैसर्स बीईसी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा उत्पादित 31 प्रतिशत पी2ओ5 वाला लाभप्रद रॉक फास्फेट		

सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता

(देखें अध्याय-7)

(करोड़ रुपए में)

उपक्रम / सहकारी समिति का नाम	निवल लाभ (+)/निवल हानि(-)				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (दिसम्बर 2010 तक)
फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआई)	(-)1422.63	(-)1504.83	(-)752.60	(-)585.86	(-)447.57
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसी)	(-)1065.14	(-)1101.98	**4841.16	(-)382.47	(-)286.83
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	148.74	158.15	211.58	234.87	149.02
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	176.10	109.0	97	171.51	111.78
प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेन्ट इण्डिया लिमिटेड (पीडीआईएल)	11.20	12.26*	14.82	14.48	12.90
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट)	(-)124.72	8.97	42.95	(-)103.83	(-)14.09*
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)	(-)114.78	(-)134.85	(-)145.38	6.88	66.66
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	(-)62.37	(-)105.83	(-)215.04	(-)133.23	(-)96.44
एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल)	11.51	7.54	9.04	8.67	3.89
सहकारी क्षेत्र					
कृषको	193.24	209.2	250.13	228.17	124.63

*कर पूर्व लाभ

**यह लाभ भारत सरकार ऋण पर ब्याज को जोड़ने के कारण हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम		समूह	कर्मचारियों की संख्या	निम्नलिखित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या				
				अनु. जाति	अ.ज. जाति	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक रूप से विकलांग	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	कृभको	क	1408	36	12	5	2	137
		ख	236	13	13	—	1	47
		ग	359	41	22	9	5	58
		घ	45	2	—	—	—	21
		योग	2048	92	47	14	8	263
2.	एनएफएल	क	1704	367	83	5	11	83
		ख	1912	500	156	35	21	116
		ग	915	232	43	39	19	116
		घ	142	112	3	2	3	7
		योग	4673	1211	285	81	54	322
3.	एमएफएल	क	226	24	3	—	—	11
		ख	229	50	4	—	2	26
		ग	323	103	1	12	3	69
		घ	—	—	—	—	—	—
		योग	778	177	8	12	5	106
4.	फैगमिल	योग	97	13	6	1	शून्य	7
5.	पीडीआईएल	क	424	48	21	—	—	62
		ख	40	5	—	—	—	2
		ग	33	10	—	—	—	6
		घ	—	—	—	—	—	—
		ठेके पर	77	11	1	—	—	22
		योग	574	74	22	—	—	92
6.	आरसीएफ	योग	4235	591	258	8	35	323
7.	फैक्ट	क	468	79	10	—	4	70
		ख	358	193	55	12	21	334
		ग	748	72	23	24	14	309
		घ	711	101	21	5	33	288
		डी.एस.	34	9	—	—	1	17
		योग	3819	454	109	41	73	1018
8.	1.12.2010 को बीवीएफसीएल	योग	1111	82	167	2	3	344

उर्वरक विभाग से संबंधित लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार

2009–10 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. सीए 9

नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.

कंपनी ने यूनियनों के साथ मजदूरी करार और भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कामगारों को 4.11 करोड. रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदत्त की।

(पैरा 8.1.1)

नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. ने डीपीई मार्ग निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों को 2.03 करोड. रु. की अनियमित अनुग्रहपूर्वक अदायगी की।

(पैरा 8.1.2)

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों से संबंधित पैरा – विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लंबित एटीएन के ब्यौरे और उनके निपटान की स्थिति

मंत्रालय/विभाग का नाम

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग

क्र. सं.	रिपोर्ट की सं. और वर्ष	पैरा/पीएसी रिपोर्टों की सं. जिन पर की गई कार्रवाई लेखा परीक्षा द्वारा पुनरीक्षित किए जाने के बाद पीएसी को प्रस्तुत की जानी है	पैरा/एटीएन प्रतिवेदन के ब्यौरे जिन पर एटीएन लम्बित है		
			मंत्रालय द्वारा पहली बार भी न भेजे गए एटीएन की सं.	भेजे गए एटीएन की सं. जिन्हें टिप्पणियों के साथ भेज दिया गया और लेखा परीक्षा मंत्रालय द्वारा उन्हें पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा में है	एटीएन की सं. जिनकी लेखा परीक्षा द्वारा पुनरीक्षा की गई किन्तु उन्हें मंत्रालय द्वारा पीएसी को नहीं भेजा गया है
1	2005–06 की पीएसी रिपोर्ट की 54वीं रिपोर्ट	पैरा 6 52, 53, 54, 58, 59, और 60	शून्य	शून्य	शून्य



भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग